

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 12, बुधवार, शके 1947- दिसम्बर 03, 2025 Agrahayana 12, Wednesday, Saka 1947- December 03, 2025	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर अक्टूबर 13, 2025

संख्या रा.वि.वि. आयोग/सचिव/विनियम/ 159 :-विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36वांअधिनियम) की धारा 61, 66, 86 (1)(ई) सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालीयों के लिये एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1 लघुशीर्षक, प्रारम्भण तथा प्रयोज्यता की सीमा:

- (1) ये विनियम “राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित अक्षय ऊर्जा उत्पादन तंत्र) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2025” कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 2 में संशोधन:

- (1) विद्यमान उप-विनियम 2.1 (ज) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“(ज)”पात्र उपभोक्ता” या “सहभागी उपभोक्ता” से तात्पर्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र के विद्युत के किसी उस उपभोक्ता से होगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का उपभोक्ता की स्वयं की सभी वैद्युतीय आवश्यकताओं के किसी भी भाग के लिये नहीं या सभी या कुछ भाग को ऑफ सेट करने के लिए उपयोग करता है या उपयोग करना प्रस्तावित करता है यह देखते हुए कि ऐसी प्रणाली का स्वामित्व और/या ऐसे उपभोक्ता या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या रेस्को द्वारा संचालित किया जा सकता है।”

(2) उप-विनियम 2.1 (व) के पश्चात् निम्नलिखित नयी परिभाषायें जोड़ी जायेगी:

“2.1(श) “वर्चुअल नेट मीटरिंग (वीएनएम)” का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत एकल स्थान पर स्थित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली या नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से चार्ज की गयी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से उत्पन्न/अंतःक्षेप की गयी संपूर्ण ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा मीटर/सकल मीटर से ग्रिड में निर्यात किया जाता है और निर्यातित ऊर्जा को उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में स्थित सहभागी उपभोक्ताओं के एक से अधिक विद्युत सेवा कनेक्शनों में समायोजित किया जाता है;”

“2.1(ष) “ग्रुप नेट मीटरिंग (जीएनएम)” का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत एकल स्थान पर स्थित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली या नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से चार्ज की गयी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से उत्पन्न/अंतःक्षेप की गयी अतिरिक्त ऊर्जा को नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड में निर्यात किया जाता है और निर्यातित ऊर्जा को उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में

स्थित उसी उपभोक्ता के एक से अधिक विद्युत सेवा कनेक्शनों में समायोजित किया जाता है;

“2.1(स)”प्रमुख उपभोक्ता” का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो स्वयंसहभागी उपभोक्ता है तथा जिसे अन्यसहभागी उपभोक्ताओं द्वारा वर्चुअल नेट मीटरिंग के अंतर्गतवितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ उनकी ओर से सभी पत्राचार करने के लिये नामित किया गया है।

प्रमुख उपभोक्ता के उत्तरदायित्व:

- i. वह वर्चुअल नेट मीटरिंगके अंतर्गतसहभागी उपभोक्ताओं में से एक होगा/होगी तथा सहभागी उपभोक्ताओं की ओर से नेट मीटरिंग समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता होगा/होगी।
- ii. वहवितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ सभी पत्राचार के लिये नोडल व्यक्ति के रूप में कार्य करेगा/करेगी।
- iii. प्रमुख व्यक्ति में किसी भी परिवर्तन की सूचना सभी सहभागी उपभोक्ताओं की स्वीकृति के साथ लिखित रूप में दी जानी चाहिये।”

3. विनियम 3 में संशोधन:

- (1) विद्यमान उप-विनियम3.2 के मूल प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

(क) नेट मीटरिंग व्यवस्थाये,

(ख) नेट बिलिंगव्यवस्थाये,

- (ग) ग्रुपनेट मीटरिंग
- (घ) वर्चुअल नेट मीटरिंग
- (ङ) पीयर टू पीयर (पी2पी) ट्रेडिंग
- (च) मीटर के पीछे सम्बद्ध ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के ग्रिड के साथ समानान्तर संचालित हो रही हो और जिसने नेट मीटरिंग व्यवस्था या नेट बिलिंग व्यवस्था या वर्चुअल नेट मीटरिंग या ग्रुप नेट मीटरिंग के विकल्प का चयन नहीं किया है:
- (छ) प्लग एंड प्ले सौर प्रणाली
- (2) उप-विनियम 3.4 के विद्यमान परन्तुकों के नीचे निम्नलिखित नये परन्तुक जोड़े जायेंगे:
- “बशर्ते यह भी कि उपभोक्ता जिसने नेट मीटरिंग व्यवस्था के लिये विकल्प चुना है, को विद्यमान कनेक्शन समझौते के समाधान के पश्चात् ही जीएनएम या वीएनएम में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जायेगी।
- बशर्ते यह भी कि नेट बिलिंग व्यवस्था वाला कोई प्रोजेक्ट इन विनियमों के अधीन वर्चुअल नेट मीटरिंग या ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था के लिये हकदार नहीं होगा।”

4. विनियम 4 में संशोधन:

- (1) विद्यमान उप-विनियम 4.1 के मूल प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“4.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उस उपभोक्ता, जो इसके आपूर्ति के क्षेत्र में पारस्परिक वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली अधिष्ठापित करने की इच्छा व्यक्त करता है, को नेट बिलिंग व्यवस्था, नेट मीटरिंग व्यवस्था, ग्रुप नेट मीटरिंग या वर्चुअल नेट मीटरिंग के प्रावधान, अभेदात्मक तथा “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर अनुमत करेगा।”

(2) विद्यमान उप-विनियम 4.2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास बकाया राशि वाले उपभोक्ता इन विनियमों के अधीन नेट बिलिंग व्यवस्था, नेट मीटरिंग व्यवस्था, ग्रुप नेट मीटरिंग या वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिये पात्र नहीं होंगे:

बशर्ते कि जब वितरण अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्यविद्युत शुल्क से संबंधित कोई विवाद हो, तो ऐसे उपभोक्ताओं को विवाद के निपटारे की अवधि के दौरान, अधिनियम की धारा 56 के अनुसार विवादित राशि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा कराने पर, नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग या वर्चुअल नेट मीटरिंग व्यवस्था की अनुमति दी जायेगी।

बशर्ते यह भी कि बकाया राशि के लंबित होते हुए भी, सरकारी कनेक्शनों को सशर्त सहभागिता की अनुमति दी जा सकेगी, जो ऐसी व्यवस्थाओं और शर्तों के अधीन होगी, जिन्हें डिस्कॉम्स के लिये उचित समझा जा सकेगा।”

5. विनियम 5 में संशोधन:

इस विनियम में शब्दों “नेट मीटरिंग” को शब्दों “नेट मीटरिंग या जीएनएम या वीएनएम” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. विनियम 6 में संशोधन:

- (1) विद्यमान उप-विनियम 6.2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

वितरण अनुज्ञप्तिधारी नेट बिलिंग व्यवस्था, नेट मीटरिंग व्यवस्था, ग्रुप नेट मीटरिंग या वर्चुअल नेट मीटरिंग के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को जोड़ने के लिये उपलब्ध वितरण ट्रांसफार्मर स्तर की क्षमता के बारे में सूचना को वार्षिक आधार पर अद्यतन करेगा और सूचना को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

7. विनियम 7 में संशोधन:

- (1) विद्यमान उप विनियम 7.1 और 7.3 में शब्दों “नेट बिलिंग व्यवस्था या नेट मीटरिंग व्यवस्था” को शब्दों “नेट बिलिंग व्यवस्था, नेट मीटरिंग व्यवस्था, ग्रुप नेट मीटरिंग या वर्चुअल नेट मीटरिंग” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

- (2) नया उप-विनियम 7.7 निम्नानुसार जोड़ा जायेगा:

“ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग कनेक्शन के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं/प्रोजेक्ट्स को खुली पहुंच की अनुमति लाभार्थी उपभोक्ताओं/उसी उपभोक्ता, यथास्थिति के कनेक्शनों को केवल ऊर्जा के वहन (वहीलिंग) के उद्देश्य से दी जायेगी।

इन विनियमों के अंतर्गत अनुमत रेस्को मॉडल के सिवाय, नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग व्यवस्था के अंतर्गत तृतीय पक्ष विक्रय की अनुमति नहीं दी जायेगी।

वर्चुअल नेट मीटरिंग या गुरुप नेट मीटरिंग कनेक्शन के मामले में, लाभार्थी उपभोक्ताओं पर इन विनियमों के विनियम 15 में यथा निर्दिष्ट प्रभार और हानि उद्ग्रहित की जायेगी।”

8. विनियम 8 में संशोधन:

विद्यमान उप-विनियम 8.8 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों के संस्थापन के लिये, तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जायेगा और अध्ययनों का परिणाम आवेदक को सूचित किया जायेगा, ऐसा न हो सकने पर यह माना जायेगा कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य है।

बशर्ते कि केवल घरेलू श्रेणी के अंतर्गत, नेट मीटरिंग या वर्चुअल नेट मीटरिंग या ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 किलोवाट क्षमता तक की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों के लिये सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता के बिना स्वीकार किया माना जायेगा और उपभोक्ता के स्वीकृत भार में कोई भी आनुपातिक वृद्धि, जो भी आवश्यक हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जायेगी। घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कनेक्शनों के लिये, ऐसी कोई स्वीकार्य व्यवहार्यता की सुविधा नहीं दी जायेगी।

बशर्ते यह भी कि वर्चुअल नेट मीटरिंग या ग्रुप नेट मीटरिंग के लिये, *विद्यमान उपभोक्ताओं या प्रणाली से पहले से* संबद्ध उत्पादन प्रणाली के मामलों में, तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जायेगा और

अध्ययनों का परिणाम आवेदक को सूचित किया जायेगा, ऐसा न हो सकने पर यह माना जायेगा कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य है।

बशर्ते यह भी कि वर्चुअल नेट मीटरिंग या ग्रुप नेट मीटरिंग के लिये, नये उपभोक्ताओं या उत्पादन प्रणाली द्वारा नयी संयोजकता चाहने के मामले में, तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जायेगा और अध्ययनों का परिणाम आवेदक को सूचित किया जायेगा, ऐसा न हो सकने पर यह माना जायेगा कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य है।

बशर्ते यह भी कि वर्चुअल नेट मीटरिंग या ग्रुप नेट मीटरिंग के लिये, उपभोक्ता या उत्पादन प्रणाली से कनेक्टिविटी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर प्रदान की जायेगी, जिस दिन उपभोक्ता या उत्पादन प्रणाली को तकनीकी रूप से व्यवहार्य घोषित किया जाता है या तकनीकी रूप से व्यवहार्य माना जाता है, जैसा भी मामला हो।

9. विनियम 9.1 एवं 9.2 में संशोधन:

इस विनियम में शब्दों “नेट मीटरिंग” को शब्दों “नेट मीटरिंग या ग्रुप नेट मीटरिंग या वर्चुअल नेट मीटरिंग” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. विनियम 10 में संशोधन:

नया उप-विनियम 10.15 निम्नानुसार जोड़ा जायेगा:

“10.15. इन विनियमों के अनुलग्नक-VII या समय-समय पर सीईए/विद्युत मंत्रालय(एमओपी) द्वारा निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य मानक के अनुसार बीईएसएस के तकनीकी मानक और विद्युत गुणवत्ता मानक होंगे।”

11. विनियम 12 में संशोधन:

नया उप-विनियम 12.6 (अ) निम्नानुसार जोड़ा जायेगा:

“ ग्रुप और वर्चुअल नेट मीटरिंग व्यवस्था:

12.6(अ).1 पात्र उपभोक्ता इन विनियमों में निर्दिष्ट ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था और वर्चुअल नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित कर सकता है, बशर्ते कि प्रणाली,

(क) इन विनियमों के अंतर्गत तथा परिभाषित अनुमेय तकनीकी सीमाओं के भीतर हो।

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के समानांतर सुरक्षित रूप से संचालित हो।

बशर्ते कि ग्रुप नेट मीटरिंगव्यवस्था और वर्चुअल नेट मीटरिंग व्यवस्था सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर लागू होगी।

12.6(अ).2. नवीकरणीयऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) के स्वामित्व वाली नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणालीयायूटिलिटी लेड एग्रीग्रेटर द्वारा विकसित या स्वामित्व वाली नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली के माध्यम से इन विनियमों में निर्दिष्ट ग्रुप नेट मीटरिंगव्यवस्था और वर्चुअल नेट मीटरिंगव्यवस्था की अनुमति होगी:

इन विनियमों में निर्दिष्ट किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित करने के लिये पारस्परिक वाणिज्यिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भू-स्वामी रेस्को या यूटिलिटी संचालित एग्रीग्रेटर को रूफटॉप स्थान/भूमि/जल निकाय पट्टे/किराये पर दे सकता है। रेस्को मोड के अंतर्गत ऐसी

पारस्परिक वाणिज्यिकव्यवस्था में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की कोई भूमिका नहीं होगी।

12.6(अ).3. स्थापित की जाने वाली अधिकतम नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन

प्रणालीक्षमता,सहभागी उपभोक्ताओं/कनेक्शनों की संचयी स्वीकृत भार/अनुबंध मांग के 100% से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि,व्यक्तिगत सहभागी उपभोक्ता/कनेक्शन की पात्र स्वीकृत भार/अनुबंध मांग को उसके स्वीकृत भार/अनुबंध मांग तक अनुमति दी जायेगी।

बशर्ते कि नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणालियों की क्षमता राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग(विद्युत आपूर्तिकोड एवं संबंधित मामले) विनियम, 2021 और पश्चातवर्ती संशोधनों के अंतर्गत स्वीकृत भार/अनुबंध मांग से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

12.6(अ).4. वर्चुअल नेट मीटरिंग या ग्रुप नेट मीटरिंगके अंतर्गत स्थापित की जाने वाली नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली की क्षमता निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक किलोवाट से अधिक होगी:

बशर्ते कि, स्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की क्षमता इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट वर्चुअल नेट मीटरिंग या ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत एक मेगावाट तक होगी:

बशर्ते यह भी कि, यदि पात्र उपभोक्ता एक मेगावाट से अधिक क्षमता वाली नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित करना चाहता है, तो ऐसी व्यवस्था के नियम और शर्तें राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीयऊर्जा

स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिये नियम और शर्तें) विनियम, 2020 और पश्चातवर्ती संशोधनों और आरईआरसी (हरित ऊर्जा खुली पहुंच लिये नियम और शर्तें) विनियम, 2025 और पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार शासित होंगी।

बशर्ते यह भी कि 100 किलोवाट या उससे अधिक तथा 1 मेगावाट तक की अनुबंध मांग वाले उपभोक्ता वर्चुअल नेट मीटरिंग/ग्रुप नेट मीटरिंगया हरित ऊर्जा खुली पहुंच के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

12.6(अ).5. ग्रुप नेट मीटरिंगव्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता परिसर में स्थापित की जाने वाली अधिकतम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालीक्षमता भी संबंधित वितरण ट्रांसफार्मर की संचयी क्षमता के अधीन होगी, जिसका पहले से ही उपयोग किया जा चुका है, जैसा कि इन विनियमों में निर्दिष्ट है।

12.6(अ).6. ग्रुप नेट मीटरिंग के विकल्प का चयन करने वाले एचटी (11 केवी और अधिक) उपभोक्ता, अपने एलटी बस बार सिस्टम पर इन विनियमों के अंतर्गत ऐसी अनुमत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित और कनेक्ट कर सकते हैं: बशर्ते कि ऐसे मामलों में नेट मीटर उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के एचटी साइड पर स्थापित किया जायेगा।

12.6(अ).7. ग्रुप नेट मीटरिंग के अंतर्गत पात्र उपभोक्ता उचित प्रक्रिया का पालन करने और संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करने के पश्चात्, नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणालियों की स्थापना याक्षमता में वृद्धिया उन्नयन कर सकता है: बशर्ते कि एक ही परिसर के भीतर ऐसी प्रणालियों की कुल क्षमता इन विनियमों में निर्दिष्ट क्षमता सीमा से अधिक नहीं होगी।

- 12.6(अ).8. पात्र उपभोक्ता जो ग्रुप नेट मीटरिंग या वर्चुअल नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, उसे विनियम 8 में निर्दिष्ट आवेदन की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और आवेदन पत्र (अनुलग्नक-IV-सी में मॉडल फॉर्म) जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाइट पर अधिसूचित करेगा, में आवेदन करना होगा।
- 12.6(अ).9. नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली की वितरण नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी के अनुमोदन के पश्चात्, लेकिन विनियम 9 में निर्दिष्ट प्रणाली से वास्तविक उत्पादन शुरू होने से पूर्व, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और पात्र उपभोक्ता ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्थाया वर्चुअल नेट मीटरिंगके लिये कनेक्शन समझौता करेंगे। वर्चुअल नेट मीटरिंग कनेक्शन समझौता और ग्रुप नेट मीटरिंग कनेक्शन समझौता का मॉडल अनुबंध अनुलग्नक-IV-डी पर उपलब्ध है।
- 12.6(अ).10. वर्चुअल नेट मीटरिंगव्यवस्था और ग्रुप नेट मीटरिंगव्यवस्था के अंतर्गत स्थापित सभी नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली और संबद्ध उपकरण विनियम 10 में निर्दिष्ट मानकों और आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे।
- 12.6(अ).11. ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंगके अंतर्गत सभी मीटरिंग प्रणालियां विनियम 11 और सीईए(मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 और पश्चात्त्वर्ती संशोधनों में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार होंगी।

ग्रुप नेट मीटरिंग के लिये लेखांकन:

- 12.6(अ).12. ग्रुप नेट मीटरिंग के मामले में, ऊर्जा लेखांकन और निपटान निम्नानुसार किया जायेगा:

- (क) यदि उपभोक्ता द्वारा निर्यात की गयी विद्युत की मात्रा, बिलिंग अवधि के दौरान उस कनेक्शन पर आयातित मात्रा से अधिक है जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थित है, तो अतिरिक्त मात्रा को उपभोक्ता द्वारा प्रदान की गयी प्राथमिकता सूची में दर्शाये गये अनुक्रम में सेवा कनेक्शन के मासिक बिल में उपभोगित ऊर्जा के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा। समायोजन के लिए प्राथमिकता का क्रम उस सेवा कनेक्शन से प्रारम्भ माना जायेगा जहां सौर परियोजना स्थित है।
- (ख) अन्य विद्युत कनेक्शन के विरुद्ध शेष अधिशेष ऊर्जा के समायोजन के लिये प्राथमिकता सूची को सहभागी उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में दो माह की अग्रिम सूचना के साथ केवल एक बार संशोधित किया जा सकेगा,
- (ग) यदि गुरप नेट मीटरिंगके अंतर्गत सेवा कनेक्शन की बिलिंग अवधि के दौरान विद्युत की समायोजित अतिरिक्त मात्रा आयातित मात्रा से अधिक है, तो अतिरिक्त मात्रा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियम 12.6.1(ए) में संशोधन सहित निर्दिष्टानुसार क्रय किया जायेगा।
- (घ) दिन के समय(टीओडी) उपभोक्ताओं के लिये: किसी भी समय ब्लाक (जैसे, व्यस्ततम घंटे, अव्यस्त घंटे, आदि) में नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणालियों में विद्युत अंतःक्षेपण की मात्रा को पहले उपभोक्ता के उसी बिलिंग चक्र में संबंधित समय खंडों में आयातित विद्युत की मात्रा के साथ प्रतिपूर्ति की जायेगी जहां नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थित है, और किसी भी समय ब्लाक में अंतःक्षेप की गयी किसी भी अतिरिक्तऊर्जा

को उपभोक्ता द्वारा प्रदान की गयी प्राथमिकता सूची में दर्शाये गये अनुक्रम में सेवा कनेक्शन के मासिक बिल में ऊर्जा आहरण के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा, जैसे कि अतिरिक्तऊर्जा क्रेडिट दिन के समय(टीओडी) उपभोक्ताओं के लिये अव्यस्त समय ब्लॉक के दौरान हुआ था। इस प्रकार अंतःक्षेपित अतिरिक्तऊर्जा के निपटान का क्रम न्यूनतम टैरिफ से उच्चतम टैरिफ टीओडी समय ब्लॉक तक होगा।

(इ) जहां सेवा कनेक्शन, जहां नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थित है, वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी कारण से डिस्कनेक्ट/विच्छेद हो जाता है, उस उपभोक्ता की असमायोजित इकाइयों/शेष क्रेडिट का भुगतान वित्तीय वर्ष के अंत में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा और उस सेवा कनेक्शन के किसी भी लंबित बकाया के निपटान के अधीन होगा, जैसा कि विनियम 12.6.1(ए) में संशोधन सहित निर्दिष्ट किया गया है।

(च) यदि किसी बिलिंग अवधि के दौरान पात्र उपभोक्ता द्वारा आयातित विद्युत इकाइयों की मात्रा निर्यातित/आबंटित मात्रा से अधिक है, तो उपभोगित शुद्ध विद्युत को समय-समय पर संशोधित विनियम 12.6.1(बी) के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा।

वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिये लेखांकन:

12.6(अ).13. वर्चुअल नेट मीटरिंग के मामले में, ऊर्जा लेखांकन और निपटान निम्नानुसार किया जायेगा:

- (क) उपभोक्ता(ओं) द्वारा स्टाम्प पेपर पर किये गये समझौते/एमओयू के अंतर्गत निर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से क्रय के अनुपात के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से उत्पन्न ऊर्जा को प्रत्येक सहभागी उपभोक्ता(ओं) के मासिक विद्युत बिल में क्रेडिट किया जायेगा और वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत किया जायेगा;
- (ख) वित्तीय वर्ष के आरंभ में दो माह की अग्रिम सूचना के साथ केवल एक बार स्टाम्प पेपर पर नया समझौता/एमओयू प्रस्तुत करके, उपभोक्ता(ओं) के पास नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से विद्युत के क्रेडिट के अंश को परिवर्तित करने का विकल्प होगा;
- (ग) सहभागी उपभोक्ता(ओं) के मध्य वर्चुअल नेट मीटरिंग के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना और संचालन के लिये वाणिज्यिक व्यवस्था पारस्परिक सहमति से होगी और ऐसी वाणिज्यिक व्यवस्था में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की कोई भूमिका नहीं होगी।
- ऐसे उपभोक्ता(ओं) के लिये, यदि विद्युत की समायोजित अतिरिक्त मात्रा, वर्चुअल नेट मीटरिंग के अंतर्गत किसी भी सहभागी उपभोक्ता के लिये बिलिंग अवधि के दौरान आयातित मात्रा से अधिक है, तो अतिरिक्त मात्रा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियम 12.6.1(ए) में संशोधन सहित निर्दिष्टानुसार क्रय किया जायेगा।
- (घ) दिन के समय (टीओडी) उपभोक्ताओं के लिये: किसी भी समय ब्लॉक (जैसे व्यस्ततम घंटे, अव्यस्त घंटे, आदि) में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

प्रणालियों में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को पहले सहभागी उपभोक्ता के समान बिलिंग चक्र में संबंधित समय ब्लॉकों में विद्युत आहरण की मात्रा के साथ प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो कि सहभागी प्रत्येक उपभोक्ता के लियेयथा निर्दिष्ट अनुपात के होगा। किसी बिलिंग चक्र में किसी भी समय ब्लॉक में आहरण से अधिक किसी भी अधिशेष उत्पादन को इस प्रकार लेखाबद्ध किया जायेगा मानो अधिशेष उत्पादन/ऊर्जा क्रेडिट दिन के समय(टीओडी) उपभोक्ताओं के लिये अव्यस्त समय ब्लॉक के दौरान हुआ हो। इस प्रकार की अंतःक्षेपित अतिरिक्त ऊर्जा के निपटान का क्रम न्यूनतम टैरिफ से उच्चतम टैरिफ टीओडी समय ब्लॉक का होगा।

(इ) जहां किसी भी सहभागी उपभोक्ता(ओं) का सेवा कनेक्शन वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी कारण से डिस्कनेक्ट हो जाता है, उस उपभोक्ता की असमायोजित इकाइयों/शेष क्रेडिट का भुगतान वित्तीय वर्ष के अंत में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा और यह विनियम 12.6.1(ए) में संशोधन सहित निर्दिष्ट उपभोक्ता(ओं) के किसी भी लंबित बकाया के निपटान के अधीन होगा;

(च) यदि किसी बिलिंग अवधि के दौरान पात्र उपभोक्ता द्वारा आयातित विद्युत इकाइयों की मात्रा निर्यातित/आबंटित मात्रा से अधिक है, तो उपभोगित शुद्ध विद्युत को समय-समय पर संशोधित विनियमन 12.6.1(बी) के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा।

12.6(अ).14. इन विनियमों के अंतर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति में विफलता के मामले में, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालीयावितरण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति,

समय-समय पर आयोगद्वारा यथा निर्णायित जुर्माने के भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।”

12. विनियम 14.1 में संशोधन:

इस विनियम में शब्दों “नेट मीटरिंग” को शब्दों “नेट मीटरिंगया ग्रुप नेट मीटरिंगया वर्चुअल नेट मीटरिंग” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

13. विनियम 15 में संशोधन:

(1) नया उप-विनियम 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 एवं 15.8 निम्नानुसार जोड़ा जायेगा:

“वीएनएम/जीएनएम के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ता (स्व-स्वामित्व वाले और रेस्को स्वामित्व वाले)

15.4 घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्थाया वर्चुअल नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से उत्पादित विद्युत की मात्रा को सभी प्रकारों जैसे बैंकिंग प्रकार, ट्रांसमिशन प्रकार, ट्रांसमिशन हानियां, वहीलिंग प्रकार, वहीलिंग हानियां, क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से छूट दी जायेगी।”

“वीएनएम/जीएनएम के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं (स्व-स्वामित्व वाले) के अतिरिक्त अन्य

15.5 घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त अन्य के लिये, वर्चुअल और ग्रुप मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत स्व-स्वामित्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से उत्पन्न विद्युत की मात्रा, यदि पात्र उपभोक्ता परिसर में स्थापित हो, तो बैंकिंग प्रकार, ट्रांसमिशन

प्रभार, ट्रांसमिशन हानियां, वहीलिंग प्रभार, क्रॉस सब्सिडी अधिभार, वहीलिंग हानियां और अतिरिक्त अधिभार से छूट दी जायेगी।

बशर्ते कि वर्चुअल और गुरुपमीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत स्व-स्वामित्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से उत्पन्न विद्युत की मात्रा, यदि अन्य स्थान पर स्थापित हो, तो बैंकिंग प्रभार, ट्रांसमिशन प्रभार, ट्रांसमिशन हानियां, क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से छूट दी जायेगी।

बशर्ते यह भी कि, यदि उत्पादन संयंत्र किसी अन्य स्थान पर स्थापित है, तो वहीलिंग प्रभार और हानियां प्रयोज्य वोल्टेज स्तर के समतुल्य दर पर लागू होंगी और यदि इसका निर्धारण नहीं किया जाता है, तो 11 केवी स्तर के वहीलिंग प्रभार और हानियां तब तक लागू होंगी जब तक इसका निर्धारण नहीं किया जाता है।

वीएनएम/जीएनएम के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं (रेस्को स्वामित्व वाले) के अतिरिक्त

अन्य

15.6 घरेलू उपभोक्ता के अतिरिक्त अन्य वर्चुअल और गुरुप मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत रेस्को के स्वामित्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से उत्पन्न विद्युत की मात्रा, यदि पात्र उपभोक्ता परिसर में स्थापित हो, तो बैंकिंग प्रभार, ट्रांसमिशन प्रभार, ट्रांसमिशन हानियां, वहीलिंग हानियां और वहीलिंग प्रभार से छूट दी जायेगी।

बशर्ते कि घरेलू उपभोक्ता के अतिरिक्त अन्य वर्चुअल और गुरुपमीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत रेस्को के स्वामित्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से उत्पन्न विद्युत की मात्रा, यदि अन्य स्थान पर स्थापित हो, तो बैंकिंग प्रभार, ट्रांसमिशन प्रभार और ट्रांसमिशन हानियों से छूट दी जायेगी।

बशर्ते यह भी कि, यदि उत्पादन संयंत्र किसी अन्य स्थान पर स्थापित है, तो व्हीलिंगप्रभार और हानियां प्रयोज्य वोल्टेज स्तर के समतुल्य दर पर लागू होंगी और यदि इसका निर्धारण नहीं किया जाता है, तो 11 केवी स्तर के व्हीलिंग प्रभार और हानियां तब तक लागू होंगी जब तक इसका निर्धारण नहीं किया जाता है।

बशर्ते यह भी कि, क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार, वीएनएम/जीएनएम के अंतर्गत रेस्को के स्वामित्व वाली ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के लिये लागू होगा, जो खुली पहुंच उपभोक्ताओं के लिये लागू क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के 50% की दर से लागू होगा।

बशर्ते यह भी कि उन उपभोक्ता श्रेणियों के मामले में जिनके लिये क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार आयोगद्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, ऐसे उपभोक्ताओं की श्रेणी के लिये अधिभार (क्रॉस सब्सिडी और अतिरिक्त अधिभार), 1.25 रुपये/किलोवाट घंटा की दर से लागू होगा, जब तक कि आयोग द्वारा पृथक आदेश के माध्यम से इसे संशोधित नहीं किया जाता है।

बशर्ते यह भी कि वर्चुअल नेट मीटरिंग(वीएनएम) या ग्रुप नेट मीटरिंग(जीएनएम) व्यवस्था के अंतर्गत आपूर्तिका उपयोग करने वाले सरकारी कनेक्शनों के लिये, चाहे वे स्वयं के स्वामित्व वाले हों या रेस्को के स्वामित्व वाले मॉडल के अंतर्गत, कोई क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज या अतिरिक्त सरचार्ज लागू नहीं होगा।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिये अधित्याग

15.7 बशर्ते कि स्थापित बीईएसएस की 5% की क्षमता के साथ रेस्को के स्वामित्व वाली प्रणालियां सहित वर्चुअल नेट मीटरिंगयाग्रुप नेट मीटरिंग कनेक्शनों के लिये व्हीलिंग प्रभारों का 75% का अभित्यजन लागू किया जाये। सौर क्षमता के 5% से अधिक

बीईएसएस के लिये भंडारण प्रणाली की प्रत्येक 1% क्षमता को 30% क्षमता तक बढ़ाने पर अतिरिक्त 1% वहीलिंग प्रभार की अतिरिक्त छूट के लिये पात्र होंगे। सौर क्षमता के 30% से अधिक क्षमता वाले बीईएसएस को 100% वहीलिंग प्रभार से छूट दी जायेगी।

अन्य प्रभारों का अधित्याग

15.8 इन विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत संयंत्र स्थापित करने वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये आवेदन शुल्क, प्रतिभूति जमा और मीटर परीक्षण प्रभारों के भुगतान की आवश्यकता, पांच लाख घरों के लक्ष्य की प्राप्ति तक या राज्य में रूफटॉप सौर स्थापनों के लिये राज्य सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट ऐसे अन्य लक्ष्य की प्राप्ति तक अधित्यक्त रहेगी।

बशर्ते कि नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत संयंत्र स्थापित करने वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये कनेक्शन समझौते के निष्पादन की आवश्यकता, पांच लाख घरों के लक्ष्य की प्राप्ति तक या राज्य में रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य लक्ष्य की प्राप्ति तक अधित्यक्त रहेगी।

14. विनियम 17 में संशोधन:

विनियम 17.1 में शब्दों “नेट मीटरिंग प्रणाली” को शब्दों “नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग प्रणाली या वर्चुअल नेट मीटरिंग” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

15. विनियम 19 में संशोधन:

विनियम 19 के पश्चात् निम्नानुसार नया विनियम 19(अ) जोड़ा जायेगा:

“19(अ) आयोग पृथक आदेश द्वारा प्लग-एंड-प्ले सौर प्रणाली और ब्लॉक चेन आधारित पीयर-टू-पीयर (पी2पी) ट्रेडिंग को या तो स्वप्रेरणा से या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपयुक्तयाचिका दायर करने पर लागू कर सकेगा।”

आयोग की आज्ञा से

बाबूलाल गोयल, आई.ए.एस
सचिव

मॉडल प्रारूप

अनुलग्नक-IV-(इ) -आवेदन प्रारूप

अनुलग्नक-IV-(इ) -1. वर्चुअल नेट मीटरिंग हेतु आवेदन प्रारूप

सेवा में,

.....<प्रशासनिक अधिकारी का नाम>

.....<वितरण अनुज्ञप्तिधारी का नाम>

विषय: वर्चुअल नेट मीटरिंग यंत्र हेतु आवेदन पत्र

मैं/हम, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 और आगे के संशोधनों के अनुपालन में सौर ऊर्जा संयंत्र प्रणाली

को i. केपेक्स मोड या ii. रेस्को मोड (कृपया एक पर निशान लगायें) के अंतर्गत संयोजन करने का आशय रखता हूँ/रखते हैं:

1.	पंजीकृत उपभोक्ता का नाम (प्रमुख)	
2.	पंजीकृत उपभोक्ता का पता	
3.	के.नं.	
4.	प्रमुख उपभोक्ता का ईमेल पता (बड़े अक्षरों में)	
5.	उपभोक्ता का टेलीफोन नंबर	मोबाइल नंबर/ व्हाट्सएप नंबर.
6.	केपेक्स के लिये: स्थापनाकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (बड़े अक्षरों में)	
7.	रेस्को के लिये: रेस्को का नाम, पता, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर	
8.	श्रेणी (कृपया उल्लेख करें)	घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सरकारी भवन, आदि।
9	आपूर्ति वोल्टेज स्तर (कृपया उल्लेख करें)	230 वी, 415 वी. 11केवी और ऊपर
10	कुल स्वीकृत भार, अर्थात् नवीनतम विद्युत बिल के अनुसार सहभागी उपभोक्ताओं के स्वीकृत भार का योग (किलोवाट)।	
11.	प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का प्रकार (सौर, पवन, आदि)	
12.	संयोजन की जाने वाली प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता (किलोवाट)	
13	प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की आपूर्ति वोल्टेज (कृपया चिन्हित करें)	230वी (1-फेज) : 415वी (3-फेज) : 11 केवी और उससे अधिक (3-फेज) :
14	प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का स्थान	
15	नवीकरणीय प्रणाली के स्थान का पता	
16	साइट का अक्षांश (उत्तर)	
17	साइट का देशांतर (पूर्व)	

18	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
----	-----------------------	--

2. मैं/हम आपसे वीएनएम व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित या स्थापित की जाने वाली सौर प्रणाली के लिये ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ/करते हैं। आवश्यक साक्ष्यों द्वारा समर्थित विवरण नीचे दिये गये हैं।
3. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि वर्चुअल नेटमीटरिंग के लिये प्रस्तुत की गयी जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार जाँची और सत्यापित की है।

संलग्नक: अनुलग्नक-IV- C - 2 के अनुसार प्रयोज्यता हेतु आवश्यक दस्तावेज:

स्थान:

दिनांक:

सहभागी उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर, मुहर सहित (यदि कोई हो)

क्र.	के.सं.	साझाकरण अनुपात %	सूची में प्रत्येक उपभोक्ता का पता	पात्र उपभोक्ताओं की आईडीका विवरण	उपभोक्ता के हस्ताक्षर
1					
2					
3					
4					
5					

टिप्पणी: उपभोक्ताओं की सूची सांकेतिक है। जिसमें परियोजना की आवश्यकता तक विस्तार सम्भावित है।

केवल कार्यालय उपयोग के लिये

आवेदन प्रपत्र संख्या:	
आवेदन की तिथि:	

अनुलग्नक-IV-(इ) 2

प्रयोज्यता के लिये आवश्यक दस्तावेज (आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है)

क्र. सं.	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	वीएनएम व्यवस्था के लिये समझौता	
2.	वीएनएम के लिये उपभोक्ता अनुबंध	
3.	उपभोक्ताओं के पहचान प्रमाण (पैन/ईपीआईसी/आधार कार्ड आदि) की स्व-अनुप्रमाणित प्रति	
4.	उस स्थान के स्वामित्व का प्रमाण जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जानी है/पहले से स्थापित है।	
5.	i.ईपीसी ठेकेदार (कैपेक्स मोड के लिये) और ii. रेस्को (रेस्को मोड के लिये) के पहचान प्रमाण (पैन/ईपीआईसी/आधार कार्ड आदि) की स्व-अनुप्रमाणित प्रति	

अनुलग्नक-IV-(इ) -3. ग्रुप नेट मीटरिंग हेतु आवेदन प्रारूप

सेवा में,

.....<प्रशासनिक अधिकारी का नाम>

.....<वितरण अनुज्ञप्तिधारीका नाम>

विषय: ग्रुप नेट मीटरिंग यंत्र हेतु आवेदन पत्र

मैं/हम, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 और आगे के संशोधनों के अनुपालन में सौर ऊर्जा संयंत्र प्रणाली को i. केपेक्स मोड या ii. रेस्को मोड (कृपया एक पर निशान लगायें) के अंतर्गत संयोजन करने का आशय रखता हूँ/रखते हैं:

1.	पंजीकृत उपभोक्ता का नाम (मूल कनेक्शन जहां नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जानी है)	
2.	पंजीकृत उपभोक्ता का पता	
3.	के.नं.	
4.	उपभोक्ता का ईमेल पता (बड़े अक्षरों में)	
5.	उपभोक्ता का टेलीफोन नंबर	मोबाइल नंबर/ व्हाट्सएप नंबर.
6.	केपेक्स के लिये: स्थापनाकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (बड़े अक्षरों में)	
7.	रेस्को के लिये: रेस्को का नाम, पता, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर	
8.	श्रेणी (कृपया उल्लेख करें)	घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सरकारी भवन, आदि।
9	आपूर्तिवोल्टेज स्तर (कृपया उल्लेख करें)	230 वी, 415 वी. 11केवी और ऊपर

10	नवीनतम विद्युत बिल के अनुसार स्वीकृत भार (किलोवाट)	
11.	प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का प्रकार (सौर पवन, आदि)	
12.	संयोजन की जाने वाली प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता (किलोवाट)	
13	प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की आपूर्तिवोल्टेज (कृपया चिन्हित करें)	230वी (1-फेज) : 415वी (3-फेज) : 11 केवी और उससे अधिक (3-फेज) :
14	प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का स्थान	रूफ टॉप सौर प्रणाली: जमीन पर स्थापित प्रणाली:
15	साइट का अक्षांश (उत्तर)	
16	साइट का देशांतर (पूर्व)	
17	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	

मैं, मेरे स्वामित्व वाले/कब्जे वाले परिसर में स्थापित या स्थापित की जाने वाली सौर रूफ टॉप पीवी सिस्टम को ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने का अनुरोध करता/करते हूँ। आवश्यक साक्ष्यों द्वारा समर्थित विवरण नीचे दिये गये हैं। मैं घोषणा करता/करते हूँ कि ग्रुप नेट मीटरिंग के लिये प्रस्तुत की गयी जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार जाँची और सत्यापित की गयी है।

संलग्नक: अनुलग्नक IV-इ-4 के अनुसार दस्तावेज:

स्थान:

दिनांक:

क्र. सं.	के.सं.	प्रयोज्यता प्राथमिकता	प्रत्येक सेवा कनेक्शन का पता	मूल उपभोक्ता का आईडी विवरण	उपभोक्ता के हस्ताक्षर, स्टाम्प सहित (यदि कोई हो)
1					
2					
3					
4					
5					

टिप्पणी: परियोजना की आवश्यकता तक विस्तार की संभावना के साथ उपभोक्ताओं की सूची सांकेतिक है।

केवल कार्यालय उपयोग के लिये

आवेदन प्रपत्र संख्या:	
आवेदन की तिथि:	

अनुलग्नक-IV-(इ) -4

क्र. सं.	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	जीएनएम व्यवस्था के लिये समझौता	
2.	गुरुप नेट-मीटिंगके अंतर्गत निपटान की प्राथमिकता सूची में सीए संख्या/के. संख्या को शामिल करने के लिये वचनबद्धता	
3.	उपभोक्ताओं के पहचान प्रमाण (पैन/ईपीआईसी/आधार कार्ड आदि) की स्व-अनुप्रमाणित प्रति	
4.	उस स्थान के स्वामित्व का प्रमाण जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जानी है/पहले से स्थापित है।	
5.	i.ईपीसी ठेकेदार (कैपेक्स मोड के लिये) और ii. रेस्को (रेस्को मोड के लिये) के पहचान प्रमाण (पैन/ईपीआईसी/आधार कार्ड आदि) की स्व-अनुप्रमाणित प्रति	

अनुलग्नक-IV-(ई) - कनेक्शन अनुबन्ध

अनुलग्नक-बी-1 : वीएनएम व्यवस्था के लिये मॉडल समझौता

I. **केपेक्स मोड: सहभागी उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के मध्य मॉडल समझौता:**

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित)

नवीकरणीय ऊर्जा के लिये वर्चुअल नेट मीटरिंगमॉडल कनेक्शन अनुबंध

यह समझौता (शहर और राज्य का नाम लिखें) दिनांक

.....(समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि को लिखें)किया गया है।

1.पंजीकृत उपभोक्ता जिनके नाम और उपभोक्ता संख्या नीचे दी गयी सूची (**“उपभोक्ताओं की सूची”**) में यथा प्रथम पक्ष (इसके आगे**“पात्र उपभोक्ता”** कहा जायेगा)

और

2..... (राज्य का नाम लिखें)(अर्थात् (डिस्कॉम का नाम लिखें) का वितरण अनुज्ञप्तिधारी) जिसका पंजीकृत कार्यालय.....

(राज्य उपयोगिता का पता लिखें) (इसके आगे**“डिस्कॉम”** कहा जायेगा) में स्थित है, इस

अनुबंध का यथा दूसरा पक्ष

के मध्य किया गया है।

उपभोक्ताओं की सूची: उपभोक्ताओं की सूची नीचे दी गयी है।

क्र. सं.	के.सं.	साझाकरण अनुपात %	सूची में प्रत्येक उपभोक्ता का पता	पात्रउपभोक्ताओं का आईडी विवरण	उपभोक्ता के हस्ताक्षर
1					
2					
3					
4					
5					

टिप्पणी: परियोजना की आवश्यकता तक विस्तार की संभावना के साथ उपभोक्ताओं की सूची सांकेतिक है।

इसके द्वारा पक्षों के मध्य निम्नलिखित सहमति हुई है:

1. पात्रता:

- 1.1 पात्र उपभोक्ता एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि वे पहले से ही उन मानकों और शर्तों से अवगत हैं जिनकी फोटोवोल्टिक प्रणाली को ग्रिड/वितरणतंत्र में एकीकृत होने के लिये पूर्ति करनी चाहिये।
- 1.2 पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम की वितरण तंत्र से फोटोवोल्टिक प्रणाली का कनेक्शन राज्यवितरण कोड और/या डिस्कॉम की सेवा की शर्तों और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग(ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 और आगे कोई भी अन्य संशोधन की अपेक्षाओं से आबद्ध होगा। ग्रिड समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड

मानक)विनियम 2010 के अनुसार निर्दिष्ट विश्वसनीयता, सुरक्षा और गुणवत्ता के साथ कार्य करना जारी रखेगा।

- 1.3 पात्र उपभोक्ताओं ने वर्चुअल नेट-मीटरिंग योजना के लाभों को समझते हुये,.....(राज्य उपयोगिता का नाम लिखें)(डिस्कॉम) के साथ सहमति व्यक्त की है और संयुक्त रूप से अनुरोध किया है कि(पूरा पता लिखें) स्थित परिसर में सौर मीटर स्थापित किया जाये, जहां पात्र उपभोक्ताओं द्वारा पहले से ही फोटोवोल्टिक प्रणाली स्थापित की जा चुकी है तथा पात्र उपभोक्ताओं ने अपने-अपने विद्युत बिलों में सौर इकाइयों के उत्पादन से होने वाले लाभ के अपने-अपने अंश के लिये सहमति व्यक्त की है, जिनका विवरण भी इस समझौते में निर्दिष्ट किया गया है।

2. तकनीकी तथा अन्तर्सम्बन्ध आवश्यकतायें

- 2.1 पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम के वितरण तंत्र से फोटोवोल्टिक प्रणाली को जोड़ने से पूर्व उसने एक पार्थक्य(आइसोलेशन)यंत्र(स्वचालित तथा इन्वर्टर के भीतर निर्मित व बाह्य हस्तचालित रिले दोनों) अधिष्ठापित कर लिये हैं या अधिष्ठापित कर लेंगे तथा आवश्यक होने पर, इस तक डिस्कॉम के अभिगमन तथा इसके परिचालन तथा वितरण तंत्र की मरम्मत एवं संधारण की सहमति देते हैं।
- 2.2 पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम के तंत्र पर विद्युत-बन्दी की दशा में, फोटोवोल्टिक प्रणाली बंद हो जायेगी, जब तक कि फोटोवोल्टिक प्रणाली पर विशेष स्थानांतरण और पार्थक्य(आइसोलेशन)क्षमताएं अधिष्ठापित नहीं की जातीं।
- 2.3 नेट मीटर और नवीकरणीयऊर्जा मीटर की तकनीकी विशिष्टता डिस्कॉम के अनुरूप होनी चाहिये।

- 2.4 वितरण तंत्र से जुड़े सभी उपकरण, सुसंगत अन्तर्राष्ट्रीय(आईईईई/आईईसी)या भारतीय मानकों (बीआईस) के अनुवर्ती होंगे तथा विद्युतीय उपकरणों की अधिष्ठापना समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय विद्युत नियम, 1956 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2013 की अनुपालना में होंगे।
- 2.5 पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम इंटरफेस/अन्तर्सम्बन्ध बिन्दु तथा मीटरिंग बिन्दु निर्धारित करेगा।
- 2.6 पात्र उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीयया भारतीय मानकों और/या आयोग/डिस्कॉम द्वारा प्रदान कियेगये अन्य ऐसे उपायों के अनुसार विद्युत गुणवत्ता उपायों का अनुसरण/पालन करने के लिये सहमत हैं।
- 2.7 पात्र उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा मांगे जाने पर अपने सिस्टम में वोल्टेज, आवृत्ति, ब्रेकर, आइसोलेटर स्थिति जैसे सभी डेटा प्रस्तुत करने के लिये सहमत हैं। पात्र उपभोक्ता वास्तविक समय परिचालन डेटा के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करेंगे।
- 2.8 पात्र उपभोक्ता नवीकरणीयऊर्जा प्रणाली को प्रारम्भ करने के लिये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिये तकनीकी मानक)विनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे और वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदन की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे।
- 2.9 पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम पारदर्शिता और सुविधा के लियेनवीकरणीयऊर्जा प्रणाली के आवेदन और पंजीकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी अपनी वेबसाइट या वेब पोर्टल पर रख सकता है।

3. सुरक्षा:

- 3.1 पात्र उपभोक्ता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 2010 का अनुपालन करेंगे।
- 3.2 पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि फोटोवोल्टिक प्रणाली का डिजाइन, अधिष्ठापन, संधारण और संचालन फोटोवोल्टिक प्रणाली के साथ-साथ डिस्कॉम के वितरण तंत्र की सुरक्षा के अनुकूल तरीके से किया जायेगा।
- 3.3 सुरक्षित और विश्वसनीय वितरण तंत्र के संधारण के लिये डिस्कॉम की बाध्यता के कारण, पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि यदि डिस्कॉम द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि पात्र उपभोक्ता की फोटोवोल्टिक प्रणाली अन्य वितरण तंत्रों के उपभोक्ताओं या डिस्कॉम की आस्तियों को क्षतिग्रस्त करती है और/या प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करती है, पात्र उपभोक्ताओं को डिस्कॉम के निर्देश पर फोटोवोल्टिक प्रणाली को वितरण तंत्र से तुरंत विच्छेद करना होगा तथा पुनः कनेक्शन से पहले स्वयं के व्यय पर समस्या का समाधान करना होगा।
- 3.4 पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि नेट मीटरिंग के पश्चात् फोटोवोल्टिक प्रणाली में कोई भी परिवर्तन/प्रत्यावर्तन/संशोधन/नई क्षमता का परिवर्धन केवल डिस्कॉम से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जायेगा, जो डिस्कॉम द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आवश्यक परीक्षण प्रमाण पत्र(पत्रों) और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् ही जारी किया जायेगा।

4. निर्बाधन तथा स्वीकृतियां

पात्र उपभोक्ता फोटोवोल्टिक प्रणाली को वितरण तंत्र से जोड़ने से पूर्व सभी आवश्यक स्वीकृतियां तथा निर्बाधन (पर्यावरणीय तथा ग्रिड कनेक्शन संबंधी) प्राप्त करने के लिये सहमति देते हैं।

5. अभिगमन तथा विच्छेदन

- 5.1 डिस्कॉम हर समय मीटरिंग उपकरणों तथा फोटोवोल्टिक सिस्टम को विच्छेदित करने वाले साधनों (स्वतः तथा हस्तचालित दोनों) तक अभिगमन कर सकेगा।
- 5.2 आपात या विद्युत बन्दी (आउटेज) की स्थिति में, जहां विच्छेदित करने वाले साधनों स्वतः तथा हस्तचालित जैसे स्विच या ब्रेकर, तक अभिगमन उपलब्ध नहीं है, तो डिस्कॉम परिसर की सेवा विच्छेदित कर सकता है और ऐसे परिदृश्य में, पात्र उपभोक्ता को तत्काल विच्छेदन का उद्धरण करते हुये डिस्कॉम से आपत्ति करने या धनराशि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

6. दायित्व :

- 6.1 पात्र उपभोक्ता तथा डिस्कॉम, कनेक्शन तथा फोटोवोल्टिक प्रणाली या डिस्कॉम के वितरण तंत्र के परिचालन में किसी भी पक्षकार की लापरवाही या साभिप्राय दुराचरण से क्षतियों या प्रतिकूल प्रभाव के लिये एक दूसरे की क्षतिपूर्ति करेंगे।
- 6.2 डिस्कॉम तथा पात्र उपभोक्ता एक दूसरे के प्रति किसी भी हानि या लाभ या राजस्व, व्यवसाय अवरोध हानियां, संविदा की हानि या कीर्तिस्व (गुडविल) की हानि के लिये दायित्व या उदाहरणात्मक क्षतियों सहित परन्तु तक सीमित नहीं विशेष क्षतियों, चाहे उक्त में कोई भी दायित्व, हानि संविदा में पैदा हुयी हो या अन्यथा के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।

7. वाणिज्यिक एवं व्यवस्थापन:

इस अनुबंध के अन्तर्गत समस्त वाणिज्यिक व्यवस्थापन, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 और समय-समय पर यथा संशोधित की अनुपालना करेंगे।

8. सिस्टम कनेक्टिविटी के लिये शर्तें

दोनों पक्षों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्रक्रिया के संबंध में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों का पालन करना होगा। कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये उपभोक्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

- सिंक्रोनाइजेशन सर्किट विवरण
- सुरक्षा रिपोर्ट
- सुरक्षा सर्किट विवरण
- सिस्टम के परीक्षण प्रमाणपत्र
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का योजनाबद्ध आरेख

9. कनेक्शन लागत

9.1 पात्र उपभोक्ता मीटरिंग तथा अन्तर्सम्बन्ध लागतों सहित फोटोवोल्टेक प्रणाली स्थापित करने की समस्त लागतें वहन करेगा। पात्र उपभोक्ता आवश्यक होने पर फोटोवोल्टेक प्रणाली को जोड़ने के लिये वांछित वितरण सुविधाओं के आशोधन तथा उन्नयन की वास्तविक लागत के भुगतान के लिये सहमत है।

9.2. आइसोलेटर, मीटर आदि सहित अन्तर्सम्बन्ध उपकरणों की लागत भी पात्र उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जायेगी।

10. समाप्ति

10.1 इस अनुबंध की अवधि प्रारूपिक सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र के जीवनकाल की होगी, जो 25 वर्ष या डिस्कॉम के पास अनुज्ञप्ति की वैधता तक, जो भी पहले हो, जब तक कि इस अनुबंध को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार अन्यथा समाप्त नहीं कर दिया जाता।

10.2 पात्र उपभोक्ता/उपभोक्ताओं (संयुक्त रूप से) या डिस्कॉम किसी भी समय समझौते के दूसरे पक्ष को 90 दिन का पूर्व नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकते हैं। जबकि यह स्पष्ट किया गया है कि डिस्कॉम द्वारा जारी किये जाने वाले समाप्ति नोटिस के मामले में यह पात्र उपभोक्ताओं द्वारा नियुक्त प्रमुख उपभोक्ता को जारी किया जायेगा।

10.3 पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि इस अनुबंध की समाप्ति पर, उन्हें यथासमय तथा डिस्कॉम की संतुष्टि तक फोटोवोल्टिक प्रणाली को डिस्कॉम की वितरण तंत्र से विच्छेद करना होगा।

11. साझाकरण अनुपात में परिवर्तन:

11.1 डिस्कॉम को कम से कम 2 माह पूर्व नोटिस देकर तथा उपभोक्ताओं की संशोधित सूची प्रस्तुत कर, पात्र उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में एक बार उपभोक्ता सूची में दिये गये साझाकरण अनुपात को बदलने का अधिकार होगा।

11.2 पात्र उपभोक्ताओं को साझाकरण अनुपात में प्रस्तावित ऐसे परिवर्तन और उपभोक्ताओं की सूची में संशोधन के समय लागू वर्चुअल नेट मीटरिंग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11.3 सभी उपभोक्ता एतद्वारा प्रमुख उपभोक्ता को साझाकरण अनुपात में ऐसे परिवर्तन के लिये और, यदि लागू हो, तो इस समझौते में एक नए पात्र उपभोक्ता को शामिल करने और उपभोक्ताओं की सूची प्रस्तुत करने के लिए उनकी ओर से आवेदन करने का अधिकार अपरिवर्तनीय रूप से देते हैं। प्रमुख उपभोक्ता सभी पात्र उपभोक्ताओं की ओर से इस संबंध में डिस्कॉम द्वारा अपेक्षित किसी भी और सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

11.4 उपभोक्ता, सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना/अधिष्ठापन के लिये तथा इसकी अधिष्ठापन की अवधि के दौरान, प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत तथा अपेक्षित सभी अनुमतियां/अनुज्ञा पत्र/अनुमोदन लेने के लिये दायी होंगे।

11.5 सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र के अधिष्ठापन अवधि के दौरान तथा स्थापित करने पर, उपभोक्ता संयुक्त और अलग से डिस्कॉम/इसके कर्मचारियों/निदेशकों/अधिकारियों/सहयोगियों को सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना और/या संचालन और संधारण का उद्धरण करते हुये किसी भी व्यक्ति/एजेंसी/भूमि स्वामित्व एजेंसी/न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक-अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण से सभी लागत परिणामों, दायित्वों, दंड, क्षति/प्रतिपूर्ति आदि के दावे से क्षतिपूर्ति करेंगे।

12. प्रमुख उपभोक्ता:

इस समझौते के निष्पादन के समय, पात्र उपभोक्ता पात्र उपभोक्ताओं में से एक को यथा प्रमुख उपभोक्ता के नियुक्त/नामांकित करेंगे। कि डिस्कॉम द्वारा जारी किये गये सभी संसूचनाओं के लिये डिस्कॉम को प्रमुख उपभोक्ता के साथ पत्र-व्यवहार करने की स्वतंत्रता होगी, न कि प्रत्येक उपभोक्ता के साथ। अन्य पात्र उपभोक्ताओं के साथ पत्र-व्यवहार करना

प्रमुख उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी और डिस्कॉम द्वारा प्रमुख उपभोक्ता को दी गयी संचार सेवा को सभी मामलों में सभी पात्र उपभोक्ताओं को दी गयी सेवा कहा जायेगा।

13. शासकीय कानून और क्षेत्राधिकार:

यह समझौता राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग(ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 और सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना/संधारण/संचालन से संबंधित किसी भी अन्य संशोधन और किसी भी अन्य आदेश/निर्देशों द्वारा शासित होगा। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कानूनों में किसी भी परिवर्तन के मामले में, पात्र उपभोक्ताओं को उसका अनुपालन करना होगा।

साक्षी में, जहां श्रीमान/सुश्री तथा श्रीमान/सुश्री पात्र उपभोक्ताओं की ओर से और डिस्कॉम की ओर से श्रीमान/सुश्री इस समझौते से सहमत हैं।

स्थान:

दिनांक:

उपभोक्ताओं की सूची:

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता के हस्ताक्षर
1		
2		
3		

टिप्पणी: परियोजना की आवश्यकता तक विस्तार की संभावना के साथ उपभोक्ताओं की सूची सांकेतिक है।

गवाह का नाम और हस्ताक्षर

प्रमुख उपभोक्ता का नाम और हस्ताक्षर

डिस्कॉम नोडल अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर (मुहर सहित)

II. रेस्को मोड: सहभागी उपभोक्ताओं, डिस्कॉम और रेस्को के मध्य मॉडल त्रिपक्षीय समझौता:

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित)

नवीकरणीय ऊर्जा के लिये वर्चुअल नेट मीटरिंगमॉडल कनेक्शन अनुबंध

यह समझौता (शहर और राज्य का नाम लिखें) दिनांक

(समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि लिखें)

1. **मैसर्स**..... कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनी/एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म, जिसका पंजीकृत कार्यालय है और जिसका प्रतिनिधित्व एकल स्वामी/भागीदार/प्रबंधक/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से होता है, जिसे इसके पश्चात् यथा “सोलर पावर जनरेटर”(एसपीजी)/नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) के संदर्भित किया जायेगा, जहां तक संदर्भ अनुमति देता है, इस अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसमें प्रथम पक्ष के पक्षकार के रूप में हित में उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिनी शामिल हैं।

और

2..... (राज्य का नाम लिखें)(अर्थात् (डिस्कॉम का नाम लिखें) का वितरण अनुज्ञप्तिधारी) जिसका पंजीकृत कार्यालय..... (राज्य उपयोगिता का पता लिखें)(इसके आगे “**डिस्कॉम**” कहा जायेगा) में स्थित है, इस अनुबंध का यथा दूसरा पक्ष

और

2.पंजीकृत उपभोक्ता जिनके नाम और उपभोक्ता संख्या नीचे दी गयी सूची ("उपभोक्ताओं की सूची") में यथा तृतीय पक्ष के दी गयी है (इसके आगे "पात्र उपभोक्ता" कहा जायेगा)

के मध्य किया गया है।

उपरोक्त सभी, पावर जनरेटर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता को सामूहिक रूप से यथा "पक्षकार" कहा जायेगा।

उपभोक्ताओं की सूची: उपभोक्ताओं की सूची नीचे दी गयी है।

क्र.	के.सं.	उपभोक्ता का नाम	साझाकरण अनुपात %	सूची में प्रत्येक उपभोक्ता का पता	पात्र उपभोक्ताओं का आईडी विवरण
1					
2					
3					
4					
5					

टिप्पणी: परियोजना की आवश्यकता तक विस्तार की संभावना के साथ उपभोक्ताओं की सूची सांकेतिक है।

इसके द्वारा पक्षों के मध्य निम्नलिखित सहमति हुई है:

1. परिभाषाएँ:

- 1.1 “अधिनियम” से तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36 वां) तथा उसके पश्चातवर्ती संशोधनों से होगा,
- 1.2 “लागू/प्रयोज्य नियम और विनियम” का वही अर्थ होगा जो इस दस्तावेज़ के अनुच्छेद 2 में परिभाषित किया गया है।
- 1.3 “प्राधिकरण” से तात्पर्य अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से होगा।
- 1.4 “बिलिंग चक्र” से तात्पर्य, आयोगद्वारा निर्धारित उक्त अवधि से होगा, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए नियमित विद्युत बिल तैयार किये जाते हैं,
- 1.5 “कमीशनिंग तिथि” का तात्पर्य उस तिथि से होगा जिस दिन ग्रिड से सम्बद्ध रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र सिंक्रनाइज़ हो जाता है और ग्रिड में सौर ऊर्जा का अंतःक्षेपण आरम्भ कर देता है।
- 1.6 “आयोग” से अभिप्राय अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तथा अधिनियम के अधीन गठित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग से है।

2. लागू नियम और विनियम

यह समझौता निम्नलिखित नियमों और विनियमों के अधीन है, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से “लागू नियम और विनियम” कहा जायेगा और इनमें कोई भी संशोधन शामिल होगा:

- 2.1 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग(ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021तथा उसके पश्चातवर्ती संशोधनों से होगा
- 2.2 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विभाजित उत्पादन संसाधन की संयोजिता के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2013तथा उसके पश्चातवर्ती संशोधनों से होगा

- 2.3 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन व परिचालन) विनियम, 2006 तथा उसके पश्चातवर्ती संशोधनों से होगा
- 2.4 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के (सुरक्षा से संबंधित उपाय और विद्युत प्रदाय) विनियम, 2010 तथा उसके पश्चातवर्ती संशोधनों से होगा
- 2.5. विद्युत गुणवत्ता एवं संरक्षण तथा नियंत्रण, समय-समय पर संशोधित वितरण तंत्र पर लागू सीईए (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2007 और सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2013 में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप होंगे।
- 2.6. भारतीय विद्युत नियम, 1956
- 2.7. कोई अन्य प्रावधान जो विनियम और उसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार पीपीए पर हस्ताक्षर के समय लागू हो जाता है।

इस समझौते में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, यदि ऊपर विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, तो उनका अभिप्राय वही होगा जो अधिनियम में नियत किया गया है। इसमें प्रयुक्त अन्य शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इस समझौते, विनियमों या अधिनियम में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, किन्तु संसद द्वारा पारित किसी अन्य कानून के अंतर्गत परिभाषित हैं, जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत उद्योग पर लागू हैं, तो उनका अभिप्राय वही होगा जो ऐसे कानून में नियत किया गया है।

3. पात्रता:

- 3.1 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि वे पहले से ही उन मानकों और शर्तों से अवगत हैं जिनकी फोटोवोल्टिक प्रणाली को ग्रिड/वितरणतंत्र में एकीकृत होने के लिये पूर्ति करनी चाहिये।

3.2 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम की वितरणतंत्र से फोटोवोल्टिक प्रणाली का कनेक्शन राज्यवितरण कोड और/या डिस्कॉम की सेवा की शर्तों और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग(ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 और आगे कोई भी अन्य संशोधन की अपेक्षाओं से आबद्ध होगा। ग्रिड समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक)विनियम 2010 के अनुसार निर्दिष्ट विश्वसनीयता, सुरक्षा और गुणवत्ता के साथ कार्य करना जारी रखेगा।

3.3 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ताओं ने वर्चुअल नेट-मीटरिंगयोजना के लाभों को समझते हुये,.....(राज्य उपयोगिता का नाम लिखें)(डिस्कॉम) के साथ सहमति व्यक्त की है और संयुक्त रूप से अनुरोध किया है कि(पूरा पता लिखें) स्थित परिसर में सौर मीटर स्थापित किया जाये, जहां पात्र उपभोक्ताओं द्वारा पहले से ही फोटोवोल्टिक प्रणाली स्थापित की जा चुकी है तथा पात्र उपभोक्ताओं ने अपने-अपने विद्युत बिलों में सौर इकाइयों के उत्पादन से होने वाले लाभ के अपने-अपने अंश के लिये सहमति व्यक्त की है, जिनका विवरण भी इस समझौते में निर्दिष्ट किया गया

4. तकनीकी तथा अन्तर्सम्बन्ध अपेक्षाएँ

4.1 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम के वितरण तंत्र से फोटोवोल्टिक प्रणाली को जोड़ने से पूर्व उसने एक पार्थक्य (आइसोलेशन) यंत्र(स्वचालित तथा इन्वर्टर के भीतर निर्मित व बाह्य हस्तचालित रिले दोनों) अधिष्ठापित कर लिये हैं या अधिष्ठापित कर लेगा तथा आवश्यक होने पर, इस तक डिस्कॉम के अभिगमन तथा इसके परिचालन तथा वितरण तंत्र की मरम्मत एवं संधारण की सहमति देता है।

- 4.2 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम के तंत्र पर विद्युत-बन्दी की दशा में, फोटोवोल्टिक प्रणाली बंद हो जायेगी, जब तक कि फोटोवोल्टिक प्रणाली पर विशेष स्थानांतरण और पार्थक्य (आइसोलेशन)क्षमताएं अधिष्ठापित नहीं की जातीं।
- 4.3 नेट मीटर और नवीकरणीयऊर्जा मीटर की तकनीकी विशिष्टता डिस्कॉम के अनुरूप होनी चाहिये।
- 4.4 वितरण तंत्र से जुड़े सभी उपकरण, सुसंगत अन्तर्राष्ट्रीय(आईईई/आईसी)या भारतीय मानकों (बीआईएस) के अनुवर्ती होंगे तथा विद्युतीय उपकरणों की अधिष्ठापना समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय विद्युत नियम, 1956 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2013 की अनुपालना में होंगे।
- 4.5 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम इंटरफेस/अन्तर्सम्बन्ध बिन्दु तथा मीटरिंग बिन्दु निधारित करेगा।
- 4.6 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीयया भारतीय मानकों और/या आयोग/डिस्कॉम द्वारा प्रदान कियेगये अन्य ऐसे उपायों के अनुसार विद्युत गुणवत्ता उपायों का अनुसरण/पालन करने के लिये सहमत हैं।
- 4.7 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा मांगे जाने पर अपने सिस्टम में वोल्टेज, आवृत्ति, ब्रेकर, आइसोलेटर स्थिति जैसे सभी डेटा प्रस्तुत करने के लिये सहमत हैं। पात्र उपभोक्ता वास्तविक समय परिचालन डेटा के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करेंगे।
- 4.8 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता नवीकरणीयऊर्जा प्रणाली को प्रारम्भ करने के लिये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिये तकनीकी

मानक)विनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे और वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदन की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे।

- 4.9 रेस्को एवंपात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम पारदर्शिता और सुविधा के लियेनवीकरणीयऊर्जा प्रणाली के आवेदन और पंजीकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी अपनी वेबसाइट या वेब पोर्टल पर रख सकता है।

5. सुरक्षा:

- 5.1 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्तिसे संबंधित उपाय) विनियम 2010 का अनुपालन करेंगे।
- 5.2 रेस्को एवंपात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि फोटोवोल्टिक प्रणाली का डिजाइन, अधिष्ठापन, संधारण और संचालन फोटोवोल्टिक प्रणाली के साथ-साथ डिस्कॉम के वितरण तंत्र की सुरक्षा के अनुकूल तरीके से किया जायेगा।
- 5.3 सुरक्षित और विश्वसनीयवितरण तंत्र के संधारण के लिये डिस्कॉम की बाध्यता के कारण,रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि यदि डिस्कॉम द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि पात्र उपभोक्ता की फोटोवोल्टिक प्रणाली अन्यवितरण तंत्रों के उपभोक्ताओं या डिस्कॉम की आस्तियों को क्षतिग्रस्त करती है और/याप्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करती है,रेस्को एवं पात्र उपभोक्ताओं को डिस्कॉम के निर्देश पर फोटोवोल्टिक प्रणाली को वितरण तंत्र से तुरंत विच्छेद करना होगा तथा पुनःकनेक्शन से पहले स्वयं के व्यय पर समस्या का समाधान करना होगा।
- 5.4 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि नेट मीटरिंगके पश्चात् फोटोवोल्टिक प्रणाली में कोई भी परिवर्तन/प्रत्यावर्तन/संशोधन/नईक्षमता का परिवर्धन केवल डिस्कॉम से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जायेगा, जो डिस्कॉम द्वारा समय-

समय पर अधिसूचित आवश्यक परीक्षण प्रमाण पत्र(पत्रों)और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् ही जारी किया जायेगा।

6. निर्बाधन तथा स्वीकृतियां

रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता फोटोवोल्टिक प्रणाली को वितरण तंत्र से जोड़ने से पूर्व सभी आवश्यक स्वीकृतियां तथा निर्बाधन (पर्यावरणीय तथा ग्रिड कनेक्शन संबंधी) प्राप्त करने के लिये सहमति देते हैं।

7. अभिगमन तथा विच्छेदन

7.1 डिस्कॉम हर समय मीटरिंग उपकरणों तथा फोटोवोल्टिक सिस्टम को विच्छेदित करने वाले साधनों (स्वतः तथा हस्तचालित दोनों) तक अभिगमन कर सकेगा।

7.2 आपात या विद्युत बन्दी (आउटेज) की स्थिति में, जहां विच्छेदित करने वाले साधनों स्वतः तथा हस्तचालित जैसे स्विच या ब्रेकर, तक अभिगमन उपलब्ध नहीं है, तो डिस्कॉम परिसर की सेवा विच्छेदित कर सकता है और ऐसे परिदृश्य में, पात्र उपभोक्ता को तत्काल विच्छेदन का उद्घरण करते हुये डिस्कॉम से आपत्ति करने या धनराशि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

8. दायित्व :

8.1 रेस्को, पात्र उपभोक्ता तथा डिस्कॉम, कनेक्शन तथा फोटोवोल्टिक प्रणाली या डिस्कॉम के वितरण तंत्र के परिचालन में किसी भी पक्षकार की लापरवाही या साभिप्राय दुराचरण से क्षतियों या प्रतिकूल प्रभाव के लिये एक दूसरे की क्षतिपूर्ति करेंगे।

8.2 रेस्को, डिस्कॉम तथा पात्र उपभोक्ता एक दूसरे के प्रति किसी भी हानि या लाभ या राजस्व, व्यवसाय अवरोध हानियां, संविदा की हानि या कीर्तिस्व (गुडविल) की हानि

के लिये दाण्डिक या उदाहरणात्मक क्षतियों सहित परन्तु तक सीमित नहीं विशेष क्षतियों, चाहे उक्त में कोई भी दायित्व, हानि संविदा में पैदा हुयी हो या अन्यथा के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।

9. ऊर्जा मीटरिंग लेखांकन और निपटान:

- 9.1. सौर संयंत्र से उत्पन्न समस्त ऊर्जा पात्र उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर सहमत अनुपात में रेस्को से रुपये/यूनिट की दर से क्रय की जायेगी। रेस्को और पात्र उपभोक्ताओं के मध्य बिलिंग चक्र.....होगा।
- 9.2. सौर संयंत्र से उत्पन्न इकाइयों को डिस्कॉम द्वारा पात्र उपभोक्ताओं के मासिक बिल में विद्युत विनियामक आयोग विनियम खंड के अनुसार परस्पर सहमत अनुपात में समायोजित किया जायेगा।

10. सिस्टम कनेक्टिविटी के लिये शर्तें

दोनों पक्षों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्रक्रिया के संबंध में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों का पालन करना होगा। कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये उपभोक्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

- सिंक्रोनाइजेशन सर्किट विवरण
- सुरक्षा रिपोर्ट
- सुरक्षा सर्किट विवरण
- सिस्टम के परीक्षण प्रमाणपत्र
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का योजनाबद्ध आरेख

11. कनेक्शन लागत

11.1 रेस्को, डिस्कॉम के प्राक्कलन के अनुसार मीटरिंग और अंतर्सम्बंध लागतों सहित फोटोवोल्टेक प्रणाली स्थापित करने की समस्त लागतेवहन करेगा। रेस्को आवश्यक होने पर फोटोवोल्टेक प्रणाली को जोड़ने के लिये वांछित वितरण सुविधाओं के आशोधन तथा उन्नयन की वास्तविक लागत के भुगतान के लिये सहमत है।

11.2. आइसोलेटर, मीटर आदि सहित अन्तर्सम्बन्ध उपकरणों की लागत भी पात्रउपभोक्ताओं द्वारा वहन की जायेगी।

12. समाप्ति

11.1 इस अनुबंध की अवधि प्रारूपिक सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र के जीवनकाल की होगी, जो 25 वर्ष या डिस्कॉम के पास अनुज्ञप्ति की वैधता तक, जो भी पहले हो, जब तक कि इस अनुबंध को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार अन्यथा समाप्त नहीं कर दिया जाता।

11.2 रेस्को, पात्र उपभोक्ता/उपभोक्ताओं (संयुक्त रूप से)या डिस्कॉम किसी भी समय समझौते के दूसरे पक्ष को 90 दिन का पूर्व नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकते हैं। जबकि यह स्पष्ट किया गया है कि डिस्कॉम द्वारा जारी किये जाने वाले समाप्ति नोटिस के मामले में यह पात्र उपभोक्ताओं द्वारा नियुक्त प्रमुख उपभोक्ता एवं रेस्को को जारी किया जायेगा।

11.3 रेस्कोएवंपात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि इस अनुबंध की समाप्ति पर, उन्हें यथासमय तथा डिस्कॉम की संतुष्टि तक फोटोवोल्टिक प्रणाली को डिस्कॉम की वितरण तंत्र से विच्छेद करना होगा।

13. साझाकरण अनुपात में परिवर्तन:

- 13.1 रेस्कोएवंडिस्कॉम को कम से कम 2 माह पूर्व नोटिस देकर तथा उपभोक्ताओं की संशोधित सूची प्रस्तुत कर, पात्र उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में एक बार उपभोक्ता सूची में दियेगये साझाकरण अनुपात को बदलने का अधिकार होगा।
- 13.2 पात्र उपभोक्ताओं को साझाकरण अनुपात में प्रस्तावित ऐसे परिवर्तन और उपभोक्ताओं की सूची में संशोधन के समय लागू वर्चुअल नेट मीटरिंगआवेदन पत्रप्रस्तुत करना होगा।
- 13.3 सभी उपभोक्ता एतद्वारा प्रमुख उपभोक्ता को साझाकरण अनुपात में ऐसे परिवर्तन के लिये और, यदि लागू हो, तो इस समझौते में एक नए पात्र उपभोक्ता को शामिल करने और उपभोक्ताओं की सूची प्रस्तुत करने के लिए उनकी ओर से आवेदन करने का अधिकार अपरिवर्तनीय रूप से देते हैं। प्रमुख उपभोक्ता सभी पात्र उपभोक्ताओं की ओर से इस संबंध में डिस्कॉम द्वारा अपेक्षित किसी भी और सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकेगा।
- 13.4 रेस्कोएवं उपभोक्ता, सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना/अधिष्ठापन के लिये तथा इसकी अधिष्ठापन की अवधि के दौरान,प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गतयथा अपेक्षित सभी अनुमतियां/अनुज्ञा पत्र/अनुमोदन लेने के लिये दायी होंगे।
- 13.5 सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र के अधिष्ठापन अवधि के दौरान तथा स्थापित करने पर,रेस्कोएवं उपभोक्ता संयुक्त और अलग से डिस्कॉम/इसके कर्मचारियों/निदेशकों/अधिकारियों/सहयोगियों को सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना और/या संचालन और संधारण का उद्धरण करते हुये किसी भी व्यक्ति/एजेंसी/भूमि स्वामित्व एजेंसी/न्यायालयया किसी अन्य न्यायिक-अर्ध-

न्यायिक प्राधिकरण से सभी लागत परिणामों, दायित्वों, दंड, क्षति/प्रतिपूर्ति आदि के दावे से क्षतिपूर्ति करेंगे।

14. प्रमुख उपभोक्ता:

कि इस समझौते के निष्पादन के समय, पात्र उपभोक्ता पात्र उपभोक्ताओं में से एक को यथा प्रमुख उपभोक्ता के नियुक्त/नामांकित करेंगे। कि डिस्कॉम एवं रेस्कोद्वारा जारी किये गये सभी संसूचनाओं के लिये रेस्को एवं डिस्कॉम को प्रमुख उपभोक्ता के साथ पत्र-व्यवहार करने की स्वतंत्रता होगी, न कि प्रत्येक उपभोक्ता के साथ। अन्य पात्र उपभोक्ताओं के साथ पत्र-व्यवहार करना प्रमुख उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी और रेस्को एवं डिस्कॉम द्वारा प्रमुख उपभोक्ता को दी गयी संचार सेवा को सभी मामलों में सभी पात्र उपभोक्ताओं को दी गयी सेवा कहा जायेगा।

15. शासकीय कानून और क्षेत्राधिकार:

यह समझौता राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 और किसी भी अन्य संशोधन और सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना/संधारण/संचालन से संबंधित किसी भी अन्य आदेश/निर्देशों द्वारा शासित होगा। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कानूनों में किसी भी परिवर्तन के मामले में, पात्र उपभोक्ताओं को उसका अनुपालन करना होगा।

साक्षी में, जहां श्रीमान/सुश्री तथा श्रीमान/सुश्री पात्र उपभोक्ताओं की ओर से, श्रीमान/सुश्री रेस्को की ओर से और डिस्कॉम की ओर से श्रीमान/सुश्री इस समझौते से सहमत हैं।

स्थान:

दिनांक:

उपभोक्ताओं की सूची:

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता के हस्ताक्षर
1		
2		
3		

टिप्पणी: परियोजना की आवश्यकता तक विस्तार की संभावना के साथ उपभोक्ताओं की सूची
सांकेतिक है।

गवाह का नाम और हस्ताक्षर**प्रमुख उपभोक्ता का नाम और हस्ताक्षर****रेस्को का नाम और हस्ताक्षर****डिस्कॉम नोडल अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर (मुहर सहित)**

अनुलग्नक-IV-(ई) -1 : जीएनएम व्यवस्था के लिये मॉडल समझौता

I. **केपेक्स मोड: सहभागी उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के मध्य मॉडल समझौता:**

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित)

नवीकरणीय ऊर्जा के लिये ग्रुप नेट मीटरिंग मॉडल कनेक्शन अनुबंध

यह समझौता (शहर और राज्य का नाम लिखें) दिनांक

1. पंजीकृत उपभोक्ता उपभोक्ता संख्या के साथ निवासी यथा

प्रथम पक्ष (इसके आगे "पात्र उपभोक्ता" कहा जायेगा)

और

2..... (राज्य का नाम लिखें)(अर्थात् (डिस्कॉम का नाम लिखें) का वितरण अनुज्ञप्तिधारी) जिसका पंजीकृत कार्यालय..... (पूरा पता लिखें)(इसके आगे “डिस्कॉम” कहा जायेगा) में स्थित है, इस अनुबंध का यथा दूसरा पक्ष

के मध्य किया गया है।

..... (विद्युत संयंत्र की क्षमता kWp में लिखें) का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र (फोटोवोल्टिक सिस्टम) पंजीकृत उपभोक्ता (यहां “मूल उपभोक्ता” कहा जायेगा) के परिसर में स्थापित किया गया है, जिसका पता (पूरा पता लिखें) है।

1. पात्रता:

- 1.1 पात्र उपभोक्ता एतद्वारा पुष्टि करता/करती हैं कि वह पहले से ही उन मानकों और शर्तों से अवगत हैं जिनकी फोटोवोल्टिक प्रणाली को ग्रिड/वितरणतंत्र में एकीकृत होने के लिये पूर्ति करनी चाहिये।
- 1.2 पात्र उपभोक्ता सहमति देता हैं कि डिस्कॉम की वितरणतंत्र से फोटोवोल्टिक प्रणाली का कनेक्शन राज्य वितरण कोड और/या डिस्कॉम की सेवा की शर्तों और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 और आगे कोई भी अन्य संशोधन की अपेक्षाओं से आबद्ध होगा। ग्रिड समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड

मानक) विनियम 2010 के अनुसार निर्दिष्ट विश्वसनीयता, सुरक्षा और गुणवत्ता के साथ कार्य करना जारी रखेगा।

- 1.3 जीएनएम के लिये पात्र सीए नंबरों की सूची उसी उपभोक्ता की होनी चाहिये, अर्थात् समान नाम होना चाहिये और ग्रुप नेट-मीटरिंग के अंतर्गत बिलिंग में उपभोग को समायोजित करने के लिये डिस्कॉम अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र में स्थित होना चाहिये, साथ ही हस्ताक्षरित वचनबद्धता भी इस समझौते के अनुलग्नक-I में संलग्न है।
- 1.4 पात्र उपभोक्ता एतद्वारा पुष्टि करता/करती है कि उसने ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत कनेक्शन के लिये आवेदन किया है। जीएनएम व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिये पात्र उपभोक्ता ने (संबंधित विभाग) अनुरोध किया है कि वह अपने परिसर में नेट-मीटर उपकरण स्थापित करे, जो कि पर स्थित है, जहां पात्र उपभोक्ता ने पहले ही अपेक्षित सौर पैनल स्थापित कर लिये हैं। कि उपभोक्ता ने सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों को सेट-ऑफ करने के लिये जीएनएम सेवा कनेक्शन संख्याओं की सूची और उनके अनुक्रम भी दिये हैं।

2. तकनीकी तथा अन्तर्सम्बन्ध अपेक्षाएँ

- 2.1 पात्र उपभोक्ता सहमति देता/देती है कि डिस्कॉम के वितरण तंत्र से फोटोवोल्टिक प्रणाली को जोड़ने से पूर्व उसने एक पार्थक्य (आइसोलेशन) यंत्र (स्वचालित तथा इन्वर्टर के भीतर निर्मित व बाह्य हस्तचालित रिले दोनों) अधिष्ठापित कर लिये हैं या अधिष्ठापित कर लेगा तथा आवश्यक होने पर, इस तक डिस्कॉम के अभिगमन तथा इसके परिचालन तथा वितरण तंत्र की मरम्मत एवं संधारण की सहमति देता/देती है।

- 2.2 पात्र उपभोक्ता सहमति देता/देती है कि डिस्कॉम के तंत्र पर विद्युत-बन्दी की दशा में, फोटोवोल्टिक प्रणाली बंद हो जायेगी, जब तक कि फोटोवोल्टिक प्रणाली पर विशेष स्थानांतरण और पार्थक्य(आइसोलेशन)क्षमताएं अधिष्ठापित नहीं की जातीं।
- 2.3 नेट मीटर और नवीकरणीय ऊर्जा मीटर की तकनीकी विशिष्टता डिस्कॉम के अनुरूप होनी चाहिये।
- 2.4 वितरण तंत्र से जुड़े सभी उपकरण, सुसंगत अन्तर्राष्ट्रीय(आईईई/आईसी)या भारतीय मानकों (बीआईस) के अनुवर्ती होंगे तथा विद्युतीय उपकरणों की अधिष्ठापना समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय विद्युत नियम, 1956 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2013 और आगे कोई भी अन्य संशोधन की अनुपालना में होंगे।
- 2.5 पात्र उपभोक्ता सहमति देता/देती है कि डिस्कॉम इंटरफेस/अन्तर्सम्बन्ध बिन्दु तथा मीटरिंग बिन्दु निधारित करेगा।
- 2.6 पात्र उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीयया भारतीय मानकों और/या आयोग/डिस्कॉम द्वारा प्रदान कियेगये अन्य ऐसे उपायों के अनुसार विद्युत गुणवत्ता उपायों का अनुसरण/पालन करने के लिये सहमत हैं।
- 2.7 पात्र उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा मांगे जाने पर अपने सिस्टम में वोल्टेज, आवृत्ति, ब्रेकर, आइसोलेटर स्थिति जैसे सभी डेटा प्रस्तुत करने के लिये सहमत हैं। पात्र उपभोक्ता वास्तविक समय परिचालन डेटा के अॉनलाइन हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करेगा/करेगी।
- 2.8 पात्र उपभोक्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को प्रारम्भ करने के लिये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिये तकनीकी

मानक)विनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा/करेगी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदन की प्रतियां प्रस्तुत करेगा/करेगी।

- 2.9 पात्र उपभोक्ता सहमति देता/देती हैं कि (संबंधित विभाग)पारदर्शिता और सुविधा के लियेनवीकरणीयऊर्जा प्रणाली के आवेदन और पंजीकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी अपनी वेबसाइट या वेब पोर्टल पर रख सकता है।

3. सुरक्षा:

- 3.1 पात्र उपभोक्ता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्तिसे संबंधित उपाय)विनियम 2010 का अनुपालन करेगा/करेगी।
- 3.2 पात्र उपभोक्ता सहमति देता/देती हैं कि फोटोवोल्टिक प्रणाली का डिजाइन, अधिष्ठापन, संधारण और संचालन फोटोवोल्टिक प्रणाली के साथ-साथ डिस्कॉम के वितरण तंत्र की सुरक्षा के अनुकूल तरीके से किया जायेगा।
- 3.3 सुरक्षित और विश्वसनीयवितरण तंत्र के संधारण के लिये डिस्कॉम की बाध्यता के कारण, पात्र उपभोक्ता सहमति देता/देती हैं कि यदि डिस्कॉम द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि पात्र उपभोक्ता की फोटोवोल्टिक प्रणाली अन्यवितरण तंत्रों के उपभोक्ताओं या डिस्कॉम की आस्तियों को क्षतिग्रस्त करती है और/याप्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करती है, पात्र उपभोक्ताओं को डिस्कॉम के निर्देश पर फोटोवोल्टिक प्रणाली को वितरण तंत्र से तुरंत विच्छेद करना होगा तथा पुनःकनेक्शन से पहले स्वयं के व्यय पर समस्या का समाधान करना होगा।
- 3.4 पात्र उपभोक्ता सहमति देता/देती हैं कि नेट मीटरिंगके पश्चात् फोटोवोल्टिक प्रणाली में कोई भी परिवर्तन/प्रत्यावर्तन/संशोधन/नईक्षमता का परिवर्धन केवल डिस्कॉम से

पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जायेगा, जो डिस्कॉम द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आवश्यक परीक्षण प्रमाण पत्र(पत्रों)और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् ही जारी किया जायेगा।

4. निर्बाधन तथा स्वीकृतियां

पात्र उपभोक्ता फोटोवोल्टिक प्रणाली को वितरण तंत्र से जोड़ने से पूर्व सभी आवश्यक स्वीकृतियां तथा निर्बाधन (पर्यावरणीय तथा ग्रिड कनेक्शन संबंधी) प्राप्त करने के लिये सहमति देता/देती हैं।

5. अभिगमन तथा विच्छेदन

5.1 डिस्कॉम हर समय मीटरिंग उपकरणों तथा फोटोवोल्टिक सिस्टम को विच्छेदित करने वाले साधनों (स्वतः तथा हस्तचालित दोनों) तक अभिगमन कर सकेगा।

5.2 आपात या विद्युत बन्दी (आउटेज) की स्थिति में, जहां विच्छेदित करने वाले साधनों स्वतः तथा हस्तचालित जैसे स्विच या ब्रेकर, तक अभिगमन उपलब्ध नहीं है, तो डिस्कॉम परिसर की सेवा विच्छेदित कर सकता है और ऐसे परिदृश्य में, पात्र उपभोक्ता को तत्काल विच्छेदन का उद्घरण करते हुये डिस्कॉम से आपत्ति करने या धनराशि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

6. दायित्व :

6.1 पात्र उपभोक्ता तथा डिस्कॉम, कनेक्शन तथा फोटोवोल्टिक प्रणाली या डिस्कॉम के वितरण तंत्र के परिचालन में किसी भी पक्षकार की लापरवाही या साभिप्राय दुराचरण से क्षतियों या प्रतिकूल प्रभाव के लिये एक दूसरे की क्षतिपूर्ति करेंगे।

6.2 डिस्कॉम तथा पात्र उपभोक्ता एक दूसरे के प्रति किसी भी हानि या लाभ या राजस्व, व्यवसाय अवरोध हानियां, संविदा की हानि या कीर्तिस्व (गुडविल) की हानि के लिये

दाण्डिक या उदाहरणात्मक क्षतियों सहित परन्तु तक सीमित नहीं विशेष क्षतियों, चाहे उक्त में कोई भी दायित्व, हानि संविदा में पैदा हुयी हो या अन्यथा के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।

6.3 डिस्कॉम, पात्र उपभोक्ता द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान कियेगये किसी भी वित्तीय या अन्य प्रोत्साहन के वितरण या वसूली के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

6.4 डिस्कॉम प्रणाली के प्रदर्शन/परिणामों/आउटपुट, लाभ आदि के संबंध में सभी वारंटी/गारंटी/मौखिक चर्चाओं से इनकार करता है और डिस्कॉम फोटोवोल्टिक प्रणाली की स्थापना/प्रदर्शन से संबंधित/उद्धृत किसी भी दावे के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।

7. वाणिज्यिक एवं व्यवस्थापन:

इस अनुबंध के अन्तर्गत समस्त वाणिज्यिक व्यवस्थापन, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 और समय-समय पर यथा संशोधित की अनुपालना करेंगे।

8. सिस्टम कनेक्टिविटी के लिये शर्तें

दोनों पक्षों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्रक्रिया के संबंध में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों का पालन करना होगा। कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये उपभोक्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

- सिंक्रोनाइजेशन सर्किट विवरण
- सुरक्षा रिपोर्ट
- सुरक्षा सर्किट विवरण
- सिस्टम के परीक्षण प्रमाणपत्र
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का योजनाबद्ध आरेख

9. कनेक्शन लागत

9.1 पात्र उपभोक्ता मीटरिंग तथा अन्तर्सम्बन्ध लागतों सहित फोटोवोल्टेक प्रणाली स्थापित करने की समस्त लागते वहन करेगा/करेगी। पात्र उपभोक्ता आवश्यक होने पर फोटोवोल्टेक प्रणाली को जोड़ने के लिये वाछित वितरण सुविधाओं के आशोधन तथा उन्नयन की वास्तविक लागत के भुगतान के लिये सहमत है।

9.2. आइसोलेटर, मीटर आदि सहित अन्तर्सम्बन्ध उपकरणों की लागत भी पात्रउपभोक्ताद्वारा वहन की जायेगी।

10. समाप्ति

10.1 इस अनुबंध की अवधि प्रारूपिक सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र के जीवनकाल की होगी, जो 25 वर्ष या डिस्कॉम के पास अनुज्ञप्ति की वैधता तक, जो भी पहले हो, जब तक कि इस अनुबंध को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार अन्यथा समाप्त नहीं कर दिया जाता।

10.2 पात्र उपभोक्ता या डिस्कॉम किसी भी समय समझौते के दूसरे पक्ष को 90 दिन का पूर्व नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकते हैं। जबकि यह स्पष्ट किया गया है कि डिस्कॉम द्वारा जारी किये जाने वाले समाप्ति नोटिस के मामले में यह पात्र उपभोक्ताओं द्वारा नियुक्तमूल उपभोक्ता को जारी किया जायेगा।

10.3 पात्र उपभोक्ता सहमति देता/देती हैं कि इस अनुबंध की समाप्ति पर, उन्हें यथासमय तथा डिस्कॉम की संतुष्टि तक फोटोवोल्टिक प्रणाली को डिस्कॉम की वितरण तंत्र से विच्छेद करना होगा।

11. प्राथमिकता में परिवर्तन:

- 11.1 डिस्कॉम को कम से कम 2 माह पूर्व नोटिस देकर तथा सेवा कनेक्शनों की संशोधित सूची प्रस्तुत कर, पात्र उपभोक्ता को प्रत्येकवित्तीय वर्ष के प्रारंभ में एक बार सेवा कनेक्शनों की सूची में दी गयी प्राथमिकता को बदलने का अधिकार होगा।
- 11.2 पात्र उपभोक्ता को प्राथमिकता में प्रस्तावित ऐसे परिवर्तन और सेवा कनेक्शनों की सूची में संशोधन के समय लागूग्रुप नेट मीटरिंगआवेदन पत्रप्रस्तुत करना होगा।
- 11.3 उपभोक्ता, सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना/अधिष्ठापन के लिये तथा इसकी अधिष्ठापन की अवधि के दौरान, प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत तथा अपेक्षित सभी अनुमतियां/अनुज्ञा पत्र/अनुमोदन लेने के लिये दायी होंगा/होगी।
- 11.4 सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र के अधिष्ठापन अवधि के दौरान तथा स्थापित करने पर, उपभोक्ता संयुक्त और अलग से डिस्कॉम/इसके कर्मचारियों/निदेशकों/अधिकारियों/सहयोगियों को सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना और/या संचालन और संधारण का उद्धरण करते हुये किसी भी व्यक्ति/एजेंसी/भूमि स्वामित्व एजेंसी/न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक-अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण से सभी लागत परिणामों, दायित्वों, दंड, क्षति/प्रतिपूर्ति आदि के दावे से क्षतिपूर्ति करेगा/करेगी।

12. अभिभावक और बाल उपभोक्ता :

इस समझौते के निष्पादन के समय, पात्र उपभोक्ता को अभिभावक उपभोक्ता और अन्य को संबंधित प्रयोज्यता प्राथमिकता के साथ बाल उपभोक्ता कहा जायेगा। कि डिस्कॉम द्वारा जारी की गयी सभी संसूचना के लिये डिस्कॉम को मूल उपभोक्ता के साथ ही संचार करने की स्वतंत्रता होगी, न कि प्रत्येक उपभोक्ता के साथ।

13. शासकीय कानून और क्षेत्राधिकार:

यह समझौता राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग(ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 और किसी भी अन्य संशोधन और सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना/संधारण/संचालन से संबंधित किसी भी अन्य आदेश/निर्देशों द्वारा शासित होगा। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कानूनों में किसी भी परिवर्तन के मामले में, पात्र उपभोक्ता को उसका अनुपालन करना होगा/होगी।

साक्षी में, जहां श्रीमान/सुश्री तथा श्रीमान/सुश्री पात्र उपभोक्ता की ओर से और डिस्कॉम की ओर से श्रीमान/सुश्री इस समझौते से सहमत हैं।

स्थान:

दिनांक:

गवाह का नाम और हस्ताक्षर

पंजीकृत उपभोक्ता का नाम और हस्ताक्षर(जीएनएम आवेदक)

नोडल अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर (मुहर सहित)

II. रेस्को मोड: सहभागी उपभोक्ताओं, डिस्कॉम और रेस्को के मध्य मॉडल त्रिपक्षीय समझौता:

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित)

नवीकरणीय ऊर्जा के लिये ग्रुप नेट मीटरिंग मॉडल कनेक्शन अनुबंध

यह समझौता (शहर और राज्य का नाम लिखें) दिनांक

(समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि लिखें)

1. **मैसर्स**..... कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनी/एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म, जिसका पंजीकृत कार्यालय है और जिसका प्रतिनिधित्व एकल स्वामी/भागीदार/प्रबंधक/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से होता है, जिसे इसके पश्चात् यथा “सोलर पावर जनरेटर”(एसपीजी)/नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) के संदर्भित किया जायेगा, जहां तक संदर्भ अनुमति देता है, इस अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसमें प्रथम पक्ष के पक्षकार के रूप में हित में उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिनी शामिल हैं।

और

2..... (राज्य का नाम लिखें)(अर्थात् (डिस्कॉम का नाम लिखें) का वितरण अनुज्ञप्तिधारी) जिसका पंजीकृत कार्यालय..... (राज्य उपयोगिता का पता लिखें)(इसके आगे“**डिस्कॉम**” कहा जायेगा) में स्थित है, इस अनुबंध का यथा दूसरा पक्ष

और

3.पंजीकृत उपभोक्ता उपभोक्ता संख्या के साथ निवासी यथा तृतीय पक्ष (इसके आगे“**पात्र उपभोक्ता**” कहा जायेगा)

के मध्य किया गया है।

उपरोक्त सभी, पावर जनरेटर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता को सामूहिक रूप से यथा “पक्षकार” कहा जायेगा।

इसके द्वारा पक्षों के मध्य निम्नलिखित सहमति हुई है:

1. परिभाषाएँ:

- 1.1. “अधिनियम” से तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36 वां) तथा उसके पश्चातवर्ती संशोधनों से होगा,
- 1.2. “लागू/प्रयोज्य नियम और विनियम” का वही अर्थ होगा जो इस दस्तावेज़ के अनुच्छेद 2 में परिभाषित किया गया है।
- 1.3. “प्राधिकरण” से तात्पर्य अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से होगा।
- 1.4. “बिलिंग चक्र” से तात्पर्य, आयोगद्वारा निर्धारित उक्त अवधि से होगा, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए नियमित विद्युत बिल तैयार किये जाते हैं,
- 1.5. “कमीशनिंग तिथि” का तात्पर्य उस तिथि से होगा जिस दिन ग्रिड से सम्बद्ध रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र सिंक्रनाइज़ हो जाता है और ग्रिड में सौर ऊर्जा का अंतःक्षेपण आरम्भ कर देता है।
- 1.6. “आयोग” से अभिप्राय अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तथा अधिनियम के अधीन गठित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग से है।

2. लागू नियम और विनियम

यह समझौता निम्नलिखित नियमों और विनियमों के अधीन है, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से “लागू नियम और विनियम” कहा जायेगा और इनमें कोई भी संशोधन शामिल होगा:

- 2.1 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग(ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021तथा उसके पश्चातवर्ती संशोधनों से होगा
- 2.2 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विभाजित उत्पादन संसाधन की संयोजिता के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2013तथा उसके पश्चातवर्ती संशोधनों से होगा
- 2.3 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन व परिचालन) विनियम, 2006तथा उसके पश्चातवर्ती संशोधनों से होगा
- 2.4 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के (सुरक्षा से संबंधित उपाय और विद्युत प्रदाय) विनियम, 2010तथा उसके पश्चातवर्ती संशोधनों से होगा
- 2.5. विद्युत गुणवत्ता एवं संरक्षण तथा नियंत्रण, समय-समय पर संशोधित वितरण तंत्र पर लागू सीईए (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2007 और सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2013 में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप होंगे।
- 2.6. भारतीय विद्युत नियम, 1956
- 2.7. कोई अन्य प्रावधान जो विनियम और उसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार पीपीए पर हस्ताक्षर के समय लागू हो जाता है।

इस समझौते में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, यदि ऊपर विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, तो उनका अभिप्राय वही होगा जो अधिनियम में नियत किया गया है। इसमें प्रयुक्त अन्य शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इस समझौते, विनियमों या अधिनियम में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, किन्तु संसद द्वारा पारित किसी अन्य कानून के अंतर्गत परिभाषित हैं, जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत उद्योग पर लागू हैं, तो उनका अभिप्राय वही होगा जो ऐसे कानून में नियत किया गया है।

3. पात्रता:

- 3.1 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि वे पहले से ही उन मानकों और शर्तों से अवगत हैं जिनकी फोटोवोल्टिक प्रणाली को ग्रिड/वितरणतंत्र में एकीकृत होने के लिये पूर्ति करनी चाहिये।
- 3.2 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम की वितरणतंत्र से फोटोवोल्टिक प्रणाली का कनेक्शन राज्यवितरण कोड और/या डिस्कॉम की सेवा की शर्तों और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग(ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित नवीकरणीयऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 और आगे कोई भी अन्य संशोधन की अपेक्षाओं से आबद्ध होगा। ग्रिड समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक)विनियम 2010 के अनुसार निर्दिष्ट विश्वसनीयता, सुरक्षा और गुणवत्ता के साथ कार्य करना जारी रखेगा।
- 3.3 जीएनएम के लिये पात्र सीए नंबरों की सूची उसी उपभोक्ता की होनी चाहिये, अर्थात् समान नाम वाली होनी चाहिये तथा ग्रुप नेट मीटरिंगके अंतर्गत बिलिंग में उपभोगित को समायोजित करने के लिये डिस्कॉम अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र में स्थित होनी चाहिये, साथ ही हस्ताक्षरित वचनबद्धता भी इस अनुबंध के अनुलग्नक-एफ में संलग्न है।

3.4 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि उन्होंने ग्रुप नेट-मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत कनेक्शन के लिये आवेदन किया है। पात्र उपभोक्ता ने ग्रुप नेट-मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत(संबंधित विभाग) से अनुरोध किया है कि उसने पर स्थित अपने परिसर में नेट मीटर उपकरण स्थापित करें, जहां रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता अपेक्षित सौर पैनल स्थापित करने जा रहे हैं/ पहले ही स्थापित कर चुके हैं।

4. तकनीकी तथा अन्तर्सम्बन्ध अपेक्षार्ये

4.1 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम के वितरण तंत्र से फोटोवोल्टिक प्रणाली को जोड़ने से पूर्व उसने एक पार्थक्य(आइसोलेशन)यंत्र(स्वचालित तथा इन्वर्टर के भीतर निर्मित व बाह्य हस्तचालित रिले दोनों) अधिष्ठापित कर लिये हैं या अधिष्ठापित कर लेगा तथा आवश्यक होने पर, इस तक डिस्कॉम के अभिगमन तथा इसके परिचालन तथा वितरण तंत्र की मरम्मत एवं संधारण की सहमति देता है।

4.2 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम के तंत्र पर विद्युत-बन्दी की दशा में, फोटोवोल्टिक प्रणाली बंद हो जायेगी, जब तक कि फोटोवोल्टिक प्रणाली पर विशेष स्थानांतरण और पार्थक्य(आइसोलेशन)क्षमताएं अधिष्ठापित नहीं की जातीं।

4.3 नेट मीटर और नवीकरणीय ऊर्जा मीटर की तकनीकी विशिष्टता डिस्कॉम के अनुरूप होनी चाहिये।

4.4 वितरण तंत्र से जुड़े सभी उपकरण, सुसंगत अन्तर्राष्ट्रीय(आईईई/आईसी)या भारतीय मानकों (बीआईएस) के अनुवर्ती होंगे तथा विद्युतीय उपकरणों की अधिष्ठापना समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय विद्युत नियम, 1956 केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2013 की अनुपालना में होंगे।

- 4.5 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि डिस्कॉम इंटरफेस/अन्तर्सम्बन्ध बिन्दु तथा मीटरिंग बिन्दु निधारित करेगा।
- 4.6 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय मानकों और/या आयोग/डिस्कॉम द्वारा प्रदान किये गये अन्य ऐसे उपायों के अनुसार विद्युत गुणवत्ता उपायों का अनुसरण/पालन करने के लिये सहमत हैं।
- 4.7 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा मांगे जाने पर अपने सिस्टम में वोल्टेज, आवृत्ति, ब्रेकर, आइसोलेटर स्थिति जैसे सभी डेटा प्रस्तुत करने के लिये सहमत हैं। पात्र उपभोक्ता वास्तविक समय परिचालन डेटा के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करेंगे।
- 4.8 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को प्रारम्भ करने के लिये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे और वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदन की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे।
- 4.9 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि(संबंधित विभाग) पारदर्शिता और सुविधा के लिये नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के आवेदन और पंजीकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी अपनी वेबसाइट या वेब पोर्टल पर रख सकता है।

5. सुरक्षा:

- 5.1 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 2010 का अनुपालन करेंगे।

- 5.2 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि फोटोवोल्टिक प्रणाली का डिजाइन, अधिष्ठापन, संधारण और संचालन फोटोवोल्टिक प्रणाली के साथ-साथ डिस्कॉम के वितरण तंत्र की सुरक्षा के अनुकूल तरीके से किया जायेगा।
- 5.3 सुरक्षित और विश्वसनीय वितरण तंत्र के संधारण के लिये डिस्कॉम की बाध्यता के कारण, रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि यदि डिस्कॉम द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि पात्र उपभोक्ता की फोटोवोल्टिक प्रणाली अन्य वितरण तंत्रों के उपभोक्ताओं या डिस्कॉम की आस्तियों को क्षतिग्रस्त करती है और/या प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करती है, रेस्को एवं पात्र उपभोक्ताओं को डिस्कॉम के निर्देश पर फोटोवोल्टिक प्रणाली को वितरण तंत्र से तुरंत विच्छेद करना होगा तथा पुनः कनेक्शन से पहले स्वयं के व्यय पर समस्या का समाधान करना होगा।
- 5.4 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि नेट मीटरिंग के पश्चात् फोटोवोल्टिक प्रणाली में कोई भी परिवर्तन/प्रत्यावर्तन/संशोधन/नई क्षमता का परिवर्धन केवल डिस्कॉम से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जायेगा, जो डिस्कॉम द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आवश्यक परीक्षण प्रमाण पत्र(पत्रों) और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् ही जारी किया जायेगा।

6. निर्बाधन तथा स्वीकृतियां

पात्र उपभोक्ता फोटोवोल्टिक प्रणाली को वितरण तंत्र से जोड़ने से पूर्व सभी आवश्यक स्वीकृतियां तथा निर्बाधन (पर्यावरणीय तथा ग्रिड कनेक्शन संबंधी) प्राप्त करने के लिये सहमति देता/देती हैं।

7. अभिगमन तथा विच्छेदन

- 7.1 डिस्कॉम हर समय मीटरिंग उपकरणों तथा फोटोवोल्टिक सिस्टम को विच्छेदित करने वाले साधनों (स्वतः तथा हस्तचालित दोनों) तक अभिगमन कर सकेगा।
- 7.2 आपात या विद्युत बन्दी (आउटेज) की स्थिति में, जहां विच्छेदित करने वाले साधनों स्वतः तथा हस्तचालित जैसे स्विच या ब्रेकर, तक अभिगमन उपलब्ध नहीं है, तो डिस्कॉम परिसर की सेवा विच्छेदित कर सकता है और ऐसे परिदृश्य में, पात्र उपभोक्ता को तत्काल विच्छेदन का उद्धारण करते हुये डिस्कॉम से आपत्ति करने या धनराशि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

8. दायित्व :

- 8.1 रेस्को, पात्र उपभोक्ता तथा डिस्कॉम, कनेक्शन तथा फोटोवोल्टेक प्रणाली या डिस्कॉम के वितरण तंत्र के परिचालन में किसी भी पक्षकार की लापरवाही या साभिप्राय दुराचरण से क्षतियों या प्रतिकूल प्रभाव के लिये एक दूसरे की क्षतिपूर्ति करेंगे।
- 8.2 रेस्को, डिस्कॉम तथा पात्र उपभोक्ता एक दूसरे के प्रति किसी भी हानि या लाभ या राजस्व, व्यवसाय अवरोध हानियां, संविदा की हानि या कीर्तिस्व (गुडविल) की हानि के लिये दायित्व या उदाहरणात्मक क्षतियों सहित परन्तु तक सीमित नहीं विशेष क्षतियों, चाहे उक्त में कोई भी दायित्व, हानि संविदा में पैदा हुयी हो या अन्यथा के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।
- 8.3 डिस्कॉम, पात्र उपभोक्ता द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये किसी भी वित्तीय या अन्य प्रोत्साहन के वितरण या वसूली के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

8.4 डिस्कॉम प्रणाली के प्रदर्शन/परिणामों/आउटपुट, लाभ आदि के संबंध में सभी वारंटी/गारंटी/मौखिक चर्चाओं से इनकार करता है और डिस्कॉम फोटोवोल्टिक प्रणाली की स्थापना/प्रदर्शन से संबंधित/उद्धृत किसी भी दावे के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।

9. ऊर्जा मीटरिंग लेखांकन और निपटान:

9.1. सौर संयंत्र से उत्पन्न समस्त ऊर्जा पात्र उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर सहमत अनुपात में रेस्को से रुपये/यूनिट की दर से क्रय की जायेगी। रेस्को और पात्र उपभोक्ताओं के मध्य बिलिंग चक्र.....होगा।

9.2. सौर संयंत्र से उत्पन्न इकाइयों को डिस्कॉम द्वारा पात्र उपभोक्ताओं के मासिक बिल में विद्युत विनियामक आयोग विनियम खंड के अनुसार परस्पर सहमत अनुपात में समायोजित किया जायेगा।

10. सिस्टम कनेक्टिविटी के लिये शर्तें

दोनों पक्षों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्रक्रिया के संबंध में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों का पालन करना होगा। कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये उपभोक्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

- सिंक्रोनाइजेशन सर्किट विवरण
- सुरक्षा रिपोर्ट
- सुरक्षा सर्किट विवरण
- सिस्टम के परीक्षण प्रमाणपत्र
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का योजनाबद्ध आरेख

11. कनेक्शन लागत

- 11.1 रेस्को, डिस्कॉम के प्राक्कलन के अनुसार मीटरिंग और अंतर्सम्बंध लागतों सहित फोटोवोल्टेक प्रणाली स्थापित करने की समस्त लागतें वहन करेगा।
- 11.2 रेस्को आवश्यक होने पर फोटोवोल्टेक प्रणाली को जोड़ने के लिये वांछित वितरण सुविधाओं के आशोधन तथा उन्नयन की वास्तविक लागत के भुगतान के लिये सहमत है।
- 11.3. आइसोलेटर, मीटर आदि सहित अन्तर्सम्बन्ध उपकरणों की लागत भी पात्रउपभोक्ताओं द्वारा वहन की जायेगी।

12. समाप्ति

- 12.1 इस अनुबंध की अवधि प्रारूपिक सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र के जीवनकाल की होगी, जो 25 वर्ष या डिस्कॉम के पास अनुज्ञप्ति की वैधता तक, जो भी पहले हो, जब तक कि इस अनुबंध को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार अन्यथा समाप्त नहीं कर दिया जाता।
- 12.2 रेस्को, पात्र उपभोक्ता/उपभोक्ताओं (संयुक्त रूप से)या डिस्कॉम किसी भी समय समझौते के दूसरे पक्ष को 90 दिन का पूर्व नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकते हैं। जबकि यह स्पष्ट किया गया है कि डिस्कॉम द्वारा जारी किये जाने वाले समाप्ति नोटिस के मामले में यह पात्र उपभोक्ताओं द्वारा नियुक्त प्रमुख उपभोक्ता एवं रेस्को को जारी किया जायेगा।
- 12.3 रेस्को एवं पात्र उपभोक्ता सहमति देते हैं कि इस अनुबंध की समाप्ति पर, उन्हें यथासमय तथा डिस्कॉम की संतुष्टि तक फोटोवोल्टिक प्रणाली को डिस्कॉम की वितरण तंत्र से विच्छेद करना होगा।

13. प्राथमिकता में परिवर्तन:

- 13.1 डिस्कॉम को कम से कम 2 माह पूर्व नोटिस देकर तथा सेवा कनेक्शनों की संशोधित सूची प्रस्तुत कर, पात्र उपभोक्ता को प्रत्येकवित्तीय वर्ष के प्रारंभ में एक बार सेवा कनेक्शनों की सूची में दी गयी प्राथमिकता को बदलने का अधिकार होगा।
- 13.2 पात्र उपभोक्ता को प्राथमिकता में प्रस्तावित ऐसे परिवर्तन और सेवा कनेक्शनों की सूची में संशोधन के समय लागू ग्रुप नेट मीटरिंग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 13.3 उपभोक्ता, सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना/अधिष्ठापन के लिये तथा इसकी अधिष्ठापन की अवधि के दौरान, प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत तथा अपेक्षित सभी अनुमतियां/अनुज्ञा पत्र/अनुमोदन लेने के लिये दायी होगा/होगी।
- 13.4 सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र के अधिष्ठापन अवधि के दौरान तथा स्थापित करने पर, उपभोक्ता संयुक्त और अलग से डिस्कॉम/इसके कर्मचारियों/निदेशकों/अधिकारियों/सहयोगियों को सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना और/या संचालन और संधारण का उद्धरण करते हुये किसी भी व्यक्ति/एजेंसी/भूमि स्वामित्व एजेंसी/न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक-अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण से सभी लागत परिणामों, दायित्वों, दंड, क्षति/प्रतिपूर्ति आदि के दावे से क्षतिपूर्ति करेगा/करेगी।

14. अभिभावक और बाल उपभोक्ता :

कि इस समझौते के निष्पादन के समय, पात्र उपभोक्ता को अभिभावक उपभोक्ता और अन्य को संबंधित प्रयोज्यता प्राथमिकता के साथ बाल उपभोक्ता कहा जायेगा। कि डिस्कॉम द्वारा जारी की गयी सभी संसूचना के लिये डिस्कॉम को मूल उपभोक्ता के साथ ही संचार करने की स्वतंत्रता होगी, न कि प्रत्येक उपभोक्ता के साथ।

साक्षी में, जहां श्रीमान/सुश्री तथा श्रीमान/सुश्री पात्र उपभोक्ताओं की ओर से, श्रीमान/सुश्री रेस्को की ओर से और डिस्कॉम की ओर से श्रीमान/सुश्री इस समझौते से सहमत हैं।

स्थान:

दिनांक:

गवाह का नाम और हस्ताक्षर

पंजीकृत उपभोक्ता का नाम और हस्ताक्षर(जीएनएम आवेदक)

रेस्को का नाम और हस्ताक्षर

डिस्कॉम नोडल अधिकारी का

ग्रुप नेट-मीटरिंग के अंतर्गत निपटान की प्राथमिकता सूची में सीए संख्या को

समाविष्ट करने के लिये वचनबद्धता

में, ... पुत्र/पुत्री श्री निवासी

.....(जिसे आगे यथा “जीएनएम लाभार्थी” कहा जायेगा, इस शब्द का अर्थ

होगा और इसमें जिसमें निष्पादक, प्रशासक, वारिस, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे,

इसके द्वारा शपथ लेता हूं और निम्न प्रकार से घोषणा करता हूं :

- i. जीएनएम लाभार्थी अवगत है कि “जीएनएम आवेदक” द्वारा स्थित परिसर में ग्रुप नेट मीटरिंग कनेक्शन के लिये आवेदन किया गया है।

- ii. जीएनएम लाभार्थी अवगत है कि जीएनएम लाभार्थी का नाम/सीए नंबर जीएनएम योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये जीएनएम आवेदक द्वारा दिया गया है।
- iii. जीएनएम आवेदक को जारी किये गये जीएनएम कनेक्शन से जुड़े लाभों का जीएनएम लाभार्थी लाभ उठाना चाहता है, इसलिये इस तत्काल वचन को प्रस्तुत करते हुये इसमें दी गयी शर्तों की पुष्टि करता हूँ।
- iv. जीएनएम लाभार्थी इस बात की पुष्टि करता है और समझता है कि यह वर्तमान वचनबद्धता जीएनएम आवेदक द्वारा प्रस्तुत जीएनएम आवेदन पत्र का भाग होगी तथा इसमें दी गयी घोषणाओं और वचनबद्धताओं के अतिरिक्त समझी जायेगी।

यह कि जीएनएम लाभार्थी एतदद्वारा सहमत हैं और वचनबद्ध हैं:-

- क. जीएनएम लाभार्थी..... परिसर में स्थापित सीए संख्या के लिये पंजीकृत उपभोक्ता है, जबकि जीएनएम आवेदक परिसर का मालिक है।
- ख. यदि जीएनएम आवेदक को जारी किये गये जीएनएम कनेक्शन के लाभों में सीए संख्या को जीएनएम आवेदन में जीएनएम आवेदक द्वारा अनुरोधित/सहमत तरीके से जोड़ा जाता है, तो जीएनएम लाभार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।
- ग. जीएनएम लाभार्थी एतदद्वारा सहमत है और वचनबद्ध है कि उसे सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित जीएनएम योजना के अंतर्गत जमा किये गये लाभ, बिलिंग इकाइयों की गणना के लिये कोई आपत्ति नहीं होगी।
- घ. जीएनएम लाभार्थी एतद्वारा सहमत है और वचनबद्ध है कि यूनिटों की गणना या उससे संबंधित मुद्दों के लिये, बिलिंग यूनिटों को जीएनएम दिशानिर्देशों या किसी अन्य

मुद्दे के आधार पर डिस्कॉम द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इससे जीएनएम लाभार्थी द्वारा(संबंधित विभाग) के विरुद्ध कोई भी दावा नहीं किया जायेगा।

- इ. जीएनएम लाभार्थी ने जीएनएम आवेदक को ग्रुप नेट मीटिंग के लाभों के लिये जीएनएम लाभार्थी के समावेशन के लिये अपनी सहमति दे दी है और समझता है कि जीएनएम लाभार्थी का नामांकन जीएनएम आवेदक के विवेकाधिकार पर है और जीएनएम आवेदक, सभी समयों पर, बिना किसी पूर्व सूचना के जीएनएम लाभार्थी के अनुक्रम को बदलने और/या जीएनएम लाभार्थी को लाभों से हटाने के लिये स्वतंत्र होगा और इससे जीएनएम लाभार्थी द्वारा डिस्कॉम के विरुद्ध कोई भी दावा नहीं किया जायेगा।
- च. जीएनएम लाभार्थी को ग्रुप नेट मीटिंग के लाभों से जीएनएम लाभार्थी के समावेशन करने/हटाने से संबंधित सभी कानूनी मुकदमों/दावों/कार्यवाही/दायित्वों से डिस्कॉम को हर समय क्षतिपूरित करना होगा।
- छ. जीएनएम लाभार्थी डिस्कॉम द्वारा मांगे जाने पर डिस्कॉम के पास आवश्यक दस्तावेज और अनुमतियां जमा करने का वचन देता है।
- ज. जीएनएम लाभार्थी को संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेनी होगी तथा उसे डिस्कॉम को प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि डिस्कॉम द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।
- झ. जीएनएम लाभार्थी इस बात की पुष्टि करता है और सहमत है कि इस वचनबद्धता में उल्लिखित शर्तों और उसके द्वारा सहमत अन्य शर्तों के उल्लंघन के मामले में,

डिस्कॉम को जीएनएम लाभार्थी को ग्रुप नेट मीटरिंग के लाभों से वंचित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

जीएनएम लाभार्थी के हस्ताक्षर

सत्यापन :

.....(शहर और राज्य का नाम लिखें) पर सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त स्व-घोषणा की विषय-वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। यह घोषित किया जाता है कि ग्रुप नेट मीटरिंग (जीएनएम) आवेदन की आवश्यक प्रक्रिया के लिये डिस्कॉम द्वारा प्रदान किये गये कनेक्शन समझौते में कोई शब्द और/या कोई कथन संशोधित/परिवर्तित/पुनर्गठित नहीं किया गया है।

जीएनएम लाभार्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक VII

अ. कोड और मानक

बीईएसएस निम्नलिखित कोड और मानकों या समकक्ष भारतीय मानकों, जैसा भी लागू हो, का अनुपालन करेगा।

मानक	विवरण	प्रमाणन आवश्यकताएँ
IEC62485-2	द्वितीयक बैटरियों और बैटरी स्थापना के लिये सुरक्षा आवश्यकताएँ-निर्माण, उपयोग, निरीक्षण, रखरखाव और निपटान से जुड़े सुरक्षा पहलुओं की	केवल लेड एसिड और NiCd/NiMH बैटरियों के लिये लागू

	आवश्यकताओं को पूरा करना: लेड एसिड और एमआईसीडी / एमआईएमएच बैटरीज	
UL1642orUL1973 Appendix E (cell) or IEC62619(cell) + IEC 63056 (cell)	द्वितीयक सेल बैटरियाँ जिनमें क्षारीय या अन्य गैर-अम्लीय इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं- औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिये द्वितीयक लिथियम कोशिकाओं और बैटरियों के लिये सुरक्षा आवश्यकताएँ	सेल के लिये आवश्यक
UL 1973 (battery) or (IEC62619 (battery) +IEC 63056 (battery)	स्थिर, वाहन सहायक शक्ति और लाईट विद्युत रेल (एलईआर) अनुप्रयोगों में उपयोग के लिये बैटरियाँ/क्षारीय या अन्य गैर-अम्लीय इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त द्वितीयक सेल और बैटरियाँ औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिये द्वितीयक लिथियम कोशिकाओं और बैटरियों के लिये सुरक्षा आवश्यकताएँ	बैटरी स्तर के लिये UL 1642 या UL 1973 या (IEC62619 + IEC63056)
IEC62281/UN 38.3	परिवहन के दौरान प्राथमिक और द्वितीयक लिथियम कोशिकाओं और बैटरियों की सुरक्षा : लिथियम	बैटरी और सेल दोनों के लिए आवश्यक

	आयन रसायनों का उपयोग करने वाली भंडारण प्रणालियों के लिये लागू	
IEC61850-DNP3	संचार नेटवर्क और प्रबंधन प्रणालियाँ.(बीईएसएस नियंत्रण प्रणाली संचार)	
UL9540 or (IECTS 62933- 5-1 + IEC 62933 – 5-2	विद्युत ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ(ईईएस)-भाग 5-1: ग्रिड एकीकृत प्रणालियों के लिये(ईईएस) सुरक्षा संबंधी विचार-ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और उपकरणों के लिये सामान्य विनिर्देश/मानक	बीईएसएस सिस्टम स्तर के लिये या तो UL9540 या (IEC 62933-5-1 + IEC 62933-5-2) आवश्यक है

बीईएसएस के लिये पावर कंडीशनिंग यूनिट मानक

IEC62909-1	द्वि-दिशात्मक ग्रिड से जुड़े पावर कन्वर्टर-भाग 1: सामान्य आवश्यकताएँ
IEC62909-2 (if applicable)	द्वि-दिशात्मक ग्रिड से जुड़े पावर कन्वर्टर-भाग 2: जीसीपीसी और वितरित ऊर्जा संसाधनों का इंटरफ़ेस
IEC61683Ed-1	फोटोवोल्टिक प्रणालियाँ-पावर कंडीशनर-दक्षता मापने की प्रक्रिया
IEC61000-6-2Ed-2	विद्युत चुम्बकीय अनुकूलता (ईएमसी)-भाग 6-2: सामान्य मानक-औद्योगिक वातावरण के लिये प्रतिरक्षा मानक
IEC61000-6-4Ed-2.1	विद्युत चुम्बकीय संगतता (ईएमसी)-भाग 6-4: सामान्य मानक-औद्योगिक

	वातावरण के लिए उत्सर्जन मानक
IEC62116Ed- 2	उपयोगिता-अंतर्संबंधित फोटोवोल्टिक इन्वर्टर-आइलैंडिंग रोकथाम उपायों की परीक्षण प्रक्रिया
IEC60068-2-1:2007	पर्यावरण परीक्षण-भाग 2-1:परीक्षण-परीक्षण ए:ठंडा
IEC60068-2-2:2007	पर्यावरण परीक्षण-भाग 2-2:परीक्षण-परीक्षण बी:शुष्क ताप में
IEC60068-2-14:2009	पर्यावरण परीक्षण-भाग 2-14:परीक्षण-परीक्षण N:तापमान में परिवर्तन
IEC60068-230:2005	पर्यावरण परीक्षण-भाग 2-30:परीक्षण-परीक्षण Db: नमऊष्मा,चक्रीय(12 घंटे +12 घंटे चक्र)

आ. सामान्य विनिर्देश

1. पहचान और अनुमार्गणीयता:

सेल/रैक/पैक असेंबली को बीईएसएस के संयंत्र स्थान के लिये भूकंपीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। सेल/बैटरियों की लेबलिंग में निर्माता का नाम, सेल का प्रकार, नेम-प्लेट रेटिंग, निर्माण की तिथि और पुरजों के अवसान की तिथि तथा श्रम वारंटी शामिल होगी।

2. अन्य उपप्रणालियाँ/घटक:

बीईएसएस में प्रयुक्त अन्य उप-प्रणालियों/घटकों को अपेक्षित सेवा जीवन और मौसम प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक गुणवत्ता के अलावा विद्युत सुरक्षा के लिये प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भी होना चाहिये।

3. अग्नि सुरक्षा:

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकासक (बीईएसएसडी) राष्ट्रीय और स्थानीय कोड के अनुरूप अग्नि सुरक्षा प्रणाली डिजाइन करेगा और स्थापित करेगा। अग्नि सुरक्षा प्रणाली के डिजाइन और संबंधित अलार्म में यह ध्यान रखा जायेगा कि अधिकांश समय बीईएसएस उपेक्षित रहेगी। उच्च ऊर्जा घनत्व प्रौद्योगिकियों के लिये, बीईएसएसडी बैटरी भंडारण प्रणालियों का थर्मल रनवे लक्षण-वर्णन भी प्राप्त करेगा।

4. अधिकृत परीक्षण केंद्र:

विद्युत संयंत्रों में लगायी गयी बैटरियों/पावर कंडीशनिंग इकाइयों के पास उपरोक्त निर्दिष्ट आईसी/बीआईस मानकों के अनुसार उनकी योग्यता के लिये आईएलएसी सदस्य हस्ताक्षरकर्ता मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में से किसी एक द्वारा जारी वैध परीक्षण प्रमाणपत्र होना चाहिये। ऐसे मॉड्यूल प्रकार/बीईएसएस/उपकरणों के मामले में जिनके लिये ऐसी परीक्षण सुविधायें वर्तमान में भारत में उपलब्ध नहीं हैं, विदेश में प्रतिष्ठित आईएलएसी सदस्य निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त परीक्षण प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होंगे।

5. वारंटी:

बीईएसएसडी निविदा दस्तावेज/आरएफएस दस्तावेज की शर्तों के अनुसार पूर्वनिर्धारित आवेदन(नों)के लिये न्यूनतम निष्पादन स्तर सुनिश्चित करने के लिये निष्पादन गारंटी प्राप्त करेगा। वारंटी में अनुप्रयोग के लियेप्रदान की गयी डिस्चार्ज प्रोफाइल के अनुसार उपयोगी-जीवन प्रत्याशा का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

इ. निष्पादन निगरानी

निष्पादन निगरानी के अंश के रूप में, निम्नलिखित कार्य किये जायेगे:

- (क) बीईएसएसडी को बीईएसएस परिचालन मापदंडों (वोल्टेज, करंट, परिवेशीय स्थिति आदि सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) के साथ-साथ बीईएसएस में ऊर्जा इनपुट और बीईएसएस से ऊर्जा आउटपुट को निरंतर मापने के लिये आवश्यक उपकरण स्थापित करने होंगे, साथ ही विद्यमान विनियमों के अनुसार मीटरिंग व्यवस्था भी करनी होगी। उन्हें यह डेटा अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान हर महीने नियमित आधार पर ऑनलाइन और/या पोर्ट के माध्यम से संबंधित अधिकारियों/संगठनों को प्रस्तुत करना होगा।
- (ख) एसपीडी संबंधित प्राधिकारियों/संगठनों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को डेटा के ऑन-लाइन हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिये किसी भी अतिरिक्त निगरानी उपकरण स्थापित करने हेतु पहुंच प्रदान करेंगे।
- (ग) अनुबंध की पूरी अवधि के लिये सभी डेटा ऊपर बताए अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
- (घ) संयंत्र SCADA OPC संस्करण 2.0 (या OPC UA सहित उत्तरकाल का संस्करण) अनुरूप होना चाहिये और OPC फाउंडेशन के विनिर्देश के अनुसार उपयुक्त OPC-DA सर्वर को कार्यान्वित करना चाहिये। संबंधित प्राधिकारियों/संगठनों को वास्तविक समय ऑनलाइन डेटा (बीईएसएस पैरामीटर) प्रदान करने के लिये सभी डेटा इस ओपीसी सर्वर के माध्यम से सुलभ होने चाहिये। यह समय श्रृंखला डेटा निगरानी की सुविधा के लिये परियोजना SCADA प्रणाली से उपलब्ध होगा और इसमें पहले बताये गये अन्य के अलावा, प्रदर्शन निगरानी के लिये दैनिक, मासिक और वार्षिक रिपोर्ट की सुविधा के लिये पैरामीटर शामिल होने चाहिये।
- (ङ) वेब-आधारित निगरानी उपलब्ध होनी चाहिये, जो मशीन पर निर्भर नहीं होनी चाहिये। वेब आधारित निगरानी में संयंत्र में उपलब्ध स्क्रीन जैसी ही स्क्रीन उपलब्ध करायी

जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ वेब-क्लाइंट से पीडीएफ या एक्सेल प्रारूप में रिपोर्ट डाउनलोड करना भी संभव होना चाहिये।

ई. बीईएसएस से यूनिट बैटरियों का सुरक्षित निपटान

विकासक खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 और समय-समय पर संशोधित के अंतर्गत लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा। बीईएसएसडी यह सुनिश्चित करेगा कि संयंत्र से सभी यूनिट बैटरी मॉड्यूलों का उनके जीवन की समाप्ति के पश्चात् (जब वे दोषपूर्ण/गैर-परिचालन/गैर-मरम्मत योग्य हो जाते हैं) सरकार द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित “ई-कचरा (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016” और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार निपटान किया जाये।

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Notification

Jaipur, October 13, 2025

No. RERC/Secy./Reg./ 159 - In exercise of powers conferred under Section 181 read with Sections 61, 66, 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other provisions enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission after previous publication, hereby makes the following Regulations for Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems:

2. Short title, commencement and extent of application:

- (1) These Regulations will be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) (Third Amendment) Regulations, 2025.

- (2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendment in Regulation 2:

- (1) The existing sub regulation 2.1(j) shall be substituted with the following:

"(j) "Eligible Consumer" or "Participating consumer" means a consumer of electricity in the area of supply of the Distribution Licensee, who uses or proposes to use a Renewable Energy generating system, to offset all or part or no part of the consumer's own electrical requirements, given that such systems may be owned and / or, operated by such consumer or Distribution Licensee or RESCO".

- (2) New definitions shall be added after sub regulations 2.1(cc) as under:

" 2.1(dd) Virtual net metering(VNM)" means an arrangement whereby entire energy generated / injected from a Renewable Energy System situated in single location or Battery Energy Storage System (BESS) charged through Renewable Energy System is exported to the grid from renewable energy meter/ gross meter and the energy exported is adjusted in more than one electricity service connection(s) of participating consumers located within the same distribution licensee's area of supply;”

"2.1(ee) Group Net Metering (GNM)" means an arrangement whereby surplus energy generated / injected from a Renewable Energy System situated in single location or Battery Energy Storage System (BESS) charged through Renewable Energy System is exported to the grid through Net Meter and the exported energy is adjusted in more than one electricity service connection(s) of the same consumer located within the same distribution licensee's area of supply;

“2.1(ff) Lead Consumer” means the person who is himself a participating consumer and is nominated by other participating consumers under Virtual Net Metering for making all correspondence on their behalf with the Distribution Licensee.

Responsibilities of Lead Consumer:

- i. He/she shall be a one of the participating consumers under Virtual Net Metering and be a signatory to Net Metering Agreement on behalf of participating consumers.*
- ii. He/she shall act as a Nodal person for all correspondence with Distribution Licensee.*
- iii. Any change in the Lead Person has to be communicated in writing with approval from all the participating consumers."*

4. Amendments in Regulation 3:

- (1) The existing sub regulation 3.2 main provision shall be substituted with the following:

- (a) Net Metering arrangements;*
- (b) Net Billing arrangements;*
- (c) Group Net Metering*
- (d) Virtual Net Metering*
- (e) Peer to Peer (P2P) Trading*
- (f) Grid Interactive Distributed Renewable Energy generating systems connected behind the meter and operating in parallel with Distribution Licensees' grid and who have not opted either for Net Metering arrangement or Net Billing arrangement or Virtual Net Metering or Group Net Metering:*
- (g) Plug and play solar system*

- (2) New provisos below existing provisos in sub regulation 3.4 shall be inserted as following:

"Provided also that, the consumer, who has opted for Net Metering arrangement, shall be allowed to enter into GNM or VNM only after termination of existing

connection agreement.

Provided further that A prosumer having Net billing arrangement will not be entitled for virtual net metering or Group net metering arrangement under these Regulations.”

5. Amendments in Regulation 4:

- (1) The existing sub regulation 4.1 main provision shall be substituted with the following:

“4.1 The Distribution Licensee shall offer the provision of Net Billing arrangement, Net Metering arrangement, Group Net Metering or Virtual Net Metering to the Eligible Consumer, who intends to install Grid Interactive Distributed Renewable Energy generating system in its area of supply on nondiscriminatory and ‘first come first serve’ basis:”

- (2) The existing sub regulation 4.2 shall be substituted with the following:

“Consumers having pending arrears with the Distribution Licensee shall not be eligible for Net Billing arrangement, Net Metering arrangement, Group Net Metering or Virtual Net Metering under these Regulations:

Provided that, where there is a dispute between the Distribution Licensee and the consumer, relating to any charge for electricity, such consumers shall be allowed Net Metering, Net Billing, Group Net Metering arrangement and Virtual Net Metering arrangement, pending such resolution of such dispute upon deposit of the disputed amount with the Distribution Licensee in accordance with Section 56 of the Act.

Provided further that, notwithstanding the pendency of arrears, Government connections, may be permitted conditional participation, subject to such arrangements and conditions as may be deemed fit to the Discoms.”

6. Amendment in Regulation 5:

The words “Net Metering” shall be replaced with the words “Net Metering or GNM or VNM” in this regulation.

7. Amendments in Regulation 6:

- (1) The existing sub regulation 6.2 shall be substituted with the following:

“The Distribution Licensee shall update the information about distribution transformer level capacity available for connecting Renewable Energy generating system under Net Billing arrangement, Net Metering arrangement, Group Net Metering or Virtual Net Metering on yearly basis and shall provide the information on its website.”

8. Amendments in Regulation 7:

- (1) In the existing sub regulation 7.1 & 7.3, the words “Net Billing arrangement or Net Metering arrangement” shall be replaced by the words “Net Billing arrangement, Net Metering arrangement, Group Net Metering or Virtual Net Metering”.

- (2) New sub regulation 7.7 shall be added as under:

“Open access shall be allowed to eligible consumers/ prosumers under Group Net Metering and Virtual Net Metering connections only for the purpose of wheeling of energy to the beneficiary consumers/ connections of the same consumer as the case may be.

Third party sale shall not be allowed under Net Metering, Group Net Metering, Virtual Net Metering and Net Billing arrangements except for RESCO model permitted under these regulations.

In case of Virtual Net Metering or Group Net Metering connections, charges and losses shall be levied on the beneficiary consumers as specified in regulation 15 of these regulations.”

9. Amendments in Regulations 8:

The existing sub regulation 8.8 shall be replaced with the following:

“For installation of Renewable Energy Generating systems, the technical feasibility study shall be completed within a period of fifteen days and the outcome of the study shall be intimated to the applicant, failing which it shall be presumed that the proposal is technically feasible.

Provided that the applications for Renewable Energy Generating systems up to 10 kW capacity under only Domestic Category, under Net Metering or Virtual Net Metering or Group Net Metering arrangement, complete in all respects shall be deemed to have been accepted without requiring technical feasibility study and any commensurate enhancement of the sanctioned load of the consumer, as may be required, shall be carried out by the Distribution Licensee. For connections falling under other than domestic category, no such facility of deemed feasibility shall be provided.

Provided also that for Virtual Net Metering or Group Net Metering, in the case of existing consumers or generating system already connected to the system, the technical feasibility study shall be completed within a period of fifteen (15) days and the outcome of the study shall be intimated to the consumers, failing which it shall be presumed that the proposal is technically feasible.

Provided further that for Virtual Net Metering or Group Net Metering, in case of new consumers or generating system seeking fresh connectivity, the technical feasibility study shall be completed within a period of thirty (30) days and the outcome of the study shall be intimated to the consumers, failing which it shall be presumed that the proposal is technically feasible.

Provided also that for Virtual Net Metering or Group Net Metering, connectivity to the consumer or generating system, shall be granted by the Distribution Licensee within thirty (30) days from the date on which the consumers or generating system is declared technically feasible or deemed technically feasible, as the case may be.”

10. Amendment in Regulation 9.1 and 9.2:

The words “Net Metering” shall be replaced with the words “Net Metering or Group Net Metering or Virtual Net Metering” in this regulation.

11. Amendments in Regulation 10:

New sub regulation 10.15 shall be added as under:

"10.15. The technical standards & power quality standards of BESS shall be as per Annexure - VII of these Regulations or any other standards as may be specified by CEA/Ministry of Power (MoP) from time to time."

12. Amendments in Regulation 12:

New sub regulation 12.6 (A) shall be added as under:

“Group and Virtual Net Metering arrangement:

12.6(A).1 The Eligible Consumer may install the Renewable Energy generating system under the Group Net Metering arrangement and Virtual Net metering arrangement specified in these Regulations, subject to following proviso that the system,

(a) shall be within the permissible technical limits as defined under these Regulations.

(b) shall operate safely in parallel with the Distribution Licensee's network.

Provided that Group Net Metering arrangement and Virtual Net Metering arrangement shall be applicable to all categories of the consumers.”

12.6(A).2. Group Net Metering arrangement and Virtual Net Metering arrangement specified in these Regulations through Renewable Energy Service Company (RESCO) owned Renewable Energy generating system or, Utility Led Aggregator developed or owned Renewable Energy generating system shall be permitted:

Any land owner may lease out / rent the Rooftop Space/ Land/ Water bodies to a RESCO or Utility Led Aggregator on a mutual commercial arrangement for setting up Renewable Energy generating system under any arrangement specified in these Regulations. The Distribution Licensee shall not have any role in such mutual commercial arrangement under RESCO mode.

- 12.6(A).3. *The maximum Renewable Energy generating system capacity to be installed shall not exceed 100% of the cumulative Sanctioned Load/ Contract Demand of the participating consumers/connections:*

“Provided that, the eligible Sanctioned Load/Contract Demand of the individual participating consumer/connection shall be allowed up to its Sanctioned Load/Contract Demand.”

Provided that the capacity of Renewable Energy generating systems shall be in conformity with the provisions relating to Sanctioned Load/ Contract Demand permissible under the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code & Connected Matters) Regulations, 2021 and subsequent amendments thereto.

- 12.6(A).4. *The capacity of Renewable Energy generating system to be installed under Virtual net metering or Group net metering shall be more than one kilo watt subject to the following conditions:*

Provided that, the capacity of Renewable Energy generating system to be installed shall be up to one mega-watt under Virtual net metering or Group net metering arrangements specified under these Regulations:

Provided further that, in case the Eligible Consumer intends to install Renewable Energy generating system having capacity of more than one mega-watt, terms and conditions of such arrangement shall be governed as per the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2020 and subsequent amendments thereof and RERC (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2025 and subsequent amendments thereof.

Provided further that consumers having a contract demand of 100 kW or more and up to 1 MW may exercise an option to avail either Virtual Net Metering/Group Net Metering or Green Energy Open Access.

12.6(A).5. The maximum Renewable Energy generating system capacity to be installed at consumer premises under Group net metering arrangement shall also be subject to the cumulative capacity of the relevant Distribution Transformer, which has already been utilized, as specified in these Regulations.

12.6(A).6. HT (11 kV and above) Consumers opting for Group net metering, may install and connect such permitted Renewable Energy generating system under these regulations at their LT Bus Bar System:

Provided that, in such cases, the Net Meter shall be installed on the HT side of the Consumer's Transformer.

12.6(A).7. An eligible Consumer under Group net metering may install or enhance the capacity of, or upgrade the Renewable Energy generating systems after following due procedure and intimating the concerned Distribution Licensee:

Provided that, the total capacity of such systems within the same premises shall not exceed the capacity limits specified in these Regulations.

12.6(A).8. The Eligible Consumer who proposes to install a Renewable Energy generating system under Group net metering or Virtual net metering arrangement shall follow the procedures of application as specified in Regulation 8 and shall apply in the application form (Model form at Annexure – IV -C), which the Distribution Licensee shall notify on its website.

12.6(A).9. *The Distribution Licensee and Eligible Consumer shall enter into a Connection Agreement for Group Net Metering arrangement or, Virtual Net Metering, after approval of connectivity of Renewable Energy generating system with the distribution network, but before the start of actual generation from the System as specified in Regulation 9. A model Virtual Net Metering Connection Agreement and Group Net Metering Connection Agreement is provided at Annexure-IV-D.*

12.6(A).10. *All Renewable Energy generating system and allied equipment installed under Virtual net metering arrangement and Group net metering arrangement will conform to the standards and requirements specified in Regulation 10.*

12.6(A).11. *All metering systems under Group net metering and Virtual net metering shall be as per the provision specified in Regulation 11 and CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 and subsequent amendments thereof.*

Accounting for Group Net Metering:

12.6(A).12. *In case of Group Net Metering, energy accounting and settlement shall be dealt with as under:*

a) If the quantum of electricity exported by a consumer exceeds the quantum imported at the connection where Renewable Energy generating system is located during the Billing Period, the excess quantum shall be adjusted against the energy consumed in the monthly bill of service connection(s) in a sequence indicated in the priority list provided by the Consumer. The sequence of priority for adjustment shall be deemed to have begun with the service connection where the Solar Project is located.

b) The priority list for adjustment of the balance surplus energy against

other electricity connection(s) may be revised by the participating consumer only once at the beginning of every financial year with an advance notice of two months;

c) If the adjusted excess quantum of electricity exceeds the quantum imported during the Billing Period of service connection(s) under Group Net Metering, the excess quantum shall be purchased by the Distribution Licensee as specified in Regulation 12.6.1 (a) with amendments thereof.

d) For Time of Day (ToD) Consumers: The quantum of electricity injection at renewable energy generating systems in any time block (e.g., peak hours, off-peak hours, etc.) shall be first compensated with the quantum of electricity imported in the corresponding time blocks in the same billing cycle of the Consumer where renewable energy generating system is located, and any excess energy injected in any time block shall be adjusted against the energy drawl in the monthly bill of service connection(s) in a sequence indicated in the priority list provided by the Consumer, as if the excess Energy Credits occurred during the off peak time block for Time of Day (ToD) Consumers. The order of settlement of such excess energy injected shall be from the lowest tariff to highest tariff ToD time block.

e) Where the service connection, where Renewable Energy generating system is located, is disconnected due to any reason under any law for the time being in force, the unadjusted units/remaining credits of that consumer shall be paid by the Distribution Licensee at the end of the financial year and shall be subjected to settlement of any pending dues of that service connection as specified in Regulation 12.6.1 (a) with amendments thereof.

f) If the quantum of electricity Units imported by the Eligible Consumer during any Billing Period exceeds the quantum exported/allocated, the net electricity consumption shall be treated according to the regulation 12.6.1(b), as amended from time to time.

Accounting for Virtual Net Metering:

12.6(A).13. In case of Virtual Net Metering, the energy accounting and settlement shall be dealt with as under:

a) The energy generated from the Renewable Energy generating system shall be credited in the monthly electricity bill of each participating consumer(s) as per the ratio of procurement from Renewable Energy generating system indicated under the agreement/MoU entered on a stamp paper by the Consumer(s) and submitted to the Distribution Licensee;

b) The Consumer(s) shall have the option to change the share of credit of electricity from Renewable Energy generating system by submitting a fresh Agreement/MoU on a stamp paper only once at the beginning of the financial year with an advance notice of two months;

c) The commercial arrangement for setting up and operating Renewable Energy generating system under Virtual net Metering between the participating Consumer(s) will be mutually agreed and the Distribution Licensee will not have any role in such commercial arrangement.

For such consumer(s), if the adjusted excess quantum of electricity exceeds the quantum imported during the Billing Period for any participating Consumer under Virtual Net Metering, the excess quantum shall be purchased by the Distribution Licensee as specified in Regulation 12.6.1 (a) with amendments thereof.

d) For Time of Day (ToD) Consumers: The quantum of energy generated at the renewable energy generating systems in any time block (e.g., peak

hours, off-peak hours, etc.) shall be first compensated with the quantum of electricity drawal in the corresponding time blocks in the same billing cycle of the Participating Consumer, as a ratio specified for each of the participating consumers. Any surplus generation over drawal in any time block in a billing cycle shall be accounted as if the surplus generation /energy credits occurred during the off-peak time block for Time of Day (ToD) Consumers. The order of settlement of such excess energy injected shall be from the lowest tariff to highest tariff ToD time block."

e) Where the service connection of any participating consumer(s) is disconnected due to any reason under any law for the time being in force, the unadjusted units/remaining credits of that consumer shall be paid by the Distribution Licensee at the end of the financial year and shall be subjected to settlement of any pending dues of the consumer(s) as specified in Regulation 12.6.1 (a) with amendments thereof;

f) If the quantum of electricity Units imported by the Eligible Consumer during any Billing Period exceeds the quantum exported/allocated, the net electricity consumption shall be treated according to the regulation 12.6.1(b), as amended from time to time.

12.6(A).14. In case of failure to meet the requirements under these Regulations, the Renewable Energy generating system or the Distribution Licensee, as the case may be, shall be liable to pay penalty as decided by the Commission from time to time."

13. Amendment in regulation 14.1

The words "Net Metering" shall be replaced with the words "Net Metering or Group Net Metering or Virtual Net Metering" in this regulation.

14. Amendments in Regulation 15:

- (1) New sub regulation 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 and 15.8 shall be added as under:

“Domestic Consumers (self owned and RESCO Owned) under VNM/GNM

15.4 The quantum of electricity generated from Renewable Energy generating system under Group Net Metering arrangement or Virtual Net Metering arrangement for domestic category consumer, shall be exempted from all charges viz banking charges, Transmission charges, Transmission losses, wheeling charges, wheeling losses, cross subsidy surcharge, and additional surcharge.”

“Other than Domestic consumers (Self Owned) under VNM/GNM

15.5 For other than domestic category, the quantum of electricity generated from the self-owned Renewable Energy generating system under Virtual and Group Metering arrangement, if installed on Eligible Consumer premises, shall be exempted from banking charges, Transmission charges, Transmission losses, wheeling charges, cross subsidy surcharge, wheeling losses and additional surcharge.

Provided that the quantum of electricity generated from the self-owned Renewable Energy generating system under Virtual and Group Metering arrangement, if installed at other place, shall be exempted from banking charges, Transmission charges, Transmission losses, cross subsidy surcharge, and additional surcharge.

Provided also that, if the generating plant is installed at any other location, wheeling charges and losses shall be applicable at the rate equivalent to applicable voltage level and if the same is not determined, the wheeling charges and losses of 11 KV level shall be applicable till the same is determined.

Other than Domestic consumers (RESCO owned) under VNM/GNM

15.6 The quantum of electricity generated from the RESCO-owned Renewable

Energy generating system under Virtual and Group Metering arrangement other than domestic consumer, if installed on Eligible Consumer premises, shall be exempted from banking charges , Transmission charges, Transmission losses, wheeling losses and wheeling charges.

Provided that the quantum of electricity generated from the RESCO-owned Renewable Energy generating system under Virtual and Group Metering arrangement other than domestic consumer, if installed at other place, shall be exempted from banking charges, Transmission charges and Transmission losses.

Provided also that, if the generating plant is installed at any other location, wheeling charges and losses shall be applicable at the rate equivalent to applicable voltage level and if the same is not determined, the wheeling charges and losses of 11 KV level shall be applicable till the same is determined.

Provided further that, cross subsidy surcharge and additional surcharge shall be applicable for such RESCO-owned Renewable Energy generating system under VNM/GNM, at the rate of 50% of cross subsidy surcharge and additional surcharge applicable for open access consumers.

Provided further that in case of consumer categories for which cross subsidy surcharge and additional surcharge has not been determined by the Commission, surcharge (cross subsidy plus additional surcharge), shall be applicable @ Rs 1.25/kWh for such category of consumers, till the same is revised by the Commission through a separate order.

Provided further that for Government connections availing supply under the Virtual Net Metering (VNM) or Group Net Metering (GNM) arrangements, whether under the self-owned or RESCO-owned model, no Cross Subsidy Surcharge or Additional Surcharge shall be applicable.

Waiver for Battery Energy Storage System

15.7 *Provided that waiver of 75% of wheeling charges be made applicable for Virtual Net Metering or, Group Net Metering connections including RESCO owned systems, with capacity of 5% of BESS installed. For BESS beyond 5% of solar capacity will be eligible for extra exemption of additional 1% Wheeling charges on enhancement of each 1% capacity of storage system up to 30% capacity. BESS beyond 30% of solar capacity, will be exempted from 100% Wheeling charges.*

Waiver of other charges

15.8 *Notwithstanding anything contrary contained in these Regulations, the requirement of payment of application fee, security deposit and meter testing charges, for domestic category consumers installing plants under the Net Metering, Virtual Net Metering and Group Net Metering arrangement, shall stand waived off till the achievement of the target of five lakh houses, or such other target as may be specified by the State Government for rooftop solar installations in the State.*

Provided that the requirement of execution of connection agreement, for domestic category consumers installing plants under Net Metering arrangement, shall stand waived off till the achievement of the target of five lakh houses, or such other target as may be specified by the State Government for rooftop solar installations in the State.

15. Amendment in regulation 17

- (1) *The words “Net metering systems” in regulation 17.1 shall be replaced with the words “Net metering, Group net metering systems and virtual Net Metering”.*

16. Amendment in regulation 19

Following new Regulation shall be added after regulation 19 as 19(A):

“19(A) The Commission may, by a separate order, implement Plug-and-Play Solar Systems and block chain based Peer-to-Peer (P2P) Trading, either suo-motu or upon filing of a suitable petition by the Distribution Licensees .”

By Order of the Commission

Babu Lal Goyal, IAS
Secretary.

1.	Name of Registered Consumer (Lead)	
2.	Address of Registered Consumer	
3.	K. No.	
4.	Email id of lead consumer (In Capital Letters)	
5.	Telephone no. of Consumer	Mobile No. WhatsApp No.
6.	For CAPEX: Name, Mobile No and email id of Installer (in Capital Letters)	
7.	For RESCO: Name, address, email id, contact number of the RESCO	
8.	Category (Please mention)	Domestic, Industrial, Commercial, Government Building, etc.
9	Supply Voltage Level (Please mention)	230 V, 415V, 11 kV and above

10	Aggregate sanctioned load, i.e. sum of sanctioned loads of the participating consumers as per Latest Electricity Bill (kW).	
11.	Type of Renewable Energy System Proposed (Solar, Wind, etc)	
12.	Capacity of Renewable Energy System Proposed to be connected (kW)	
13	Supply Voltage of Renewable Energy System Proposed to be connected (Please tick)	230 V (1-Phase): 415 V (3-Phase): 11 kV & above (3-Phase):
14	Location of Proposed Renewable Energy System	
15	Location Address of Renewable System	
16	Latitude (N) of Site	
17	Longitude (E) of site	
18	Area (sq-mtr)	

2. I / We hereby request you to provide grid connectivity to the Solar system installed or planning to be installed under VNM arrangement. Details supported by necessary evidence are furnished hereunder.

3. I / We declare that the information submitted for Virtual Net metering are checked and verified to best of my/ our knowledge and belief.

Enclosure: Necessary documents for Applicability as Per Annexure-IV-C-2

Place:

Date:

Signature of Participating Consumers with stamp (If any)

S.No.	K.No.	Sharing Ratio %	Address of each consumer in the list	ID Details of Eligible Consumers	Signature of Consumer
1					
2					

3					
4					
5					

Note: The List of consumers is indicative, with possibility to extend upto the requirement of the project.

FOR OFFICE USE ONLY

Application Form Number:	
Date of application:	

Annexure-IV-C-2: Necessary documents
for applicability (required to be
submitted with the application form)

S. No.	Required Documents	Attached (Yes / No)
1.	Agreement for VNM arrangement	
2.	Consumers' agreement for VNM	
3.	Self – attested Copy of ID Proofs (PAN / EPIC / Aadhar Card etc.,) of consumers	
4.	Proof of ownership of the site where Renewable Energy System is to be installed/already installed.	
5.	Self – attested Copy of ID Proofs (PAN / EPIC / Aadhar Card etc.,) of : i. EPC Contractor (for CAPEX mode) and ii. RESCO (for RESCO mode)	

To,

Annexure IV-C-3. Application form for Group Net Metering

_____ <Name of Administrative officer>

_____ <Name of Distribution licensee>

Subject: Application form for Group Net Metering Mechanism

I/We intend to connect Solar Power Plant System, in compliance of Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021 and any further amendments.

i. CAPEX Mode or ii. RESCO mode (Pls tick one)

1.	Name of Registered Consumer (Parent Connection where RE system is to be installed)	
2.	Address of Registered Consumer	
3.	K. No.	
4.	Email ID (In Capital Letters)	
5.	Telephone No. of Consumers	Mobile No. WhatsApp No.
6.	For CAPEX: Name, Mobile No and email id of Installer (in Capital Letters)	
7.	For RESCO: Name, address, email id, contact number of the RESCO	
8.	Category (Please tick)	Domestic, Industrial, Commercial, Government Building, etc
9	Supply Voltage Level (Please tick)	230 V, 415V, 11 kV and above
10	Sanctioned Load as per Latest Electricity Bill (kW)	
11.	Type of Renewable Energy System Proposed (Solar, Wind, etc)	

12.	Capacity of Renewable Energy System Proposed to be connected (kW)	
13	Supply Voltage of Renewable Energy System Proposed to be connected (Please tick)	230 V (1-Phase): 415 V (3-Phase): 11 kV & above (3-Phase):
14	Location of Proposed Renewable Energy System (Please tick)	Rooftop Solar System: Ground Mounted System:
15	Latitude (N) of Site	
16	Longitude (E) of site	
17	Area (sq-mtr)	

I / We hereby request you to provide grid connectivity to the Solar roof top PV system installed or planning to install at premises owned /occupied by me/ us. Details supported by necessary evidence are furnished hereunder. I / We declare that the information submitted for Group Net metering are checked and verified to the best of my/ our knowledge and belief.

Enclosure: Documents as per "Annexure IV-C-4"

Place:

Date:

S.No.	K.No.	Applicability Priority	Address of each service connection	ID Details of Parent Consumer	Signature of Consumer with stamp (if any)
1					
2					
3					
4					
5					

Note: The List of service connections are indicative, with possibility to extend upto the requirement of the project

FOR OFFICE USE ONLY

Application Form Number:	
Date of application:	

Annexure-IV-C-4

S. No.	Required Documents	Attached (Yes / No)
1.	Agreement for GNM arrangement	
2.	Undertaking for incorporating the CA nos/ K nos. in the priority list of settlement under Group Net-metering	
3.	Self – attested Copy of ID Proofs (PAN / EPIC / Aadhar Card etc.,) of consumers	
4.	Proof of ownership of the site where Renewable Energy System is to be installed/already installed.	
5.	Self – attested Copy of ID Proofs (PAN / EPIC / Aadhar Card etc.,) of : i. EPC Contractor (for CAPEX mode) and ii. RESCO (for RESCO mode)	

Annexure IV-D – Connection agreement(s)**Annexure-B.1.: Model agreement for VNM arrangement****I. CAPEX Mode: Model agreement between participating Consumers and the DISCOM:**

(On **Rs.100/- non judicial stamp paper, duly attested by Notary) Virtual Net Metering Model Connection Agreement for Renewable Energy**

This Agreement is made and entered into at _____ <Insert the name of City and State> on date _____ <Insert the Date of Agreement Signing> between

1. The registered consumers whose name and Consumer numbers are provided in the below list (“**List of Consumers**”) as first party (hereinafter called as “**Eligible Consumers**”

And

2. Distribution Licensee of the _____ <Insert the name of the State> (i.e. _____ <Insert the Name of DISCOM>), having its' registered office at _____ <Insert the address of State Utility> (hereinafter called "DISCOM") as second party to this Agreement.

List of Consumers: The list of consumers is given below.

S.No.	K.No.	Sharing Ratio %	Address of each consumer in the list	ID Details of Eligible Consumers	Signature of Consumer
1					
2					
3					
4					
5					

Note: The List of consumers are indicative, with possibility to extend upto the requirement of the project.

It is hereby agreed between the parties as follows:

1. Eligibility:

- 1.1 The Eligible Consumers do hereby confirm that they are aware, in advance, of the standards and conditions the Photovoltaic System must meet for being integrated into the grid/distribution system.
- 1.2 The Eligible Consumers agree that connection of the Photovoltaic System to DISCOM's distribution system shall be bound by requirements of the state Distribution Code and/or DISCOM's conditions of service and Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021 and any further amendments. The grid shall continue to perform with specified reliability, security, and quality as per the Central Electricity Authority (Grid Standard) Regulations 2010 as amended from time to time.
- 1.3 The Eligible Consumers, understanding the benefits of Virtual Net-metering scheme, have agreed and jointly requested with _____ <Insert the name of

State Utility> (DISCOM) to install solar meter at the premises situated at _____ <
Insert the complete Address> wherein the Photovoltaic System has already been installed by the Eligible Consumers, and the Eligible Consumers have agreed for their respective share of benefits of solar units generation in their respective electricity bills, the details of which have also been specified in this Agreement.

2. Technical and Interconnection Requirements

- 2.1. The Eligible Consumers agree that they have installed/will install, prior to connection of Photovoltaic System to DISCOM's distribution system, an isolation device (both automatic and inbuilt within inverter and external manual relays) and agree for the DISCOM to have access to and operation of this device, if required, for repair and maintenance of the distribution system.
- 2.2. The Eligible Consumers agree that in case of a power outage on DISCOM's system, the Photovoltaic System will shut down, unless special transfer and isolating capabilities have been installed on photovoltaic system.
- 2.3. Technical specification of net meter and renewable energy meter should be in compliance with the DISCOM.
- 2.4. All the equipment connected to distribution system must be compliant with relevant International (IEEE/IEC) or Indian Standards (BIS) and installations of electrical equipment must comply with Indian Electricity Rules, 1956 and Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 and their amendments.
- 2.5. The Eligible Consumers agree that DISCOM will specify the interface/inter-connection point and metering point.
- 2.6. The Eligible Consumers agree to adhere to power quality measures as per International or Indian Standards and/or other such measures provided by Commission/DISCOM.
- 2.7. The Eligible Consumers agree to furnish all the data such as voltage, frequency, and breaker, isolator position in his system, as and when required by the DISCOM. The Eligible Consumers shall also provide facilities for online transfer of the real time operational data.
- 2.8. The Eligible Consumers shall obtain requisite approvals, in accordance with the provisions of the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 for commissioning of the Renewable Energy System, and furnish copies of approvals to the Distribution Licensee.
- 2.9. The Eligible Consumers do hereby agree that DISCOM may keep the entire information regarding application and registration of the Renewable

Energy System on its website or web portal for transparency and convenience.

3. Safety:

- 3.1 Eligible Consumers shall comply with the Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electricity Supply) Regulations 2010.
- 3.2 The Eligible Consumers agree that the design, installation, maintenance, and operation of the Photovoltaic System shall be performed in a manner conducive to the safety of the Photovoltaic System as well as the DISCOM's distribution system.
- 3.3 Due to DISCOM's obligation to maintain a safe and reliable distribution system, the Eligible Consumers agree that if it is determined by DISCOM that Eligible Consumer's Photovoltaic System either causes damage to and/or produces adverse effects affecting other distribution systems' consumers or DISCOM's assets, the Eligible Consumers will have to disconnect photovoltaic system immediately from the distribution system upon direction from the DISCOM and correct the problem at its own expense prior to reconnection.
- 3.4 The Eligible Consumers agree that any change/alteration/modification/addition of new capacity in the Photovoltaic System post Net metering shall be carried out only after securing prior permission from DISCOM, which shall be issued post receipt of necessary Test certificate(s) and other documents as notified by DISCOM time to time.

4. Clearances and Approvals:

The Eligible Consumers agree to attain all the necessary approvals and clearances (environmental and grid connected related) before connecting the Photovoltaic System to the distribution system.

5. Access and Disconnection:

- 5.1 DISCOM shall have access to metering equipment and disconnecting means of Photovoltaic System, both automatic and manual, at all times.
- 5.2 In emergency or outage situation, where there is no access to any disconnecting means, both automatic and manual, such as a switch or breaker, DISCOM may disconnect service to the premise and in such scenario, the eligible consumer shall not have any right to object or to claim any sum from DISCOM citing such immediate disconnection.

6. Liabilities:

- 6.1 Eligible Consumers and DISCOM will indemnify each other for damages or adverse effects from either party's negligence or intentional misconduct in the connection and operation of Photovoltaic System or DISCOM's distribution system.

- 6.2 DISCOM and Eligible Consumers will not be liable to each other for any loss of profits or revenues, business interruption losses, loss of contract or loss of goodwill, or for indirect, consequential, incidental, or special damages, including, but not limited to, punitive or exemplary damages, whether any of the said liability, loss or damages arise in contract or otherwise.

7. Commercial and Settlement:

All the commercial settlement under this agreement shall follow the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021 and any further amendments.

8. Conditions for System Connectivity

The parties shall abide by the Central Electricity Regulatory Commission Regulations in respect of procedure of grant of connectivity. The consumer shall submit the following documents to grant the connectivity:

- Synchronization Circuit Details
- Safety Report
- Protection Circuit Details
- Test Certificates of System
- Schematic diagram of Renewable Energy system

9. Connection Costs:

- 9.1. The Eligible Consumers shall bear all costs related to setting up of the Photovoltaic System including metering and interconnection costs as per estimate by DISCOM. The Eligible Consumers agree to pay the actual cost of modifications and upgrades to the distribution facilities required to connect the Photovoltaic System in case it is required.
- 9.2. Cost for interconnection equipment including the isolators, meters etc. are also to be borne by the Eligible consumers.

10. Termination:

- 10.1 The term of this Agreement shall be the life of a typical solar photovoltaic power plant, which is 25 years or till the validity of license with DISCOM, whichever is earlier, unless this Agreement is otherwise terminated as per the provisions of this clause.
- 10.2 The Eligible Consumer/s (Jointly) or DISCOM can terminate this Agreement at any time by providing 90 days prior notice to the other party to the agreement. Whereas it is clarified that in case of termination notice to be issued by DISCOM, the same shall be issued to Lead Consumer, appointed by eligible consumers.
- 10.3 The Eligible Consumers agree that upon termination of this Agreement,

they must disconnect the photovoltaic system from DISCOM's distribution system in a timely manner and upto DISCOM's satisfaction.

11. Change of Sharing Ratios:

- 11.1 The Eligible Consumers shall have the right to change the Sharing Ratio provided in the List of Consumers once at the start of financial year by sending notice in at least 2 months in advance to the DISCOM and submitting a revised List of Consumers.
- 11.2 The Eligible Consumers shall submit a Virtual Net Metering application form as applicable at the time of such proposed change in the Sharing Ratio and amendment of the List of Consumers.
- 11.3 Eligible Consumers hereby irrevocably give the right to Lead Consumer to apply on their behalf for such change of Sharing Ratio and, if applicable, introduction of a new Eligible Consumer to this Agreement and submission of the List of Consumers. Lead Consumer may sign on behalf of all eligible consumers any and all documents required by DISCOM in this regard.
- 11.4 The consumers, for setting up/installation of solar photovoltaic power plant and during the tenure of the installation of the same, shall be liable to take all permissions/permits/approvals as required under the provisions of relevant laws.
- 11.5 Upon setting up and during the period of installation of solar photovoltaic power plant, the consumers shall jointly and severally keep DISCOM /its employees/directors/officers/associates indemnified from all cost consequences, liabilities, penalties, claim of damages/compensation etc. from any person/agency/land owning agency/court or any other judicial-quasi-judicial authority citing the establishment and/or operation & maintenance of solar photovoltaic power plant.

12. Lead Consumer:

That at the time of execution of this agreement, the eligible consumers shall appoint/nominate one of the eligible consumers as lead consumer. That for all communications issued by DISCOM, DISCOM shall be free to communicate with lead consumer and not to every consumer. It shall be the responsibility of the lead consumer to communicate with the other eligible consumers and the service of communication by DISCOM to lead consumer shall be termed as service to all eligible consumers in all respect.

13. Governing Law and Jurisdiction:

This agreement shall be governed by the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021 and any further amendments and any other

order/directions related to establishment / maintaining / functioning of solar photovoltaic power plant. Further in case of any change in the above laws, the eligible consumers shall be liable to comply with the same.

In the witness, where of Mr./Ms. _____ and Mr./Ms _____
for and on behalf of the Eligible Consumers and Mr./Ms _____
for and on behalf of DISCOM agree to this agreement.

Date:

Place:

List of Consumers:

S. No.	Name of Consumer	Signature of Consumer
1		
2		
3		

Note: The List of consumers are indicative, with possibility to extend upto the requirement of the project

Name and signature of witness

Name and Signature of Lead Consumer

Name and Signature of DISCOM Nodal Officer (Along with Stamp)

II. RESCO Mode: Model Tripartite Agreement among Participating Consumers, DISCOM and RESCO:

**(On Rs.100/- non judicial stamp paper, duly attested by
Notary) Virtual Net Metering Model Connection Agreement for
Renewable Energy**

This Agreement is made and entered into at _____ <Insert the name of
City and State> on date _____ <Insert the Date of Agreement Signing>

among

1. M/S _____, a Sole-Proprietorship / Partnership Firm / Company Incorporated under Companies Act, having its registered office at _____ and represented through _____
2. Sole-Proprietor / Partner / Manager / Director / Authorised Signatory, hereinafter referred to as the “Solar Power Generator” (SPG)/Renewable Energy Service Company (RESCO), which expression shall wherever the context so permits, mean and includes the successors in interest, executors, administrators and assigns as party of the first part.

AND

3. Distribution Licensee of the _____ <Insert the name of the State> (i.e. <Insert the Name of DISCOM>), having its' registered office at _____ <Insert the address of State Utility > (hereinafter called “DISCOM”) as second party to this Agreement.

AND

4. The registered consumers whose name and Consumer numbers are provided in the below list (“List of Consumers”) as third party (hereinafter called as “Eligible Consumers”

All the above, Power Generator, the Distribution Licensee, and the Consumer shall be collectively referred to as “the Parties”.

List of Consumers: The list of consumers is given below.

S.No.	K.No.	Name of Consumer	Sharing Ratio %	Address of each consumer in the list	ID Details of Eligible Consumers
1					
2					
3					
4					
5					

Note: The List of consumers are indicative, with possibility to extend upto the requirement of the project.

It is hereby agreed between the parties as follows

1. Definitions:

- 1.1. “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and subsequent amendments thereof.
- 1.2. “Applicable Rules and Regulations” shall have the same meaning as defined in Article 2 of this document.
- 1.3. “Authority” shall mean the Central Electricity Authority as referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act.
- 1.4. “Billing cycle” shall mean the period for which regular electricity bills as specified by the Commission, are prepared for different categories of consumers by the Distribution Licensee.

- 1.5. “Commissioning Date” shall mean the date on which the Grid Connected Rooftop Solar Power Plant is synchronised and starts injecting the Solar Power to the Grid.
- 1.6. ”Commission” shall mean the Rajasthan Electricity Regulatory Commission referred to in sub- Section (1) of section 82 of the Act and constituted under the Act.

2. Applicable Rules and Regulations

This agreement is subject to the following rules and regulations, hereinafter collectively referred to as the “Applicable Rules and Regulations” and includes any amendments thereof:

- 2.1. Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021 and any further amendments.
- 2.2. Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 and amendment thereof;
- 2.3. Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 and amendment thereof;
- 2.4. Central Electricity Authority (Measures of Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010 and amendment thereof;
- 2.5. Power Quality & Protection and Controls shall conform to the standards specified in the CEA (Technical Standards for connectivity to the grid) Regulations, 2007 and CEA (Technical Standards for Connectivity of Distributed Generation Resources) Regulations, 2013, applicable to the distribution system as amended from time to time.
- 2.6. Indian Electricity Rules, 1956.
- 2.7. Any other provision that becomes applicable at the time of signing of the PPA as per the Regulation and amendments henceforth.

All other words and expressions used in this agreement, if not specifically defined herein above, but defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act. The other words and expressions used herein but not specifically defined in this agreement, regulations or the Act but defined under any other law passed by the Parliament applicable to the electricity industry in the State or Union Territory shall have the same meaning assigned to them in such law.

3. Eligibility:

- 3.1. The RESCO and Eligible Consumers do hereby confirm that they are aware, in advance, of the standards and conditions the Photovoltaic System must meet for being integrated into the grid/distribution system.
- 3.2. The RESCO and Eligible Consumers agree that connection of the Photovoltaic

System to DISCOM's distribution system shall be bound by requirements of the state Distribution Code and/or DISCOM's conditions of service and Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021 and any further amendments. The grid shall continue to perform with specified reliability, security, and quality as per the Central Electricity Authority (Grid Standard) Regulations 2010 as amended from time to time.

- 3.3. The RESCO and Eligible Consumers, understanding the benefits of Virtual Net-metering scheme, have agreed and jointly requested with __ <Insert the name of State Utility> (DISCOM) to install solar meter at the site situated at __ <Insert the complete Address> wherein the Photovoltaic System has already been installed, and the Eligible Consumers have agreed for their respective share of benefits of solar units generation in their respective electricity bills, the details of which have also been specified in this Agreement.

4. Technical and Interconnection Requirements

- 4.1. The RESCO and Eligible Consumers agree that they have installed/will install, prior to connection of Photovoltaic System to DISCOM's distribution system, an isolation device (both automatic and inbuilt within inverter and external manual relays) and agree for the DISCOM to have access to and operation of this device, if required, for repair and maintenance of the distribution system.
- 4.2. The RESCO and Eligible Consumers agree that in case of a power outage on DISCOM's system, the Photovoltaic System will shut down, unless special transfer and isolating capabilities have been installed on photovoltaic system.
- 4.3. Technical specification of net meter and renewable energy meter should be in compliance with the DISCOM.
- 4.4. All the equipment connected to distribution system must be compliant with relevant International (IEEE/IEC) or Indian Standards (BIS) and installations of electrical equipment must comply with Indian Electricity Rules, 1956 and Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 and their amendments.
- 4.5. The RESCO and Eligible Consumers agree that DISCOM will specify the interface/inter-connection point and metering point.
- 4.6. The RESCO and Eligible Consumers agree to adhere to power quality measures as per International or Indian Standards and/or other such measures provided by Commission/DISCOM.
- 4.7. The RESCO and Eligible Consumers agree to furnish all the data such as voltage, frequency, and breaker, isolator position in his system, as and when required by the DISCOM. The Eligible Consumers shall also provide facilities for online transfer of the real time operational data.

- 4.8. The RESCO and Eligible Consumers shall obtain requisite approvals, in accordance with the provisions of the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 for commissioning of the Renewable Energy System, and furnish copies of approvals to the Distribution Licensee.
- 4.9. The RESCO and Eligible Consumers do hereby agree that DISCOM may keep the entire information regarding application and registration of the Renewable Energy System on its website or web portal for transparency and convenience.

5. Safety:

- 5.1. The RESCO and Eligible Consumers shall comply with the Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electricity Supply) Regulations 2010.
- 5.2. The RESCO and Eligible Consumers agree that the design, installation, maintenance, and operation of the Photovoltaic System shall be performed in a manner conducive to the safety of the Photovoltaic System as well as the DISCOM's distribution system.
- 5.3. Due to DISCOM's obligation to maintain a safe and reliable distribution system, the RESCO and Eligible Consumers agree that if it is determined by DISCOM that Eligible Consumer's Photovoltaic System either causes damage to and/or produces adverse effects affecting other distribution systems' consumers or DISCOM's assets, the RESCO and Eligible Consumers will have to disconnect photovoltaic system immediately from the distribution system upon direction from the DISCOM and correct the problem at its own expense prior to reconnection.
- 5.4. The RESCO and Eligible Consumers agree that any change/alteration/modification/addition of new capacity in the Photovoltaic System post Net metering shall be carried out only after securing prior permission from DISCOM, which shall be issued post receipt of necessary Test certificate(s) and other documents as notified by DISCOM time to time.

6. Clearances and Approvals:

The RESCO and Eligible Consumers agree to obtain all the necessary approvals and clearances (environmental and grid connected related) before connecting the Photovoltaic System to the distribution system.

7. Access and Disconnection:

- 7.1. DISCOM shall have access to metering equipment and disconnecting means of Photovoltaic System, both automatic and manual, at all times.
- 7.2. In emergency or outage situation, where there is no access to any disconnecting means, both automatic and manual, such as a switch or breaker, DISCOM may disconnect service to the premise and in such scenario, the RESCO and eligible consumer shall not have any right to object or to claim any sum from DISCOM

citing such immediate disconnection.

8. Liabilities:

- 8.1. RESCO, Eligible Consumers and DISCOM will indemnify each other for damages or adverse effects from either party's negligence or intentional misconduct in the connection and operation of Photovoltaic System or DISCOM's distribution system.
- 8.2. RESCO, DISCOM and Eligible Consumers will not be liable to each other for any loss of profits or revenues, business interruption losses, loss of contract or loss of goodwill, or for indirect, consequential, incidental, or special damages, including, but not limited to, punitive or exemplary damages, whether any of the said liability, loss or damages arise in contract or otherwise.

9. Energy Metering accounting and settlement:

- 9.1. All the energy generated from the solar plant will be purchased by the eligible consumers in a ratio mutually agreed upon themselves @....Rs/unit from the RESCO. The billing cycle between the RESCO and the eligible consumers will be.....
- 9.2. The units generated from the solar plant would be adjusted by the DISCOM in the monthly bill of the eligible consumers in a ratio mutually agreed upon themselves as per the
..... Electricity Regulatory Commission Regulations (), Clause

10. Conditions for System Connectivity

The parties shall abide by the Central Electricity Regulatory Commission Regulations in respect of procedure of grant of connectivity. The consumer shall submit the following documents to grant the connectivity:

- Synchronization Circuit Details
- Safety Report
- Protection Circuit Details
- Test Certificates of System
- Schematic diagram of Renewable Energy system

11. Connection Costs:

- 11.1. The RESCO shall bear all costs related to setting up of the Photovoltaic System including metering and interconnection costs as per estimate by DISCOM. The RESCO agrees to pay the actual cost of modifications and upgrades to the distribution facilities required to connect the Photovoltaic System in case it is required.
- 11.2. Cost for interconnection equipment including the isolators, meters etc. are also to be borne by the Eligible consumers.

12. Termination:

- 12.1. The term of this Agreement shall be the life of a typical solar photovoltaic power

plant, which is 25 years or till the validity of license with DISCOM, whichever is earlier, unless this Agreement is otherwise terminated as per the provisions of this clause.

- 12.2. The RESCO, Eligible Consumer/s (Jointly) or DISCOM can terminate this Agreement at any time by providing 90 days prior notice to all the other party to the agreement. Whereas it is clarified that in case of termination notice to be issued by DISCOM, the same shall be issued to the RESCO and Lead Consumer, appointed by eligible consumers.
- 12.3. The RESCO and Eligible Consumers agree that upon termination of this Agreement, they must disconnect the photovoltaic system from DISCOM's distribution system in a timely manner and upto DISCOM's satisfaction.

13. Change of Sharing Ratios:

- 13.1. The Eligible Consumers shall have the right to change the Sharing Ratio provided in the List of Consumers once at start of every financial year by sending notice in at least months in advance to the RESCO and DISCOM and submitting a revised List of Consumers.
- 13.2. The Eligible Consumers shall submit a Virtual Net Metering application form as applicable at the time of such proposed change in the Sharing Ratio and amendment of the List of Consumers.
- 13.3. Eligible Consumers hereby irrevocably give the right to Lead Consumer to apply on their behalf for such change of Sharing Ratio and, if applicable, introduction of a new Eligible Consumer to this Agreement and submission of the List of Consumers. Lead Consumer may sign on behalf of all eligible consumers any and all documents required by DISCOM in this regard.
- 13.4. That the RESCO and eligible consumers, for setting up/installation of solar photovoltaic power plant and during the tenure of the installation of the same, shall be liable to take all permissions/permits/approvals as required under the provisions of relevant laws.
- 13.5. That upon setting up and during the period of installation of solar photovoltaic power plant, the RESCO and eligible consumers shall jointly and severally keep DISCOM /its employees/directors/officers/associates indemnified from all cost consequences, liabilities, penalties, claim of damages/compensation etc. from any person/agency/land owning agency/court or any other judicial-quasi-judicial authority citing the establishment and/or operation & maintenance of solar photovoltaic power plant.

14. Lead Consumer:

That at the time of execution of this agreement, the eligible consumers shall appoint/nominate one of the eligible consumers as lead consumer. That for all communications issued by DISCOM and RESCO, RESCO and DISCOM shall be free to communicate with lead consumer and not to every consumer. It shall

be the responsibility of the lead consumer to communicate with the other eligible consumers and the service of communication by RESCO and DISCOM to lead consumer shall be termed as service to all eligible consumers in all respect.

15. Governing Law and Jurisdiction:

This agreement shall be governed by the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021 and any further amendments and any other order/directions related to establishment / maintaining / functioning of solar photovoltaic power plant. Further in case of any change in the above laws, the eligible consumers shall be liable to comply with the same.

In the witness, where of Mr./Ms. _____ and Mr./Ms. _____

for and on behalf of the Eligible Consumers, Mr./Ms. _____ for and on behalf of RESCO and Mr./Ms. _____ for and on behalf of DISCOM agree to this agreement.

Date:

Place:

List of Consumers:

S. No.	Name of Consumer	Signature of Consumer
1		
2		
3		

Note: The List of consumers are indicative, with possibility to extend upto the requirement of the project

Name and signature of witnesses

Name and Signature of Lead Consumer

Name and Signature of RESCO

Name and Signature of DISCOM Nodal Officer (Along with Stamp)

Annexure-IV-D-1.: Model agreement for GNM arrangement

I. CAPEX Mode: Model agreement between participating Consumers and the DISCOM:

(On **Rs.100/- non** judicial stamp paper, duly attested by Notary)

Group Net Metering Model Connection Agreement for Renewable Energy

This Agreement is made and entered into at _____ <Insert the name of the City and State> on date _

between

1. The registered consumer name _____ with Consumer Number _____ residing at _____ as first party (hereinafter called as “Eligible Consumers”

and

2. Distribution Licensee of the _____ <Insert the name of State> (i.e. _____ <Insert the name of DISCOM>), having its’ registered office at _____ <Insert the complete Address> (hereinafter called “DISCOM”) as second party to this Agreement.

A solar photovoltaic plant of _____ <Insert the capacity of the Power Plant in kWp> (“Photovoltaic System”) is installed at the premises of registered Consumer (here to call “Parent Consumer”) bearing address ____ <Insert the complete Address>.

1. Eligibility:

- 1.1 The Eligible Consumer do hereby confirms that he/she is aware, in advance, of the standards and conditions the Photovoltaic System has to meet for being integrated into grid/distribution system.
- 1.2 The Eligible Consumer agrees that connection of the Photovoltaic System to DISCOM's distribution system shall be bound by requirements of the state Distribution Code and/or DISCOM's conditions of service and Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021 and any further amendments. The grid shall continue to perform with specified reliability, security, and quality as per the Central Electricity Authority (Grid Standard) Regulations 2010 as amended from time to time.
- 1.3 The list of CA numbers eligible for GNM must be of same consumer i.e. having same name and must be situated in DISCOM Licensee area for setting-off of the consumption in the billing under Group Net-metering along with the signed undertaking is also annexed at **Annexure – I** to this Agreement.

- 1.4 The Eligible Consumer do hereby confirms that it has applied connection under Group Net metering arrangement. The eligible consumer in furtherance of GNM arrangement has requested __ (concerned department) to install net-meter equipment at his/her premises situated at ____ wherein the eligible consumer has already installed the requisite solar panels. That the consumer has also given the list of GNM service connection numbers along with their sequence for setting-off the solar generation units.

2. Technical and Interconnection Requirements

- 2.1 The Eligible Consumer agrees that he/she has installed/will install, prior to connection of Photovoltaic System to DISCOM's distribution system, an isolation device (both automatic and inbuilt within inverter and external manual relays) and agree for the DISCOM to have access to and operation of this, if required, for repair and maintenance of the distribution system.
- 2.2 The Eligible Consumer agrees that in case of a power outage on DISCOM's system, the photovoltaic system will shut down, unless special transfer and isolating capabilities have been installed on the photovoltaic system.
- 2.3 Technical specification of net meter and renewable energy meter should be in compliance with the DISCOM.
- 2.4 All the equipment connected to distribution system must be compliant with relevant International (IEEE/IEC) or Indian Standards (BIS) and installations of electrical equipment must comply with Indian Electricity Rules, 1956 and Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 and their amendments.
- 2.5 The Eligible Consumer agrees that DISCOM will specify the interface/inter-connection point and metering point.
- 2.6 The Eligible Consumer agrees to adhere to the power quality measures as per International or Indian Standards and/or other such measures provided by Commission/DISCOM.
- 2.7 The Eligible Consumer agrees to furnish all the data such as voltage, frequency, and breaker, isolator position in his/her system, as and when required by the DISCOM. The Eligible Consumer shall also provide facilities for online transfer of the real time operational data.
- 2.8 The Eligible Consumer shall obtain requisite approvals, in accordance with the provisions of the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 for commissioning of the Renewable Energy System, and furnish copies of approvals to the Distribution Licensee.
- 2.9 The Eligible Consumer do hereby agrees that __ (concerned department) may keep the entire information regarding application and registration of

the Renewable Energy System on its website or web portal for transparency and convenience.

3. Safety:

- 3.1 Eligible Consumer shall comply with the Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electricity Supply) Regulations 2010.
- 3.2 The Eligible Consumer agrees that the design, installation, maintenance, and operation of the photovoltaic system shall be performed in a manner conducive to the safety of the photovoltaic system as well as the DISCOM's distribution system.
- 3.3 Due to DISCOM's obligation to maintain a safe and reliable distribution system, the Eligible Consumer agrees that if it is determined by DISCOM that Eligible Consumer's photovoltaic system either causes damage to and/or produces adverse effects affecting other distribution systems' consumers or DISCOM's assets, the Eligible Consumer will have to disconnect photovoltaic system immediately from the distribution system upon direction from the DISCOM and correct the problem at its own expense prior to reconnection.
- 3.4 The Eligible Consumer agrees that any change/alteration/modification/addition of new capacity in the photovoltaic system post Net metering shall be carried out only after securing prior permission from DISCOM, which shall be issued post receipt of necessary Test certificate(s) and other documents as notified by DISCOM time to time.

4. Clearances and Approvals:

The Eligible Consumer agrees to attain all the necessary approvals and clearances (environmental and grid connected related) before connecting the photovoltaic system to the distribution system.

5. Access and Disconnection:

- 5.1 DISCOM shall have access to metering equipment and disconnecting means of photovoltaic system, both automatic and manual, at all times.
- 5.2 In emergency or outage situation, where there is no access to any disconnecting means, both automatic and manual, such as a switch or breaker, DISCOM may disconnect service to the premise and in such scenario, the Eligible Consumer shall not have any right to object or to claim any sum from DISCOM citing such immediate disconnection.

6. Liabilities:

- 6.1 Eligible Consumer and DISCOM will indemnify each other for damages or adverse effects from either party's negligence or intentional misconduct in the connection and operation of photovoltaic system or DISCOM's distribution system.

- 6.2 DISCOM and Eligible Consumer will not be liable to each other for any loss of profits or revenues, business interruption losses, loss of contract or loss of goodwill, or for indirect, consequential, incidental, or special damages, including, but not limited to, punitive or exemplary damages, whether any of the said liability, loss or damages arise in contract, or otherwise.
- 6.3 DISCOM shall not be liable for delivery or realization by eligible consumer for any fiscal or other incentives provided by the central & state government.
- 6.4 DISCOM disclaim all warranty/guarantee/oral discussions as to the performance of system/results/outputs, benefits etc. and DISCOM shall not be responsible for any claim associated with/citing the installation/performance of the photovoltaic system.

7. Commercial and Settlement:

All the commercial settlement under this agreement shall follow the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021 and any further amendments.

8. Conditions for System Connectivity

The parties shall abide by the Central Electricity Regulatory Commission Regulations in respect of procedure of grant of connectivity. The consumer shall submit the following documents to grant the connectivity:

- Synchronization Circuit Details
- Safety Report
- Protection Circuit Details
- Test Certificates of System
- Schematic diagram of Renewable Energy system

9. Connection Costs:

- 9.1 The Eligible Consumer shall bear all costs related to setting up of the photovoltaic system including metering and interconnection costs as per estimate by DISCOM. The Eligible Consumer agrees to pay the actual cost of modifications and upgrades to the distribution facilities required to connect the photovoltaic system in case it is required.
- 9.2 Cost for interconnection equipment including the isolators, meters etc. are also to be borne by the Eligible consumer.

10. Termination:

- 10.1 The term of this Agreement shall be the life of a typical solar photovoltaic power plant, which is 25 years or till the validity of license with DISCOM, whichever is earlier, unless this Agreement is otherwise terminated as per the provisions of this clause.

- 10.2 The Eligible Consumer or DISCOM can terminate this Agreement at any time by providing 90 days prior notice to the other party to the agreement. Whereas it is clarified that in case of termination notice to be issued by DISCOM, the same shall be issued to the Parent Consumer.
- 10.3 The Eligible Consumer agrees that upon termination of this Agreement, he/she must disconnect the photovoltaic system from DISCOM's distribution system in a timely manner and upto DISCOM's satisfaction.

11. Change of Priority:

- 11.1 The Eligible Consumer shall have the right to change the priority provided in the List of Service connections once start of every financial year by sending notice of at least 2 months to the DISCOM and submitting a revised list of service connections.
- 11.2 The Eligible Consumer shall submit a Group Net Metering application form as applicable at the time of such proposed change in the priority and amendment of the List of service connections.
- 11.3 The Eligible Consumer, for setting up/installation of solar photovoltaic power plant and during the tenure of the installation of the same, shall be liable to take all permissions/permits/approvals as required under the provisions of relevant laws.
- 11.4 Upon setting up and during the period of installation of solar photovoltaic power plant, the Eligible Consumer shall jointly and severally, keep DISCOM /its employees/directors/officers/associates indemnified from all cost consequences, liabilities, penalties, claim of damages/compensation etc. from any person/agency/land owning agency/court or any other judicial-quasi-judicial authority citing the establishment and/or operation & maintenance of solar photovoltaic power plant.

12. Parent and Child Consumer:

At the time of execution of this agreement, the Eligible Consumer shall be termed as Parent consumer and others as Child consumers with respective Applicability Priority. That for all communications issued by DISCOM, DISCOM shall be free to communicate with Parent consumer and not to every consumer.

13. Governing Law and Jurisdiction:

This agreement shall be governed by the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021 and any further amendments and any other order/directions in related to establishment / maintaining / functioning of solar photovoltaic power plant. Further in case of any changes in the above laws, the Eligible Consumer shall be liable to comply with the same.

In the witness, where of Mr./Ms. _____ and Mr./Ms. for and on the behalf of the Eligible Consumer and Mr./Ms _____ for and on behalf of DISCOM agree to this agreement.

Date:

Place:

Name & Signature of witness

Name & Signature of registered Consumer (GNM Applicant)

Name and Signature of Nodal Officer (Along with Stamp)

II. RESCO Mode: Model Tripartite Agreement among Participating Consumers, DISCOM and RESCO

(On Rs.100/- non judicial stamp paper, duly attested by Notary) Group Net Metering Model Connection Agreement for Renewable Energy

This Agreement is made and entered into at <Insert the name of City and State> on date <Insert the Date of Agreement Signing>

among

1. M/S _____, a Sole-Proprietorship / Partnership Firm / Company Incorporated under Companies Act, having its registered office at _____ and represented through _____
2. Sole-Proprietor / Partner / Manager / Director / Authorised Signatory, hereinafter referred to as the “Solar Power Generator” (SPG)/Renewable Energy Service Company (RESCO), which expression shall wherever the context so permits, mean and includes the successors in interest, executors, administrators and assigns as party of the first part.

AND

3. Distribution Licensee of the _____ <Insert the name of the State> (i.e. _____ <Insert the Name of DISCOM>), having its’ registered office at _____ <Insert the address of State Utility> (hereinafter called “DISCOM”) as second party to this Agreement.

AND

4. The registered consumer name _____ with Consumer Number _____

_____residing at _____ as third party (hereinafter called as “Eligible Consumer”

All the above, Power Generator, the Distribution Licensee, and the Consumer shall be collectively referred to as “the Parties”.

It is hereby agreed between the parties as follows:

1. Definitions:

- 1.1. “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and subsequent amendments thereof.
- 1.2. “Applicable Rules and Regulations” shall have the same meaning as defined in Article 2 of this document.
- 1.3. “Authority” shall mean the Central Electricity Authority as referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act.
- 1.4. “Billing cycle” shall mean the period for which regular electricity bills as specified by the Commission, are prepared for different categories of consumers by the Distribution Licensee.
- 1.5. “Commissioning Date” shall mean the date on which the Grid Connected Rooftop Solar Power Plant is synchronized and starts injecting the Solar Power to the Grid.
- 1.6. ”Commission” shall mean the Rajasthan Electricity Regulatory Commission referred to in sub- Section (1) of section 82 of the Act and constituted under the Act.

2. Applicable Rules and Regulations

This agreement is subject to the following rules and regulations, hereinafter collectively referred to as the “Applicable Rules and Regulations” and includes any amendments thereof:

- 2.1. Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021 and any further amendments.
- 2.2. Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 and amendment thereof;
- 2.3. Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 and amendment thereof;
- 2.4. Central Electricity Authority (Measures of Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010 and amendment thereof;
- 2.5. Power Quality & Protection and Controls shall conform to the standards specified in the CEA (Technical Standards for connectivity to the grid)

Regulations, 2007 and CEA (Technical Standards for Connectivity of Distributed Generation Resources) Regulations, 2013, applicable to the distribution system as amended from time to time.

- 2.6. Indian Electricity Rules, 1956.
- 2.7. Any other provision that becomes applicable at the time of signing of the PPA as per the Regulation and amendments henceforth.

All other words and expressions used in this agreement, if not specifically defined herein above, but defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act. The other words and expressions used herein but not specifically defined in this agreement, regulations or the Act but defined under any other law passed by the Parliament applicable to the electricity industry in the State or Union Territory shall have the same meaning assigned to them in such law.

3. **Eligibility:**

- 3.1. The RESCO and Eligible Consumer do hereby confirm that he/she is aware, in advance, of the standards and conditions the Photovoltaic System has to meet for being integrated into grid/distribution system.
- 3.2. The RESCO and Eligible Consumer agree that connection of the Photovoltaic System to DISCOM's distribution system shall be bound by requirements of the state Distribution Code and/or DISCOM's conditions of service and Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021 and any further amendments. The grid shall continue to perform with specified reliability, security, and quality as per the Central Electricity Authority (Grid Standard) Regulations 2010 as amended from time to time.
- 3.3. The list of CA numbers eligible for GNM must be of same consumer i.e. having same name and must be situated in DISCOM Licensee area for setting-off of the consumption in the billing under Group Net-metering along with the signed undertaking is also annexed at **Annexure – F** to this Agreement.
- 3.4. The RESCO and Eligible Consumer do hereby confirm that it has applied connection under Group Net metering arrangement. The eligible consumer in furtherance of GNM arrangement has requested _____ (concerned department) to install net-meter equipment at his/her premises situated at _____ wherein the RESCO and eligible consumer is going to/has already installed the requisite solar panels. That the consumer has also given the list of GNM service connection numbers along with their sequence for setting-off the solar generation units.

4. Technical and Interconnection Requirements

- 4.1. The RESCO and Eligible Consumer agree that he/she has installed/will install, prior to connection of Photovoltaic System to DISCOM's distribution system, an isolation device (both automatic and inbuilt within inverter and external manual relays) and agree for the DISCOM to have access to and operation of this, if required, for repair and maintenance of the distribution system.
- 4.2. The RESCO and Eligible Consumer agree that in case of a power outage on DISCOM's system, the photovoltaic system will shut down, unless special transfer and isolating capabilities have been installed on the photovoltaic system.
- 4.3. Technical specification of net meter and renewable energy meter should be in compliance with the DISCOM.
- 4.4. All the equipment connected to distribution system must be compliant with relevant International (IEEE/IEC) or Indian Standards (BIS) and installations of electrical equipment must comply with Indian Electricity Rules, 1956 and Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 and their amendments.
- 4.5. The RESCO and Eligible Consumer agrees that DISCOM will specify the interface/inter- connection point and metering point.
- 4.6. The RESCO and Eligible Consumer agree to adhere to the power quality measures as per International or Indian Standards and/or other such measures provided by Commission/DISCOM.
- 4.7. The RESCO and Eligible Consumer agree to furnish all the data such as voltage, frequency, and breaker, isolator position in his/her system, as and when required by the DISCOM. The Eligible Consumer shall also provide facilities for online transfer of the real time operational data.
- 4.8. The RESCO and Eligible Consumer shall obtain requisite approvals, in accordance with the provisions of the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 for commissioning of the Renewable Energy System, and furnish copies of approvals to the Distribution Licensee.
- 4.9. The RESCO and Eligible Consumer do hereby agree that _____ (concerned department) may keep the entire information regarding application and registration of the Renewable Energy System on its website or web portal for transparency and convenience.

5. Safety:

- 5.1. The RESCO and Eligible Consumer shall comply with the Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electricity Supply) Regulations 2010.

- 5.2. The RESCO and Eligible Consumer agree that the design, installation, maintenance, and operation of the photovoltaic system shall be performed in a manner conducive to the safety of the photovoltaic system as well as the DISCOM's distribution system.
- 5.3. Due to DISCOM's obligation to maintain a safe and reliable distribution system, the RESCO and Eligible Consumer agree that if it is determined by DISCOM that Eligible Consumer's photovoltaic system either causes damage to and/or produces adverse effects affecting other distribution systems' consumers or DISCOM's assets, the RESCO and Eligible Consumer will have to disconnect photovoltaic system immediately from the distribution system upon direction from the DISCOM and correct the problem at its own expense prior to reconnection.
- 5.4. The RESCO and Eligible Consumer agree that any change/alteration/modification/addition of new capacity in the photovoltaic system post Net metering shall be carried out only after securing prior permission from DISCOM, which shall be issued post receipt of necessary Test certificate(s) and other documents as notified by DISCOM time to time.

6. Clearances and Approvals:

The Eligible Consumer agrees to attain all the necessary approvals and clearances (environmental and grid connected related) before connecting the photovoltaic system to the distribution system.

7. Access and Disconnection:

- 7.1. DISCOM shall have access to metering equipment and disconnecting means of photovoltaic system, both automatic and manual, at all times.
- 7.2. In emergency or outage situation, where there is no access to any disconnecting means, both automatic and manual, such as a switch or breaker, DISCOM may disconnect service to the premise and in such scenario, the RESCO and Eligible Consumer shall not have any right to object or to claim any sum from DISCOM citing such immediate disconnection.

8. Liabilities:

- 8.1. The RESCO, Eligible Consumer and DISCOM will indemnify each other for damages or adverse effects from either party's negligence or intentional misconduct in the connection and operation of photovoltaic system or DISCOM's distribution system.
- 8.2. DISCOM, RESCO and Eligible Consumer will not be liable to each other for any loss of profits or revenues, business interruption losses, loss of contract or loss of goodwill, or for indirect, consequential, incidental, or special damages, including,

but not limited to, punitive or exemplary damages, whether any of the said liability, loss or damages arise in contract, or otherwise.

- 8.3. DISCOM shall not be liable for delivery or realization by RESCO and eligible consumer for any fiscal or other incentives provided by the central & state government.
- 8.4. DISCOM disclaim all warranty/guarantee/oral discussions as to the performance of system/results/outputs, benefits etc. and DISCOM shall not be responsible for any claim associated with/citing the installation/performance of the photovoltaic system.

9. Energy Metering accounting and settlement:

- 9.1. All the energy generated from the solar plant will be purchased by the eligible consumer @....Rs/unit from the RESCO. The billing cycle between the RESCO and the eligible consumers will be.....
- 9.2. The units generated from the solar plant would be adjusted by the DISCOM in the monthly bill of the eligible consumer and in his different service connections as per the Electricity Regulatory Commission Regulations () , Clause

10. Conditions for System Connectivity

The parties shall abide by the Central Electricity Regulatory Commission Regulations in respect of procedure of grant of connectivity. The consumer shall submit the following documents to grant the connectivity:

- Synchronization Circuit Details
- Safety Report
- Protection Circuit Details
- Test Certificates of System
- Schematic diagram of Renewable Energy system

11. Connection Costs:

- 11.1. The RESCO shall bear all costs related to setting up of the photovoltaic system including metering and interconnection costs as per estimate by DISCOM.
- 11.2. The RESCO agrees to pay the actual cost of modifications and upgrades to the distribution facilities required to connect the photovoltaic system in case it is required.
- 11.3. Cost for interconnection equipment including the isolators, meters etc. are also to be borne by the RESCO.

12. Termination:

- 12.1. The term of this Agreement shall be the life of a typical solar photovoltaic power plant, which is 25 years or till the validity of license with DISCOM, whichever is earlier, unless this Agreement is otherwise terminated as per the provisions of this clause.
- 12.2. The Eligible Consumer or DISCOM or RESCO can terminate this Agreement at any time by providing 90 days prior notice to the all the other party to the agreement.
- 12.3. The RESCO and Eligible Consumer agree that upon termination of this Agreement, he/she must disconnect the photovoltaic system from DISCOM's distribution system in a timely manner and upto DISCOM's satisfaction.

13. Change of Priority:

- 13.1. The Eligible Consumer shall have the right to change the Priority provided in the List of Service connections once every financial year by sending notice of at least 2 months to the DISCOM and submitting a revised list of service connections.
- 13.2. The Eligible Consumer shall submit a Group Net Metering application form as applicable at the time of such proposed change in the priority and amendment of the List of service connections.
- 13.3. The RESCO and Eligible Consumer, for setting up/installation of solar photovoltaic power plant and during the tenure of the installation of the same, shall be liable to take all permissions/permits/approvals as required under the provisions of relevant laws.
- 13.4. Upon setting up and during the period of installation of solar photovoltaic power plant, the RESCO and Eligible Consumer shall jointly and severally, keep DISCOM /its employees/directors/officers/associates indemnified from all cost consequences, liabilities, penalties, claim of damages/compensation etc. from any person/agency/land owning agency/court or any other judicial-quasi-judicial authority citing the establishment and/or operation & maintenance of solar photovoltaic power plant.

14. Parent and Child Consumer:

At the time of execution of this agreement, the Eligible Consumer shall be termed as Parent consumer and others as Child consumers with respective Applicability Priority. That for all communications issued by DISCOM and RESCO, they shall be free to communicate with Parent consumer and not to every consumer.

In the witness, where of Mr./Ms. _____ and Mr./Ms. for and on the behalf of the Eligible Consumer, Mr./Ms _____ for and on behalf of the RESCO and Mr./Ms

_____ for and on behalf of DISCOM agree to this

agreement. Date:

Place:

Name & Signature of witnesses

Name & Signature of registered Consumer (GNM

Applicant) Name and Signature of RESCO (Along with Stamp)

Name and Signature of Nodal Officer (Along with Stamp)

**Undertaking for incorporating the CA nos. in the priority list of settlement under
Group Net- metering**

I, _____ Son/Daughter _____ of
_____ Resident _____ of

_____ (hereinafter referred to as “GNM Beneficiary”, which term shall mean and include executors, administrators, heirs, successors and assigns), do hereby swear and declare as under:

- i. The GNM Beneficiary is aware that a Group Net Metering connection has been applied by _____ “GNM Applicant” at the premises situated at _____.
- ii. GNM Beneficiary is aware that name/CA No/s. of GNM Beneficiary have been given by the GNM Applicant for availing of benefits under GNM Scheme.
- iii. GNM Beneficiary would like to avail the benefits associated with the GNM Connection issued to GNM Applicant as such submitting this instant undertaking confirming the terms herein.
- iv. GNM Beneficiary confirms and understands that this present undertaking shall form part of the GNM Application Form submitted by the GNM Applicant and shall be construed in addition to the declarations and undertakings provided therein.

That the GNM Beneficiary hereby agree and undertake: -

- a. GNM Beneficiary is the Registered Consumer (RC) for the CA No. _____ installed at the premises _____, whereas the GNM Applicant is the owner of the premises.
- b. GNM Beneficiary has no objection if the CA No. _____ is

- being added to the benefits of GNM Connection issued to GNM Applicant in a manner as requested/agreed by GNM Applicant in the GNM Application.
- c. GNM Beneficiary do hereby agree and undertake that it shall have no objection for the benefit credited, calculation of billing units under GNM Scheme as notified by Government/Competent Authority time to time.
 - d. GNM Beneficiary do hereby agree and undertake for calculation of units or the issues associated with the same the billing units may be revised by DISCOM in consideration of GNM Guidelines or any other issues and the same shall not give any rise to any claim from GNM Beneficiary against ____ (concerned department).
 - e. GNM Beneficiary has given its consent to GNM Applicant for inclusion of GNM Beneficiary for the benefits of Group Net Metering and understand that the nomination of GNM Beneficiary is at the discretion of GNM Applicant and the GNM applicant, at all times, shall be free to change the sequence of GNM Beneficiary and/or drop GNM Beneficiary from the benefits without any prior intimation and the same shall not give any rise to any claim from GNM Beneficiary against DISCOM.
 - f. GNM Beneficiary shall at all time keep DISCOM indemnified from all law suits/claims/action/liabilities associated with the inclusion/dropping of GNM Beneficiary from the benefits of Group Net Metering.
 - g. GNM Beneficiary undertakes to deposit the necessary document and permissions with DISCOM as and when demanded by DISCOM.
 - h. GNM Beneficiary shall take necessary permissions from the concerned authorities and shall submit the same with DISCOM, as notified by DISCOM time to time.
 - i. The GNM Beneficiary confirms and agrees that in case of violation of the terms as stated in this undertaking and other terms as agreed by him/her, DISCOM shall be having full right to drop GNM Beneficiary from the benefits of Group Net Metering.

Signature of GNM Beneficiary

VERIFICATION:

Verified at _____ <Insert the name of the City and State> that the contents of the above self-declaration are true and correct to the best of my knowledge and belief. This is to declare that No word and/or any statement has been amended/alterd/reframed in connection agreement as provided by DISCOM for the needful process of Group Net Metering (GNM) Application.

Signature of GNM Beneficiary

Annexure VII

A. Codes and Standards

The BESS shall comply with the following Codes and Standards or equivalent Indian Standards, as applicable.

Standard	Description	Certification Requirements
IEC 62485-2	Safety requirements for secondary batteries and battery installations - to meet requirements on safety aspects associated with the erection, use, inspection, maintenance and disposal: Applicable for Lead Acid and NiCd / NiMH batteries	Applicable only for Lead Acid and NiCd / NiMH batteries
UL 1642 or UL 1973, Appendix E (cell) or IEC 62619 (cell) + IEC 63056 (cell)	Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications	Required for Cell
UL 1973 (battery) or (IEC 62619 (battery) + IEC 63056 (battery))	Batteries for Use in Stationary, Vehicle Auxiliary Power and Light Electric Rail (LER) Applications / Secondary cells and batteries containing alkaline or other nonacid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications	Either UL 1642 or UL1973 or (IEC 62619 + IEC 63056) for the Battery level
IEC 62281 / UN 38.3	Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport: Applicable for storage systems using Lithium Ion chemistries	Required for both Battery and Cell
IEC 61850/ DNP3	Communications networks and management systems. (BESS control system communication)	

UL 9540 or (IEC TS 62933- 5-1 + IEC 62933-5-2)	Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-1: Safety considerations for grid integrated EES systems – General specification / Standard for Energy Storage Systems and Equipment	Either UL9540 or (IEC 62933-5-1 + IEC 62933-5- 2) is required for BESS system level
--	---	---

Power Conditioning Unit Standards for BESS	
IEC 62909-1	Bi-directional grid connected power converters - Part 1: General requirements
IEC 62909-2 (if applicable)	Bi-directional grid-connected power converters - Part 2: Interface of GCPC and distributed energy resources
IEC 61683 Ed.1	Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for measuring efficiency
IEC 61000-6-2 Ed. 2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments
IEC 61000-6-4 Ed. 2.1	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments
IEC 62116 Ed. 2	Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures
IEC 60068-2-1:2007	Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold
IEC 60068-2-2:2007	Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat
IEC 60068-2-14:2009	Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature
IEC 60068-2-30:2005	Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)

B. General Specifications

1. Identification and Traceability: Cells/Racks/Packs Assembly shall meet seismic requirement for the plant location of the BESS. Labelling of cells/batteries shall include manufacturer's name, cell type, name-plate rating, date of manufacture and date of expiry of parts and labour warranty.

2. Other Sub-systems/Components: Other subsystems/components used in the BESS must also conform to the relevant international/national Standards for Electrical Safety besides that for Quality required for ensuring Expected Service Life and Weather Resistance.

3. Fire Protection: The Battery Energy Storage System Developer (BESSD) shall design and install a fire protection system that conforms to national and local codes. The fire protection system design and associated alarms shall take into account that the BESS will be unattended at most times. For high energy density technologies, the BESSD shall also obtain thermal runaway characterization of the battery storage systems.

4. Authorized Test Centres: Batteries/ Power Conditioning Units deployed in the power plants must have valid test certificates for their qualification as per above specified IEC/ BIS Standards by one of the ILAC member signatory accredited laboratories. In case of module types/BESS/equipment for which such Test facilities may not exist in India at present, test certificates from reputed ILAC Member body accredited Labs abroad will be acceptable.

5. Warranty: BESSD shall procure performance guarantees to ensure minimum performance levels for predefined application(s) as per the terms of the Tender Document / RfS document. The Warranty shall clearly indicate life expectancy given discharge profiles provided for the application.

C. Performance Monitoring

As part of the performance monitoring, the following shall be carried out:

- a) The BESSD must install necessary equipment to continuously measure BESS operating parameters (including but not limited to voltage, current, ambient conditions etc.) as well as energy input into and energy output from the BESS along with Metering arrangement in accordance with extant regulations. They will be required to submit this data to the concerned authorities / organizations on-line and/or through a report on regular basis every month for the entire duration of contract.
- b) The SPDs shall provide access to the concerned authorities / organisations or their authorized representatives for installing any additional monitoring equipment to facilitate on-line transfer of data.
- c) All data shall be made available as mentioned above for the entire duration of the Contract.
- d) The plant SCADA should be OPC version 2.0a (or a later version including OPC UA) compliant and implement appropriate OPC-DA server as per the specification of OPC Foundation. All data should be accessible through this OPC server for providing real time online data (BESS parameters) to the concerned authorities/organizations. This time series data shall be available from the Project SCADA system to facilitate monitoring and should include among others as stated before, parameters to facilitate daily, monthly and annual report for performance monitoring.

- e) Web-based monitoring should be available, which should not be machine-dependent. The web based monitoring should provide the same screens as available in the plant. Also, it should be possible to download reports from a remote web-client in PDF or Excel format.

D. Safe Disposal of unit Batteries from the BESS

The Developer will comply with the requirements under Hazardous & other Waste (Management and Trans boundary Movement) Rules, 2016, as amended from time to time, as applicable. The BESSD shall ensure that all Unit Battery modules from the plant after their 'end of life' (when they become defective/ non-operational/ non-repairable) are disposed in accordance with the "e-waste (Management and Handling) Rules, 2016" notified by the Government and as revised and amended from time to time and Battery Waste Management Rules, notified by the Government of India from time to time.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।